( केवल शासकीय प्रयोगार्थ )

# ❋ जिला वार्षिक योजना ❋

[ विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत ]

वर्ष 1986-87

-54219
309.26
UTT-G

( जनपद—इटावा )

# प्रस्तावना

इटावा जनपद की वर्ष 1986-87 की विकेन्द्रित विकेन्द्रित प्रणाली पर आधारित वार्षिक जिला योजना प्रस्तुत करते हुये मुझे हर्ष है । वर्तमान योजना का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय क्षमताओं एंव संसाधनों के अधिकतम उपयोग द्वारा स्थानीय नियोजन प्रणाली को एक सुदृढ़ आधार प्रदान कराना है ।

सातवीं पंच वर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय के संतुलित एंव न्यायपूर्ण वितरण की नीति पर आधारित देश के पिछड़े, अविकसित एंव निर्बल वर्गों के विकास हेतु विशेष अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है । क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने, ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारों एंव अर्द्ध बेरोजगारों की स्थिति समाप्त कराने, समाज के निर्धनतम एंव निर्बल वर्गों को आधारभूत मौलिक सुविधायें तथा सेवायें उपलब्ध कराने एंव उनके सर्वांगीण विकास हेतु अनेक विशेष कार्यक्रम लिये गये हैं ।

इटावा जनपद सदैव से एक पिछड़ा जनपद रहा है । जिसके कारण विकास की गति में एकरूपता नहीं रह पाती है । 2 अक्टूबर 1980 से जनपद के सभी विकास खण्ड एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिये गये हैं । अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को ऊपर उठाने हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना गतिशील है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से भी अधिकाधिक ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की भरसक प्रचेष्टा है । इनके अतिरिक्त ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना कृषि पुर्नवित्त एंव विकास निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण, रामगंगा समादेश परियोजना , जिला उद्योग केन्द्र योजना, स्थानिक विकास आदि विभिन्न कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं ।

प्रस्तुत विकेन्द्रित जिला योजना वर्ष 1986-87 में कार्यान्वयन हेतु कुल 641.23 लाख रुपयों का परिव्यय चालू तथा नई योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित है। मैं आशा करता हूँ कि जिन उद्देश्यों के अन्तर्गत जनपद की विकेन्द्रित योजना वर्ष 1986-87 की संरचना की गई है, उन्हें प्राप्त करने में यह सफल होगी ।

( शरद अस्थाना )
जिलाधिकारी-इटावा

NIEPA DC
D03800

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 3800
Date 11.6.82

# विषय- सूची


| क्रमसं0 | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

भाग-1

जी0एन0-1

जिला योजना के अध्याय

| | |
|---|---|
| 1-भूमिका | 1-8 |
| 2-अवस्थापना संरचना साधन | 9-21 |
| 3-प्रशासनिक या संस्थागत ढांचा | 22-23 |
| 4-वित्तीय कार्यकलाप | 24-25 |
| 5-सेवा योजन सम्बन्धी समस्यायें | 26 |
| 6-पिछड़े समुदायों की समस्या | 27-28 |
| 7-जिला योजनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन | 29-32 |
| 8-स्थानीय संस्थानों का वर्णन | 33-35 |
| 9-दीर्घकालीन विकास की रूपरेखा | 36-38 |
| 10-जिला योजना की पूर्वता | 39-40 |
| 11-राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 41-43 |
| 12-पिछड़े समुदाय के लिये कार्यक्रम | 44-46 |
| 13-जिले के विकास कार्यक्रम | 47-54 |
| 14-योजनाओं का वित्तपोषण | 55 |

भाग-2

जी0एन02

| | |
|---|---|
| 1-विभाग/सेक्टरवार वित्तीय परिव्यय सारांश | 1-2 |

सेक्टर-1

| | |
|---|---|
| 1-कृषि | 1 |
| 2-कृषि रक्षा | 2 |
| 3-उद्यान | 3 |
| 4-सामुदायिक फल संरक्षण | 4 |
| 5-भूमि सुधार | 5 |
| 6-निजी लघु सिंचाई | 6 |
| 7-राजकीय लघु सिंचाई | 7 |
| 8-भूमि एवं जल संरक्षण | 8 |
| 9-क्षेत्रीय विकास | 9 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 10- | पशुपालन | 10-13 |
| 11- | मत्स्य | 14 |
| 12- | वन | 15 |
| 13- | सामुदायिक विकास (पंचायत राज) | 16 |
| 14- | सामुदायिक विकास (प्रा0वि0दल) | 17 |
| 15- | सामुदायिक विकास (कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास) | 18 |
| | **सेक्टर -2** | |
| 16- | सहकारिता | 19 |
| | **सेक्टर-3** | |
| 17- | विधुत | 20 |
| | **सेक्टर-4** | |
| 18- | ग्रामीण एवं लघु उधोग | |
| | (1) जिला उधोग केन्द्र | 21 |
| | (2) हथकरघा | 22 |
| | (3) रेशम | 23 |
| | **सेक्टर-5** | |
| 19- | सार्वजनिक निर्माण विभाग (सड़क एवं पुल) | 24 |
| | **सेक्टर-6** | |
| 20- | शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) | 25-26 |
| 21- | माध्यमिक शिक्षा | 27 |
| 22- | खेलकूद | 28 |
| 23- | प्राविधिक शिक्षा | 29 |
| 24- | चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य | 30-31 |
| 25- | आयुर्वेदिक एवं यूनानी | 32 |
| 26- | जल सम्पूर्ति (जल निगम) | 33 |
| 27- | सामुदायिक विकास (ग्रामीण पेयजल) | 34 |
| 28- | सामुदायिक विकास (ग्रामीण आवास) | 35 |
| 29- | शिल्पकार प्रशिक्षण | 36 |
| 30- | सेवायोजन | 37 |
| 31- | अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का कल्याण | 38-40 |
| 32- | समाल कल्यसण | 41 |
| 33- | पुष्टाहार (समाज कल्याण) | 42 |

| 2 | 3 |
|---|---|

भाग-3

:-:-:-:-:-

जी०एन० 3


| | |
|---|---|
| 1- कृषि विभाग | 1 |
| 2- कृषि रक्षा | 2 |
| 3- उद्यान विभाग | 3 |
| 4- सामुदायिक फल संरक्षण | 4 |
| 5- भूमि सुधार | 5 |
| 6- निजी लघु सिंचाई | 6 |
| 7- राजकीय लघु सिंचाई | 7 |
| 8- भूमि एवं जल संरक्षण | 8 |
| 9- क्षेत्रीय विकास | 9 |
| 10-पशुपालन | 10-11 |
| 11-मत्स्य | 12 |
| 12-वन | 13 |
| 13-सामुदायिक विकास (पंचायत राज) | 14 |
| 14-सामुदायिक विकास (प्रा०वि०दल) | 15 |
| 15-सामुदायिक विकास (कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास) | 16 |
| 16-सहकारिता | 17 |
| 17-विद्युत | 18 |
| 18-जिला उद्योग केन्द्र | 19 |
| 19-हथकरघा | 20 |
| 20-रेशम | 21 |
| 21-सार्वजनिक निर्माण विभाग (सड़क एवं पुल) | 22 |
| 22-शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक शिक्षा) | 23-24 |
| 23-माध्यमिक शिक्षा | 25 |
| 24-खेलकूद | 26 |
| 25-प्राविधिक शिक्षा | 27 |
| 26-चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य | 28 |
| 27-आयुर्वेदिक एवं यूनानी | 29 |
| 28-जल संस्थान | 30 |
| 29-सामुदायिक विकास (हरिजन पेयजलकूप) | 31 |
| 30-सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास) | 32 |
| 31-शिल्पकार प्रशिक्षण | 33 |
| 32- सेवायोजन | 34 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 33- | अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का कल्याण § | 35-36 |
| 34- | समाज कल्याण | 37 |
| 35- | पुष्टाहार §समाज कल्याण§ | 37 |

भाग- 4

जी0एन04

1-आधारभूत आंकड़े 1-47

2-मानचित्र 1- 4

सिंह/2: ।।

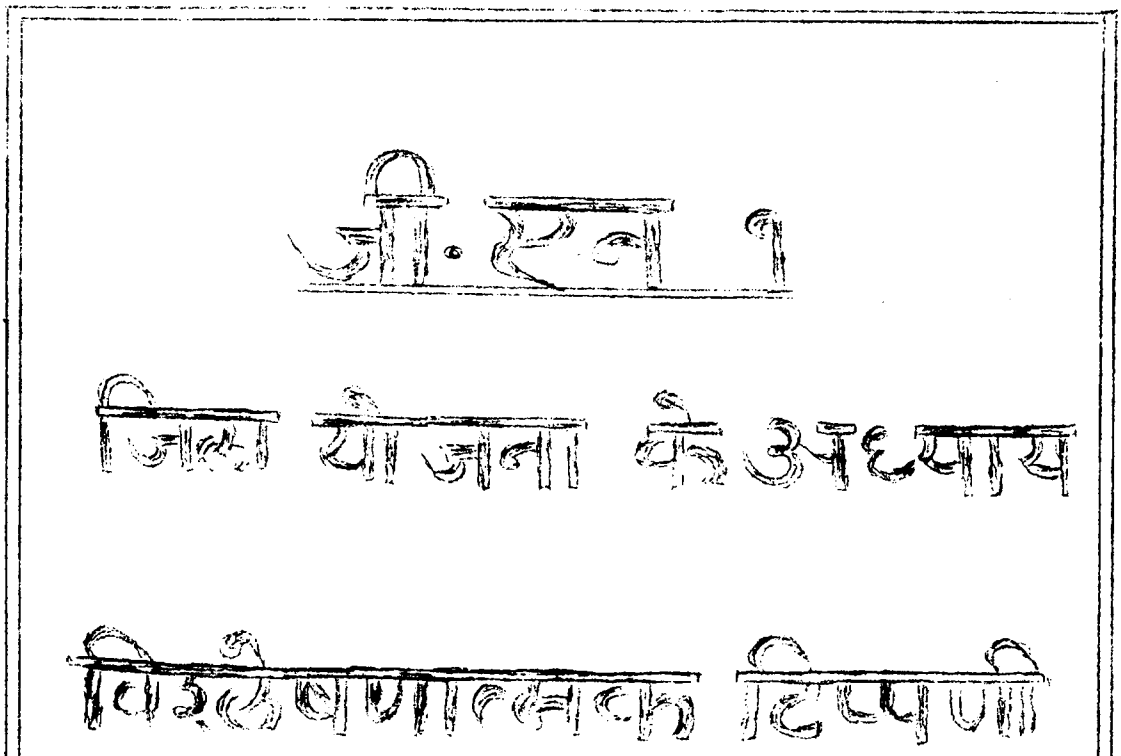

## अध्याय-1

**भूमिका :-**

इटावा जनपद प्रदेश के इलाहाबाद मण्डल में पश्चिम में स्थित है । इटावा के उत्तर में जनपद मैनपुरी एंव फर्रुखाबाद, पूर्व में कानपुर, दक्षिण में जालौन और पश्चिम में कुछ भाग आगरा एंव शेष भाग मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है । इस जनपद एंव मध्यम प्रदेश की सीमा को चम्बल नदी निर्धारित करती है । इलाहाबाद मण्डल के उत्तर पश्चिम में 26-21 और 27-1 उत्तरी अक्षाँस तथा 78-45 और 79-45 पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित इस जनपद का क्षेत्रफल सर्वेयर आफ इण्डिया के अनुसार 4327 वर्ग कि०मी० हैं । वर्ष 1982-83 के राजस्व अभिलेखों के अनुसार जनपद का क्षेत्रफल 4364.17 वर्ग कि०मी० है ।

भौगोलिक दृष्टि से जनपद मुख्य तीन भागों में विभाजित है :-

**प्रथम भाग :-**

पचार कहलाता है । यह सेंगर नदी के उत्तर पूर्व में है ।इसके अन्तर्गत मुख्यत: बिधूना, सहार, एरवा कटरा, अच्छदा, ताखा, एंव भरथना विकास खण्ड आते हैं । यह गंगा - जमुना के मध्य मैदानी भाग का अंश है । भूमि मामूली ऊँची नीची है । इसमें अन्हैया, पुरहा, अरिन्द एंव पाण्डौ छोटी- छोटी नदियाँ बहती है । इन नदियों में से केवल अरिन्द ही सतत् प्रवाहशील नदी कही जा सकती है । भूमि उपजाऊ है और सामान्य तथा दुमट है । जनपद की अधिकाँश कृषि अयोग्य भूमि इसी सम्भाग में है ।

**द्वितीय भाग :-**

धार का नाम से जाना जाता है । यह सेंगर एंव यमुना के बीच का भाग है । इसमें सिरसा मौसमी नदी बहती है। इस भाग में जसवन्तनगर, बढ़रेहर, महेवा अजीतमल, भाग्यनगर तथा औरैया विकास खण्ड स्थित है । जनपद का यह सम्भाग सबसे उत्तम है । यहाँ की मिट्टी दुमट और बहुत उपजाऊ है । इस कारण इस भाग को अन्न का भण्डार कहते हैं ।

तृतीय भाग :-

परपट्टी कहलाता है, जो यमुना चम्बल के मध्य में स्थित है । इसमें चम्बल एंव क्वारी सतत प्रवाहशील नदियाँ बहती है । यह भाग जनपद आगरा की सीमा से जमुना एंव क्वारी के संगम तक फैला हुआ है, । चम्बल तथा जमुना के उत्तंग तट वर्षाती कटाव के कारण बीहड़ के रूप में परिवर्तित होकर दुर्गम प्रतीत होते हैं । इन नदियों के दोनोंओर से 5 कि0मी0 क्षेत्र में 10 मीटर तक के गहरे खार बन गये हैं । इस भाग की जलवायु जनपद के अन्य भागों की तुलना में अपेक्षाकृत शुष्क एंव गर्म है । सिंचाई साधनअपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है । इस सम्भाग में सम्पूर्ण चकरनगर विकास खण्ड तथा बाह्पुरा, जसवन्तनगर, अजीतमल व औरैया का कुछ भाग आता है । यहाँ की भूमि अधिकाँश बलुई दोमट और कंकरीली है । जिसके कारण कटाव अधिक होता है । भूमि उपजाऊ किस्म की होने पर भी सिंचाई साधनों की पर्याप्त मात्रा में कमी तथा बीहड़ होने के कारण पूर्ण उपयोगी नहीं है ।

भूमि संरचना :-

जनपद की मिट्टी मुख्यत: दुमट मटियार और भूड़ है। पचार की भूमि मुख्यत: दुमट है, परन्तु बीच-बीच में बड़े - बड़े ऊसर के भाग हैं । भूमि कहीं - कहीं नीची होने के कारण जलमग्न रहती है तथा उसके निकट तटवर्ती भूमि मटियार है । कहीं - कहीं पर भूड़ भी दिखाई देती है । पार की मिट्टी बहुत दुमट है और बहुत उपजाऊ है । पारपट्टी की भूमि हल्की दुमट एंव कंकरीली होने के कारण कटाव को बढ़ाती है । कटाव को रोकने के लिए इस जनपद में बीहड़ सुधार योजना चल रही है ।जमुना एंव चम्बल के तटों पर ऊँचे नीचे खार हैं । जिन्हें देखकर एक ओर जहाँ उनकी दुर्गमता का आभास होता है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति की अदभूत एंव अनोखी संरचना मन को मोह लेती है । जनपद की 436417 हे भूमि में से 38683 हे0 क्षेत्र बन के अन्तर्गत है । 26519 हे0 ऊसर अथवा कृषि अयोग्य हैं, 32245 हे0 कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोग में लाई जाती है, 10501 हे0 कृषि योग्य बंजर एंव 2316 हे0 क्षेत्र में चारागाह हैं, 1304 हे0 भूमि पर उद्यान आदि के तथा 34664 हे0 परती भूमि के अन्तर्गत है । शेष 290185 हे0 भूमि पर कृषि होती है ।

समुद्र तट से ऊँचाई :-

जनपद इटावा समुद्र तल से 146.3 मीटर से लेकर 149.7 मीटर तक की ऊँचाई पर स्थित है ।

नदियाँ :-

जनपद की सतत् प्रवाहशील एंव मौसमी नदियों के नाम तथा जनपद के अन्तर्गत उनके प्रवाह की लम्बाई निम्न प्रकार है :-

| सतत् प्रवाहशील नदियाँ | कि0मी0 | मौसमी नदियाँ | कि0मी0 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-यमुना | 148 | 1-पुरहा | 48 |
| 2-चम्बल | 74 | 2-सिरसा | 29 |
| 3-कुवाँरी | 40 | 3-अहनैया | 56 |
| 4-सेंगर | 97 | | |
| 5-अरिन्द | 53 | | |

जनपद में पाण्डौ एंव सिन्ध नाम की दो धारायें और है । पाण्डौ धारा पचार भाग के उत्तरीय भाग में बहती हुई कानपुर जनपद को चली गई है । सिंध धारा जनपद के दक्षिण में बहकर कवाँरी नदी में मिल जाती है ।

जल निकास :-

जनपद का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है । सेंगर नदी के उत्तर का भाग नीचा है अत: वर्षा ऋतु में इसमें पानी भर जाता है । यमुना एंव चम्बल के तल निचले होने के कारण बाढ़ की उग्रसमस्या साधारणतया उत्पन्न नहीं होती परन्तु नीचले भागों में वर्षा का पानी काफी जमा हो जाता है, जिससे निकास की कोई उचित व्यवस्था नहीं है । यमुना नदी में बाढ़ आने पर सेंगर नदी के प्रवाह में रुकावट आ जाती है । अत: उसके तटवर्ती क्षेत्रों को भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक क्षति उठानी पड़ती है । यमुना की बाढ़ नियंत्रण एंव पानी निकास

के लिए नये नालों के निर्माण के साथ ही इस जनपद की बाढ़ समस्या का समाधान हो सकता है ।

वर्षा :-

जनपद में विगत वर्षों में वर्षा का अभिलेख देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1977-78 मे निरन्तर 3 वर्षों के अपेक्षाकृत वर्षा कम हुई है, परन्तु वर्ष 1978-79 में वर्षा की औसत वर्ष 1975-76 की अपेक्षा अधिक रहा है तथा वर्ष 1979-80 में वर्षा का औसत अत्यधिक कम रहा है । जबकि वर्ष 1980-81 में वर्षा का औसत 1158 मि0मी0 रहा है । वर्ष 1981-82 में भी अधिक वर्षा होने के कारण कृषि कार्य में बहुत हानि हुई है । वर्ष 1982-83 में वर्षा का औसत 919 मि0मी0 रहा है जो कि गत वर्ष से कम है । वर्ष 198 4-में 941 मि0मि0 वर्षा हुई है ।

वनस्पति एंव जन्तु :-

जनपद में मुख्यत: बबूल के वन भूमि के कटाव को रोकने के लिये वन विभाग द्वारा लागाये गये हैं । नहर विभाग द्वारा नहरों के किनारे-किनारे इक्वीलिप्टस शीशम एंव कहीं-कहीं विलायती बबूल के पेड़ भी लगाये गये हैं । यमुना एंव चम्बल नदियों के किनारे पारपट्टी में जो वन पाये जाते हैं, उनमें करील, झरबेरी और छींकुर आदि झाड़ियाँ की बहुतायत है । जामुन, नीम, बेल और बबूल के पेड़ सभी स्थानों पर जहाँ - तहाँ पाये जाते हैं । फलों में आम, अमरूद एंव बैर के बाग अधिकतर पाये जाते हैं ।

वन्य पशुओं में भेड़ियाँ, तेंदुआ, नीलगाय एंव लकड़बग्धा यमुना के दक्षिणी किनारों पर साधारणतया पाये जाते हैं । शेष वन्य जन्तुओं में सियार, लोमड़ी बन्दर एंव खरगोश जनपद के सभी भागों में देखे जाते हैं । पक्षियों में मोर, तीतर जलमुर्गी, टिटहरी, गौरैया, कबूतर, कौये एंव बतख सभी भागों में मिलते हैं ।

जनसंख्या एवं व्यवसाय :-

वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार इटावा जनपद की जनसंख्या 1447702 है जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 1.6 प्रतिशत है जबकि इसका क्षेत्रफल प्रदेश के

क्षेत्रफल का 1.5 प्रतिशत है । वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार आबादी 1742651 हो गई है । यह जनपद प्रदेश में 1971 की जनसंख्या के दृष्टिकोण से 35 वाँ एंव क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 43 वाँ स्थान रखता है । जनगणना वर्ष 1971 की परिभाषा के अनुसार जनपद में 5 नगरीय क्षेत्र इटावा, औरैया, भरथना, जसवन्तनगर तथा लखना है । इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अच्छल्दा, फॅफूद, बकेवरपुर, बिधूना, दिबियापुर अटसू तथा इकदिल ऐसे 7 टाउन एरिया है । जिन्हें जनगणना वर्ष 1971 में ग्रामीण क्षेत्र माना गया था । वर्ष 1981 की जनगणना में इन सातों टाउन एरिया को नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया ।

कुल जनसंख्या में पुरूषों एंव स्त्रियों की जनसंख्या क्रमशः 951655 और 790996 है । जनपद की ग्रामीण जनसंख्या 1485 हजार है । जिसमें 813561 पुरूष तथा 671439 स्त्रियाँ है । जनसंख्या का धनत्व जनपद में 403 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है । यह धनत्व उत्तर प्रदेश में 377 तथा सम्पूर्ण भारत में 173 है । आँकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जनसंख्या की वृद्धि वर्ष 1931 से प्रारम्भ हुई और वर्ष 1971 तक यह लगभग दुगनी हो गई है । विगत 50 वर्षों में प्रदेश की जनसंख्या में 89.1 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में जनपद की जनसंख्या 97.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । स्वास्थ्य एंव चिकित्सा सेवा में वृद्धि होने के फलस्वरूप मृत्यु दर घटी है तथा जनसंख्या तदनुसार वढ़ती गई है । वढ़ती [illegible] नियंत्रण करना आवश्यकहै ।

वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार जनपद में कुल आबाद ग्रामों की जनसंख्या 1477 है । 92 प्रतिशत ग्रामों की आवादी 2000 से कम तथा 8 प्रतिशत ग्रामों की आवादी 2000 से अधिक — है । जनगणना के अनुसार जनपद में पुरूष स्त्री का अनुपात 1000 : 826 है । ग्रामीण एंव नगरीय क्षेत्र में यह अनुपात क्रमशः 824 तथा 851 है । स्पष्ट है कि नगरीय क्षेत्र में यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्र के अनुपात से अपेक्षाकृत अधिक है ।

जनपद में वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 28.8 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर है । जबकि प्रदेश में 21.64 प्रतिशत व्यक्ति ही साक्षर है । प्रदेश में 31.76 प्रतिशत पुरुष एंव 10.18 प्रतिशत स्त्रियाँ साक्षर हैं, जबकि जनपद में 38.9 प्रतिशत पुरुष तथा 16.6 प्रतिशत स्त्रियाँ साक्षर है । इस प्रकार साक्षरता की वृद्धि में जनपद प्रदेश के औसत की अपेक्षा अधिक अच्छा है ।

जनपद की जनसंख्या में 93 प्रतिशत हिन्दू , 6 प्रतिशत मुसलमान तथा 1 प्रतिशत अन्य धर्मों का अनुयायी है । जनपद के 95 प्रतिशत व्यक्तियों की मातृभाषा हिन्दी है । पश्चिम में ब्रज क्षेत्र एंव उत्तर पूर्व में कान्यकुब्ज क्षेत्र से मिला होने के कारण जनपद की ग्रामीण भाषा पर ब्रजभाषा एंव कान्यकुब्ज भाषा का स्पष्ट प्रभाव रहा है । प्रदेश के अन्य जनपदों की भाँति यह जनपद भी कृषि प्रधान रहा है ।प्रदेश में सामुदायिक विकास की अग्रगामी योजना का प्रारम्भ इसी जनपद के महेवा विकास खण्ड से हुआ था । अतः योजना कार्य में इस जनपद को अन्य जनपदों की अपेक्षा उन्नति के अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं ।

जनगणना के आर्थिक विवरण :-

जनपद की कुल जनसंख्या में 27.3 प्रतिशत कार्य करने वाले तथा 72.7 प्रतिशत काम न करने वाले हैं । आर्थिक दृष्टिकोण से जनसंख्या का विवरण निम्न प्रकार है :-

| क्रम सं0 | मद का विवरण | वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1- | कुल जनसंख्या | 1447702 | 100.00 |
| 2- | (अ) कार्य करने वाले | 395253 | 27.30 |
| | 1-कृषक | 68724 | 18.56 |
| | 2-कृषक मजदूर | 51672 | 3.56 |
| | 3-पशुपालन, वन, मत्स्य, वृक्षारोपण एंव उत्खन् आदि | 2116 | 0.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4- | घरेलू उद्योग धन्धे | 10059 | 0.70 |
| 5- | निर्माण कार्य | 2451 | 0.17 |
| 6- | विनिर्माण कार्य | 9964 | 0.69 |
| 7- | ब्यापार एंव वाणिज्य | 16325 | 1.13 |
| 8- | यातायात संग्रहण एंव संचार | 4100 | 0.28 |
| 9- | अन्य सेवायें | 29842 | 2.06 |
| 10- | §ब§ कार्य न करने वाले | 1052449 | 72.70 |

कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि कार्य में लगे हुये ब्यक्तियों §कृषक तथा कृषक मजदूर § का प्रतिशत 81 है, अर्थात् 81 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है । 2.54 प्रतिशत ब्यक्ति घरेलू उद्योग धन्धों में तथा 4.13 प्रतिशत ब्यक्ति वाणिज्य एंव ब्यापार में लगे हैं। वर्ष 1971 की जनगणना के समय कृषक मजदूर की परिभाषा में परिवर्तन के फलस्वरूप इसकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है ।जीविका का साधन सबसे अधिक आय वाले श्रोत को माना गया है । इस कारण कुछ कृषक, घरेलू उद्योग धन्धों को एंव अन्य सेवाओं वाले ब्यक्ति कृषक मजदूर की श्रेणी में आ गये । आँकड़ों के अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 1961 से वर्ष 1971 तक के दशक में काम करने वाले ब्यक्ति जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात से नहीं बढ़े हैं । इस दशक में जनसंख्या 22.5 प्रतिशत बढ़ी है जबकि कार्यशील ब्यक्ति केवल 2.7 प्रतिशत ही बढ़े हैं । इस प्रकार इस दशक में ऐसे ब्यक्तियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो कार्य करने लायक हो गये परन्तु रोजगार नहीं पा सके । इनकी समस्या ग्रामीण एंव घरेलू उद्योग धन्धों से ही दूर की जा सकती है ।

प्रदेश की कुल जनसंख्या में 21.2 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति एंव जनजाति की है । जनपद में यहप्रतिशत 24.5 है ।

इस जिले की आर्थिक विशेषता यह है कि यह औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है । यहाँ कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है । केवल एक सूत कताई मिल है ।

तथा एक मिनी सुगर प्लान्ट विकास खण्ड बसरेहर के ग्राम हरिहरपुरा में प्रस्तावित है । यह मध्यम श्रेणी का ही उद्योग है । फलस्वरूप यहाँ छोटे धन्धे § Ancillary units § भी नहीं है और व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह जिला पिछड़ा हुआ है । एकओर कानुपर और दूसरी ओर आगरा होने के कारण भी यहाँ का ब्यापारिक विकास नहीं हो पाया है ।

यहक्षेत्र मुख्यत: कृषि प्रधान है । रबी में गेहूँ की उत्तम फसल होती है तथा मटर की भी उन्नत जातियाँ यहाँ बोई जाती है । जिसका बीज प्रदेश के अन्य जिलों को भेजा जाता है ।

पशुधन में इस क्षेत्र की भदावरी भैंस व जमुनापारी बकरी प्रसिद्ध है जो जिले के बाहर भी भेजी जाती है । जनसंख्या का एक भाग इनके पालन व इनसे प्राप्त पदार्थों द्वारा जीविका चलाता है ।

सामाजिक दृष्टिकोण से यहाँ वर्ग भेद व जातिवाद काफी बलशाली है जिसके कारण निर्बल वर्ग का विकास कम हो पाया है । व्यवसायोंका चयन भी मुख्यत: जाति के आधार पर ही होता है । अत: यहभी निर्बल वर्ग द्वारा आर्थिक उन्नति करने में बाधक है ।

अशोक/

## संचार साधन :-

जनपद की आन्तरिक व्यवस्था में पर्याप्त सुधार होने के उपरान्त भी उसे आवश्यकता के अनुकूल उस समय तक नहीं कहा जा सकता, जब तक कि इटावा जनपद के ग्रामीण अंचलों में सड़कों का निर्माण नहीं होता । जनपद की दो तहसीलें इटावा एंव औरैया राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है । शेष दो तहसीलें भरथना एंव विधूना प्रत्यक्ष रूप से इटावा से जुड़ी हुयी हैं । यह व्यवस्था भरथना में सेंगर नदी पर पुल बन जाने से सम्भव हो सकी है । उदी चकरनगर मार्ग पक्का हो जाने से विकास खण्ड चकरनगर इटावा जनपद से जुड़ गया है ।

इटावा जनपद का मुख्यालय रेल एंव सड़क दोनों साधनों से पूर्व एंव पश्चिम मैनपुरी, लखनऊ तथा आगरा से जुड़ा हुआ है । यह मुख्यालय दिल्ली हावड़ा से उत्तर रेलवे के प्रमुख रेलमार्ग पर है । इटावा से होकर राष्ट्रीय मार्ग नं0 2 गुजरता है। इटावा होकर एक प्रदेशीय मुख्य मार्ग बरेली से ग्वालियर भी गुजरता है।

इस प्रकार यह जनपद जालौन के अतिरिक्त अपने सभी सीमावर्ती जनपदों जैसे आगरा , कानपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी एंव भिण्ड से जुड़ा हुआ है ।

## क्रय-विक्रय :-

इस जिले में मुख्य व्यवसाय कृषि होने के कारण क्रय-विक्रय की मुख्य क्रियायें भी कृषि सम्बन्धित है । इसके लिये पारम्परिक मण्डियाँ व मेले तो हैं ही साथ में आधुनिक ढँग की कृषि मण्डियाँ भी बनाई गई है । यह मण्डियाँ औरैया भरथना, दिबियापुर, जसवन्तनगर, विधूना, तथा इटावा में है जहाँ पर कृषकों के लाभार्थ सभी सुविधायें उपलब्ध है । पशु व्यापार के लिये भी जिले के विभिन्न भागों में पशुओं के मेले लगते हैं। इनके अतिरिक्त इटावा, औरैया व दिबियापुर में औद्योगिक प्रदर्शनी तथा पशु मेला लगता है जहाँ पर दूर-दूर से व्यापारी आते है, और पूरे जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के निवासी खरीद करते हैं ।

जिले में भदावरी भैंस अपने घी के लिये प्रसिद्ध है । अतः इटावा, औरैया व कंचौसी प्रसिद्ध है । जहाँ का घी पूरे प्रदेश में भेजा जाता है ।

इस जिले में हथकरघा व ऊनी कालीन का काम भी बड़े पैमाने पर होता है । जिसका विक्रय केन्द्र इटावा नगर है । यहाँ से न केवल प्राप्त में बल्कि विदेश में भी माल भेजा जाता है ।

ग्रामीण क्षेत्र में क्रय-विक्रय को बढ़ावा देने हेतु ग्रोथ सेन्टर प्रत्येक विकास खण्ड में खोलें जा रहे हैं । जिनकी सूची निम्न है :-

ग्रोथ सेन्टर्स की सूची :-

| विकास खण्ड | क्षेत्र |
| --- | --- |
| 1-जसवन्तनगर | केस्त |
| 2-बढ़पुरा | ऊदी मोड़ |
| 3-बसरेहर | बसरेहर |
| 4-भरथना | वाहरपुर |
| 5-ताखा | ऊसराहार |
| 6-महेवा | महेवा |
| 7-चकरनगर | चकरनगर |
| 8-विधूना | बेला |
| 9-एरवाकटरा | एरवाकटरा |
| 10-सहार | सहार |
| 11-अछल्दा | हरचन्द्रपुर |
| 12-औरैया | करमपुर |
| 13-अजीतमल | भैरोपुर |
| 14-भाग्यनगर | ककोर |

भण्डारण एंव विधायन :-

इस जिले में केन्द्रीय भण्डारागार निगम व प्रदेशीय भण्डारागार निगम भण्डार इटावा व जसवन्तनगर में है तथा भारतीय खाद्य निगम के भी भण्डार हैं

जिनका ब्यौरा मूलभूत आँकड़ों से दिया गया है । इसके अतिरिक्त 21 शीतगृह है जिनमें आलूकी मुख्य उपज आलू को ग्रीष्म ऋतु में रखा जाता है ।

प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन, सहकारिता विभाग व कृषि विभाग का ग्रामीण क्षेत्रों में जाल बिछा हुआ है । इसके अतिरिक्त वर्ल्ड बैंक व राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा भी ग्रामीण गोदाम बनाये जा रहे हैं ।

इस जनपद में धान व दाल की विधायन मिलें भी हैं जो न केवल इस जनपद की पैदावार बल्कि आस-पास के जनपदों से कच्चा माल लेकर तैयार माल आस-पास के बाजारों में भेजते हैं। इस जनपद में देशी औषधियों का प्रसिद्ध कारखाना, "आनन्दकर" भी है जो अपना उत्पादन प्रदेश व उसके बाहर भेजता है ।

सिंचाई :-

योजना काल में सिंचाई के ब्यक्तिगत तथा राजकीय दोनों प्रकार के साधन अपनाये जाने हैं ताकि कृषि उत्पादन में सिंचाई साधनों की ब्यवस्था सुनिश्चित की जा सके ।

ब्यक्तिगत साधनों से अल्प सिंचाई :-

निजी अल्प सिंचाई साधनों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को उनकी इच्छानुसार सुनिश्चित साधनों की ब्यवस्था करना है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीण अंचल का आर्थिक विकास तीव्रता से हो सके । जनपद की निजी अल्प सिंचाई की उपलब्धियों एंव भौतिक लक्ष्यों का विवरण निम्न तालिका में दिखाया गया है ।

| क्रम सं0 | मद का नाम | इकाई | 31-3-85 तक वास्तविक उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1- | पक्के कुएँ | संख्या | 13466 |
| 2- | रहट | संख्या | 10665 |
| 3- | नलकूप | संख्या | 6753 |
| 4- | पम्पिंग सेट | संख्या | 19648 |

इस जनपद में ब्यक्तिगत साधनों में निजी नलकूप, पम्पिंगसेट तथा रहट अधिक लोकप्रिय है । गत वर्ष प्रत्येक ग्राम विकास अधिकारी क्षेत्र में एक ग्राम का खेतवार सर्वेक्षण कराया गया था। जिस खेत§नम्बर§ के लिये सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है । उसे यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी । इस प्रकार जनपद में ग्रामों के प्रत्येक खेत को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी । अल्प सिंचाई कार्यों के लिए भूमि विकास बैंक ऋण देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रह है । इसके अतिरिक्त ब्यवसायिक बैंकों तथा एकीकृत ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा भी इस कार्यक्रम में पर्याप्त सहयोग दिया जा रहा है ।

राजकीय लघु सिंचाई :-

राजकीय लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत चतुर्थ योजना काल के अन्त तक इक्यासी राजकीय नलकूप थे । दिनांक 31-3-1985 तक इनकी संख्या 339 हो गयी है ।

बृहद् एंव मध्यम सिंचाई :-

बृहद एंव मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत नहरों का प्रमुख स्थान है । वर्ष 73-74 तक नहरों द्वारा कुल 93897 हे0 क्षेत्रफल को सिंचाई की जाती थी । जिसे वर्ष 1982-83 में बढ़ाकर 131152 हे0 क्षेत्रफल नहरों द्वारा सिंचाई की गई । सिंचित क्षेत्रफल में से जो भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है, उसको आवश्यकता अनुसार पानी नहीं मिल पाता है । राम गंगा नदी पानी योजना, टहरी बाँध योजना एंव समानान्तर निचली गंगा नहर परियोजना द्वारा पानी की कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है । प्रस्तुत योजना में चम्बल जल योजना तथा भोगनीपुर ब्राँच के आधुनिकीकरण का कार्य किया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण :-

सर्वोन्मुखी विकास के लिये विशेषकर कृषि तथा उद्योग विकास के लिये विद्युत एक महत्वपूर्ण अवस्थापना है । इसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों जिनमें परिवहन एंव संचार साधन सम्मिलित हैं के विकास के लिये भी विद्युत की महत्ता वर्तमान वैज्ञानिक युग में बढ़ गई है । औद्योगिक प्रगति के इस युग में विद्युत आर्थिक समृद्धि का एक शक्तिशाली साधन है । सिंचाई साधनों का निर्माण रसायनिक उर्वरकों का उत्पादन एंव सिंचाई साधनों का सफलतापूर्वक संचालन सभी कार्य विद्युत की उपलब्धता पर ही निर्भर है । इसलिए योजना में सिंचाई एंव विद्युत को प्राथमिकता दी गई है ।

इस योजना को विद्युत से सम्बन्धित मुख्य मदों की भौतिक उपलब्धियों एंव लक्ष्यों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

| क्रम सं0 | मद का विवरण | इकाई | 31-3-85 तक वास्तविक उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 1- | विद्युतीकृत ग्राम | संख्या | 651 |
| 2- | आबाद ग्रामों से प्रतिशत | प्रतिशत | 44.5% |
| 3- | हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण | संख्या | 564 |

बैंक एंव ऋण सम्बन्धी सुविधायें :-

उत्तर प्रदेश जैसे निर्धन प्रदेश में घरेलू बचत बहुत कम हो पाती है जबकि विकास योजनाओं पर होने वाला व्यय केन्द्र द्वारा प्रदेश की आन्तरिक बचत के आधार पर स्वीकृत किया जाता है । अत: घरेलू बचत को प्रोत्साहन देने के लिये वित्तीय बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिये कृषि क्षेत्र में कृषकों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें भी उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करते हैं । साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लघु उद्योगों एंव

नगरीय क्षेत्र में बड़े उद्योगों के लिये भी वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं ।

मार्च 1984 तक जनपद में 111 बैंक शाखायें कार्यरत थीं, जिनमें से 80 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही थीं । जनपद की लीड बैंक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया है । इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ इण्डिया, दी न्यू बैंक आफ इण्डिया, बरेली कारपोरेशन बैंक एवं क्षेत्र ग्रामीण बैंक की शाखायें भी जनपद में कार्यरत है ।साथ ही भूमि विकास बैंक जनपद में दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था कर रहा है एवं सहकारी बैंक द्वारा खाद और बीज के लिये कृषकों को ऋण सुविधायें उपलब्ध हैं ।जनपद में दिसम्बर 1984 तक सभी अनुसूचित बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दी गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्न तालिका में दिखाया गया है ।

| क्रम सं0 | मद | धनराशि§हजार रु0§ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1- | कुल जमा | 700194 |
| 2- | कुल अग्रिम | 399733 |
| 3- | प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण :- | |
| | क-कृषि | 173089 |
| | ख-उद्योग | 26605 |
| | ग-अन्य | 33291 |
| | कुल | 232985 |
| 4- | डी0आर0आई0 में ऋण वितरण | 9337 |

जनपद में दिसम्बर 1984 तक इन बैंकों की कुल जमा धनराशि 700194 हजार रुपये थी और उनके द्वारा 399733 हजार रुपये का ऋण बाँटा गया था । इस प्रकार दिसम्बर 1984 में ऋण और जमा पूँजी का अनुपात 57.08 प्रतिशत हो गया ।

बैंक के अतिरिक्त ए0आर0ती0 विभिन्न निगमों, विश्व बैंक एंव अन्य संस्थाओं द्वारा स्वीकृत एकीकृत योजनायें जनपद में कार्यरत हैं ।

जनपद में एक सहकारी बैंक एंव उसकी 20 शाखायें कार्यरत हैं। इनके द्वारा वर्ष 1983-84 तक 45082 हजार रूपये का ऋण वितरण किया गया तथा इनकी जमा धनराशि 13027 हजार रूपये थी ।

जनपद में भूमि विकास बैंक की चार शाखायें प्रत्येक तहसील स्तर पर कार्यरत हैं । मार्च 1984 तक 9704 हजार रूपये की धनराशि दीर्घकालीन ऋण के रूप में भूमि विकास बैंक द्वारा वितरित की गई ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के नियम साधारणतया जटिल होते हैं, जिनके पालन करने में कठिनाई का अनुभव होता है । अतः ऋण वितरण प्रणाली एंव प्रक्रिया का सरलीकरण अत्यावश्यक है । शासन इस सम्बन्ध में स्वयं प्रत्यनशील है ।

निर्बल वर्ग के उत्थान हेतु संस्थायें :-

समाज के कमजोर एंव पिछड़े वर्ग को श्रेणी में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्ग आते हैं। इनके कल्याण के लिये शासन द्वारा चलाई गई योजनायें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा आर्थिक उत्थान से सम्बन्धित है ।

जनपद में वर्ष 1971 की जनगणना के अधार पर अनुसूचितजाति की संख्या 354,333 है, जो जनपद की कुल जनसंख्या का 24.5 प्रतिशत है । अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या केवल 401 है, विकास खण्ड बसरेहर में 366 तथा 35 औरैया नगर में रहते हैं ।

पिछड़े वर्ग में 1.25 हे0 से कम के कृषक भूमिहीन मजदूर तथा पैतृक व्यवसायगत घरेलू उद्योगों में कार्यरत व्यक्ति आते हैं । सामान्यतया इस वर्ग की जनसंख्या लगभग 3 लाख है । अभी तक इस क्षेत्र में लागू कार्यक्रमों से

अनुसूचित जाति ही विशेष रूप से लाभान्वित हुई है, परन्तु अब पिछड़ी जातियों को शिक्षा एंव सेवाओं के क्षेत्र में आरक्षण आदि की व्यवस्था से उस की भी दूर करने का प्रयास किया गया है ।

पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन की इच्छानुसार कार्य संचालित हो रहा है एंव हरिजन एंव पिछड़े वर्ग की बस्तियों में इस वर्ष 60 पेयजल कूपों का निर्माण हो चुका है एंव अगले वर्ष 1985-86 के लिये 32 हैण्ड पम्प निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वर्ष 1984-85 तक 385 इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प भी लगाये जा चुके हैं । ग्राम सभाओं के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि तथा भूमि जोत सीमा अधिनियम के अन्तर्गत घोषित अतिरिक्त भूमि में से जनपद के भूमिहीन किसानों तथा अन्य निर्धन परिवारों को आवास एंव कृषि हेतु भूमि आ-वॅण्टित करके लाभान्वित किया जा रहा है ।

ग्रामीण क्षेत्र में निर्बल वर्ग के उत्थान हेतु अन्त्योदय कार्यक्रम संचालित है तथा ग्रामीण मजदूरों को रोजगार क अवसर उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण का कार्य बहुत तेजी के साथ चलाया गया है । इसके अतिरिक्त एकीकृत ग्राम्य विकास योजना तथा स्थानीय विकास की योजना भी इस वर्ग के कल्याण के लिये जनपद में चल रही है । साथ ही साथ इस वर्ग के आवासहीन या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिये शासन के निर्देशानुसार आवास योजना भी जनपद में विकास खण्डों के माध्यम से चल रही है ।

जनपद को निराश्रित विधवाओं को अनुदान की व्यवस्था की गई है तथा वयस्क महिलाओं के सुधार हेतु जिला में एक महिला शरणालय एंव प्रवेशालय कार्यरत है । अपराधी प्रवृत्ति के बच्चों के लिए एक राजकीय अनुमोदित स्कूल भी कार्य कर रहा है ।

<u>एकीकृत ग्राम्य विकास योजना :-</u>

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना का शुभारम्भ जनपद इटावा नवम्बर 1978

से हुआ था । प्रारम्भ में जनपद के 9 विकास खण्डों में यह योजना लागू की गई थी, 2 अक्टूबर 1980 से योजना का बिस्तार जनपद के समस्त 14 विकास खण्डों में कर दिया गया है । योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आय वृद्धि कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है ।

वर्ष 1981-82 हेतु प्रति विकास खण्ड 6 लाख रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था । इस प्रकार पूरे जनपद हेतु 84 लाख रुपये व्यय करने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया था । 600 लाभार्थी प्रतिवर्ष के हिसाब से 8400 पात्र परिवारों को लाभान्वित करने का उद्देश्य था जिसके विपरीत 3627 हजार रु0 व्यय किया गया, जिसे 3632 शुद्ध लाभार्थी परिवार लाभान्वित हुये थे । शासन के निर्देशों के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में प्रतिविकास खण्ड-5 लाख वर्ष 1981-82 में 60 लाख तथा 1982-83 , 1983-84 एंव 1984-85 हेतु 80 लाख रुपये प्रति विकास खण्ड प्रतिवर्ष व्यय करने का निशाना रखा गया है, जिसमें इन 5 वर्षों में प्रति विकास खण्ड 3000 परिवार लाभान्वित करने का निशाना निर्धारित किया गया है ।

वर्ष के अन्त तक लाभार्थी परिवारों एंव निर्धारित व्यय के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु योजना पुनरोन्मित की जा रही है ।

<u>स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना :-</u>

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना का शुभारम्भ 2 अक्टूबर 1980 को इस जनपद में हुआ था । इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरिजन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का है । इस हेतु छठीं पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक 50 प्रतिशत हरिजन परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है । इस हेतु सघन रूप से कार्य करने हेतु गत वर्ष विकास खण्ड महेवा का चयन किया गया था । विशेष सचिव, हरिजन एंव समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्र संख्या : 6479/26-3581-12/1/80 दिनांक 21 सितम्बर 1981 द्वारा चार विकास खंड भाग्यनगर, औरैया, अजीतमल, बलरेहर के चयन सम्बन्धी सूचना प्राप्त हुई है ।

इस प्रकार अब विकास खण्ड में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत जनपद में 8 विकास खण्ड चयनित हो गये हैं ।

वर्ष 1982-83 में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश अनु0 जाति वित्त एंव विकास निगम द्वारा 1600 हरिजन परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विपरीत 2884 लोगों को मार्जिन मनी व अनुदान देकर लाभान्वित कराया गया । इसके अतिरिक्त सामान्य विकास विभागों से 8000 हरिजन व्यक्तियों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य रखा गया था । इसके विपरीत 9927 हरिजन परिवारों को लाभान्वित किया गया जिसमें से 4006 आई0आर0डी0 [illegible] लाभान्वित हुये ।

वर्ष 1982-83 [illegible] वित्तीय लक्ष्य के विपरीत 38.05 लाख रुपये की पूर्ति हुई । [illegible] 201.08 लाख अनुदान एंव मार्जिन मनी ऋण देकर लाभान्वित [illegible] गया गया। इस प्रकार गत वर्ष भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य के विपरीत पूर्ति शत-प्रतिशत से अधिक रही ।

गत वर्ष से 6000/- की योजनाओं पर हरिजन लाभार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान रखा गया था , जबकि इसके पूर्व 25 प्रतिशत या 33-$\frac{1}{2}$-प्रतिशत अनुदान देना शामिल था ।

इसके अलावा हर विकास विभाग में उनकी योजनाओं से लाभान्वित कराने हेतु परिव्यय मात्राकृत किया गया है और विकास विभागों के इस जनपद के हरिजन परिवारों को लाभान्वित कराने हेतु शासन ने लक्ष्य निर्धारित किये हैं जिलाधीश महोदय, ने इस कार्यालय के पत्र संख्या- 279-81 दिनांक 24 अगस्त 1981 के अनुसार सभी जिला स्तरीय अधिकारी § विकास§ को निर्देशित किया था कि वे अपने विभागों में अपने लक्ष्य का 25 प्रतिशत हरिजन परिवारों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य निर्धारित करें । इसलिये प्रत्येक विकास विभाग में उनके लक्ष्य का 25 प्रतिशत या उनके विभाग द्वारा जो मात्राकृत किया गया है, लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए ।

## हरिजन समाज कल्याण :-

सदियों से समाज में शोषण, ताड़ना एंव अपभ्रष्ट जीवन ब्यतीत करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति तथा पिछड़ी जाति के कल्याण को तीव्रगामी गति देने के दृष्टिकोण से एंव समाज के परित्यक्त निराश्रित बालकों, महिलाओं, विकलांगों, पतित तथा पतोन्मुख महिलाओं एंव समाज के ऐसे वर्ग जिन्हें सम्बल की आवश्यकता है, के सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग अपने दायित्वों को निर्वाह करता आ रहा है ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति तथा पिछड़ीजाति -यों के स्तर को ऊपर उठा कर समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के उद्देश्य से विभाग ने जो योजनायें संचालित कर रखी हैं, उन्हें मुख्यता तीन वर्गों में रखा जा सकता है ।

क-शैक्षिक कार्यक्रम

ख-आर्थिक उत्थान सम्बन्धी कार्यक्रम

ग-स्वास्थ्य, आवास एंव अन्य कार्यक्रम

## शैक्षिक कार्यक्रम :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के पूर्व दशम कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । साथ ही मेधावी एंव निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा का प्राविधान है। दशमोत्तर कक्षाओं में जिनछात्रों के अभिभावकों की मासिक आय 750-00 रु0 तक है, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है ।

## आर्थिक उत्थान सम्बन्धी कार्यक्रम :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एंव विमुक्त जाति के ब्यक्तियों को विभिन्न विकास निगमों के माध्यम से कुटीर उद्योग , खेती करने वाले कृषि यन्त्र क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता देने की सुविधा उपलब्ध है ।

चालू योजनायें :-

पूर्व दशम कक्षाओं में छात्राओं एंव कक्षा 9 व 10 विज्ञान के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृति करने के लिये अधिक धन की आवश्यकता है । क्योंकि छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति करने के बाद विज्ञान के समस्त छात्र लाभान्वित नहीं हो पाते ।

2:- पूर्व दशम कक्षाओं के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है । इस सम्बन्ध में उनकी संख्या प्रतिवर्ष तेजी से बढ़ रही है । जिसमें योजनागत मद में अधिक से अधिक धन की आवश्यकता है ।

3:- इस जनपद में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा का प्रचार अधिक है और वह सुदूर गॉव से मुख्यशिक्षा केन्द्रों में पढ़ने के लिये आते हैं, जिससे उन्हें आवास की समस्या होती है उनकी सुविधा के लिये बाबरपुर ॥ तहसील औरैया ॥ तथा खरगपुर सरैया ॥ भरथना ॥ में निर्माणाधीन योजना पूर्ण कराने की योजना है तथा छात्रावास विधूना और अजीतमल में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा निर्मित कराने की योजना है ।

4:- कक्षा 10 व 12 के अनुसूचित जाति के छात्रों को विशेष कोचिंग की योजना लोकप्रिय है । वर्ष 1982-83 में दो केन्द्र स्वीकृत है । वर्ष 1983-84 में 2 केन्द्र संचालित कराने की योजना है ।

5:- वर्ष 1982-83 में प्रथम श्रेणी में कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के लिये 47 विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया गया था । वर्ष 1983-84 में 60 विद्यार्थियों के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुये हैं । जिन्हें 400 रु0 प्रति छात्र की दर से धनराशि दी गई है ।

6:- शासन द्वारा 50 प्रतिशत अंक पाये हुये दशमोत्तर कक्षाओं के पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की योजना विचाराधीन है । जिसमें 2500000 रु0 व्यय होगें ।

नई योजनायें :-

नई योजनाओं में बालिकाओं के लिये छात्रावास की योजना शासन द्वारा प्रत्येक जनपद के लिये स्वीकृत है । धन एंव स्थल की ब्यवस्था की जा रही है । बालकों के छात्रावास के लिये भूमि उपलब्ध हो गई है । वर्ष 1982-83 में 6 लाख की लागत से निर्माण कार्य हरिजन एंव निर्बल वर्ग आवास निगम की यूनिट द्वारा चल रहा है ।

2:- न्यूनतम आवश्यकता में आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष 50 ब्यक्तियों को अनुदान देने का विचार है तथा वर्ष 1983-84 में 14 विकास खण्डों में 2 हजार की दर से 20 भवन प्रति विकास खण्ड में बनवाये गये हैं ।

समाज कल्याण :-

विकलाँग छात्रवृत्ति विधार्थियों को निदेशालय द्वारा ब्यक्तिगत रूप से स्वीकृति की जाती है । अन्तराष्ट्रीय विकलाँग वर्ष के अवसर पर शासन द्वारा 50 रुपये प्रतिमाह निराश्रित ब्यक्तियों को देने की योजना है । इसमें 44 ब्यक्तियों को अनुदान स्वीकृत किया गया है ।

2:- सफाई कर्मचारियों एंव कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिये शिशुशाला एंव बालवाड़ी की स्थापना एंव संचालन के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता देने का विचार है ।

3:- अपराधी बालकों को स्वावलम्बी बनाने के लिये राजकीय अनुमोदित विद्यालय इस जनपद में संचालित है किन्तु भवन की ब्यवस्था संतोषजनक नहीं है । इसके लिये ग्राम कोकपुरा तहसील इटावा में स्थित 30 बंगालियों॥ रिफ्यूजी॥ के लिये निर्मित किन्तु इस समय रिक्त 30 आवासों को पुर्नवास विभाग से क्रय करने एंव उसमें आवश्यक संशोधन कर अनुमोदित विद्यालय भवन के रूप में परिणित करने की योजना है । पुर्नवास विभाग इन आवासों को बेचने के लिये सहमत है।

अशोक/

## अध्याय-3

### प्रशासनिक तथा संस्थागत ढाँचा :-

इस जिले में भी अन्य जिलों की भाँति जिले का प्रशासन मुख्य तीन अँगों में बाँटा गया है ।

।:-सामान्य प्रशासन एंव राजस्व

2:- न्यायपालिका

3:- स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थायें

इनके अतिरिक्त कुछ अभिकरण एंव निगम आदि भी कार्य कर रहे हैं । जिलाधिकारी जिले के सर्वोच्च अधिकारी है। वे सभी विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं तथा पूरे जिले के विकास कार्यों को नियोजित व कार्यान्वित कराते हैं । उनकी प्रशासनिक टीम में जिला जज, पुलिस अधीक्षक , जिला विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी आदि सम्मिलित हैं ।

पूरा जिला 4 तहसीलों में बाँटा है ।

| | |
|---|---|
| ।:- इटावा | 2- भरथना |
| 3- औरैया | 4- विधूना |

प्रत्येक तहसील के अधिकारी परगनाधिकारी हैं और उनके अधीन तहसीलदार आदि हैं ।

जिले में ।4 विकास खण्ड हैं जिनके नाम निम्न प्रकार है :-

| | |
|---|---|
| ।-जसवन्तनगर | 2-बढ़पुरा |
| 3-बसरेहर | 4-भरथना |
| 5-ताखा | 6-महेवा |
| 7-चकरनगर | 8-विधूना |
| 9-एरवाकटरा | ।0-सहार |
| ।।-अछल्दा | ।2-औरैया |
| ।3-अजीतमल | ।4-भाग्यनगर |

इस जिले में एक औद्योगिक केन्द्र जसवन्तनगर में है ।

ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त शासन संस्था जिला परिषद है । इटावा शहर में नगरपालिका है। इसके अतिरिक्त औरैया, जसवन्तनगर, भरथना में भी नगरपालिकायें हैं । इनके अलावा लखना, विधूना, अजीतमल, अछल्दा, दिबियापुर इकदिल, फफूँद , अटसू में टाउन एरिया है ।

इस जिले में निम्नलिखित संस्थायें भी कार्यरत हैं ।

1:- जिला विकास अभिकरण

2:- अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निगम

3:- केन्द्रीय भण्डारागार निगम

4:- प्रादेशिक भण्डारागार निगम

5:- भारतीय खाद्य संस्थान

6:- जीवन बीमा निगम

7:- सामान्य बीमा निगम

8:- अग्रगामी विकास परियोजना §अजीतमल§

9:- जल निगम

10:-राज्य सड़क परिवहन निगम

11:-प्राविन्सियल कोआपरेटिब फेडरेशन

इन सभी संस्थाओं का जनपद के विकास में अपना विशिष्ट स्थान है ।

जिले में सहकारी संस्थाओं का भी प्रमुख योगदान है । जिला सहकारी बैंक, सहकारी हाउसिंग सोसाइटी, मछुआरों की सोसाइटी, उद्यमियों की सोसाइटी भी जिले के विकास में अपनी भूमिका अदा कर रही है ।

अशोक/

<u>अध्याय-4</u>

इटावा जनपद उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा घोषित पिछड़े जिलों में से एक है । इसमें छ: नगरीय क्षेत्रों § इटावा, भरथना, औरैया, जसवन्तनगर, दिबियापुर एंव अछल्दा § में मुख्य रूप से उद्योग स्थापित है। इटावा शहर में हैण्डलूम, धान एंव दाल मिल का कार्य तथा अन्य सभी स्थानों पर धान मिल एंव दाल मिल कार्यरत है । उपरोक्त के अतिरिक्त इटावा शहर में एक सूत मिल तथा एक दवाओं का अच्छा कारखाना है । पन्द्रह पंचायत उद्योग लकड़ी तथा लोहे की सामग्रियाँ स्टील फर्नीचर आदि भी बनाते हैं । जिसके लिए कच्चा माल उपलब्ध होने में कठिनाई रहती है, जो मुख्यत: कानपुर अथवा आगरा से प्राप्त किये जाते हैं । यही कारण है कि वर्तमान उद्योग अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाते हैं तथा नये उद्यमियों को भी इस तरह के उद्योग लगाने का साहस नहीं उत्पन्न होता बसरेहर विकास खण्ड के ग्राम हरिहरपुरा में एक मिनी सुगर प्लान्ट की स्थापना प्रस्तावित है ।

जनपद में शासन द्वारा ग्रामीण अंचल में रेशम उद्योग कोविकसित करने के लिये योजना लागू है । सन् 1980-81 में माडल चाकी कीट पालन योजना प्रारम्भ की गई है । जिसके द्वारा फार्म के सभी स्थल ग्रामीणों के निर्बल वर्गीय लोगों को रेशम कीट पालन कार्य करने हेतु आधारभूत सुविधायें जैसे चाकी , रेशम कीट, सहतूत पत्ती सैम्पिलिंग एंव प्रशिक्षण इत्यादि उनके ग्रामों में ही सुलभ कराये गये हैं । जिससे ग्रामीण आँचलों में खेतिहर मजदूरों एंव लघु कृषकों की अपने ग्राम में ही कृषि के साथ - साथ रेशम कीट पालन द्वारा अतिरिक्त आय होने लगी है। छठी योजना के अन्तर्गत 15 चाकी कीट पालन उद्यानों की स्थापना तथा एक लाख कि0ग्रा0 कोया उत्पादन का लक्ष्य है जिससे इन फार्मों के निकट चार सौ निर्बल वर्गीय ग्रामीण परिवारों की आय में काफी वृद्धि हो सकेगी । वर्ष 1983-84 में विकास खण्ड जसवन्तनगर, भाग्यनगर, अजीतमल एंव महेवा में बीस-बीस एकड़ के चार चाकी कीट पालन सहतूत उद्यानों की स्थापना की जा चुकी है तथा वर्ष 1984-85 में भी चार कीट पालन फार्मों की स्थापना विकास खण्ड जसवन्तनगर, अजीतमल, अछल्दा एंव औरैया में भी प्रस्तावित है ।

हथकरधा योजना के अन्तर्गत हथकरधा सहकारी समितियों की अपने सी0 रू0 मूल्य के प्रति हिस्से पर 75 रुपये का अंशपूँजी ऋण प्रदान किया जाता है । जिससे समिति अपनी वर्तमान अंशपूँजी की वृद्धि करके उत्पादन एंव वित्तीय कार्यक्रमों को मजबूत बनाने हेतु अपनी उधार लेने की क्षमता में वृद्धि कर सके ।वर्ष 1982-83 में अभी तक इस मद में 41 समितियों को 3 लाख रू0 ऋण प्रदान किया जा चुका है जबकि वर्ष 1983-84 में 45 समितियों को 3० लाख रू0 ऋण की सहायता दी गई है । वर्ष 1984-85 में 50 गृहों की एक बुनकर कालोनी का प्रस्तावित थी ।

इसी योजना के अन्तर्गत प्राइमरी बुनकर सहकारी समितियों को बिक्री केन्द्रों की स्थापना हेतु ऋण आधुनिकीकरण हेतु अनुदान तथा मध्यम काल रंगाई घर की स्थापना भी सम्मिलित की गई है ।

उत्पादित माल के विक्रय हेतु जनपद में उचित बाजार नहीं है, यहाँ का बनाया हैण्डलूम का कपड़ा फर्रुखाबाद में छापकर बाहर भेजा जाता है ।जिसका उचित लाभ इस जनपद को नहीं मिल पाता है । धान मिलों से तैयार किया गया सेला चावल भी बाहर भेजा जाता है । छोटे कारखानों के उत्थान के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु जनपद की परिस्थितियों को देखते हुये बैंकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है । जनपद में भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति के अनुसार - ग्रामीण एंव लघु स्तरीय उद्योगोंकी स्थापना हितकर होगी । क्योंकि ऐसे - उद्योग कम पूँजी से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ आय के समान वितरण को सुनिश्चित करते हैं । जिला उद्योग द्वारा 71 ग्रामीण उद्योग तथा लघु व्यापार के माडल प्लान बनाकर एंव ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत उनको ट्रेनिंग देकर लघु उद्योग स्थापित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो जनपद की परिस्थिति को देखते हुये बहुत हितकर है ।

अशोक/

अध्याय-5

सेवायोजन सम्बन्धी समस्यायें :-

वर्तमान समय में जनपद इटावा में एक सार्वजनिक क्षेत्र के तथा कुछ निजी क्षेत्र के संस्थानों में अभ्यर्थियों को नियोजित करने की सुविधा उपलब्ध है । सार्वजनिक क्षेत्र में अर्द्ध राज्य सरकार के अन्तर्गत कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल है जो शिक्षित एंव अशिक्षित बेरोजगारों को सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराती है ।

2:- ग्रामीण एंव शहरी क्षेत्रों के अधिकॉशत: अभ्यार्थियों को स्वत: नियोजन हेतु जिला ग्रामोद्योग के माध्यम से एकीकृत ग्राम्य विकास एंव स्पेशल कम्पोनेन्ट तथा ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने की सुविध उपलब्ध है ।

3:-श्रमिक शिल्पकार तथा पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को स्वत: प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधायें दी जा रही है । रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम व्यवसायिक निर्देश दिया जाता है जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने के लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एंव शिशु प्रशिक्षण अधिनियम के अन्तर्गत नियोजकों के यहॉ लगाये जाने का प्रयास किया जाता है ।

4:- अभ्यर्थियों की बेरोजगारी को देखते हुये उपरोक्त विभिन्न सुविधाओं के अन्तर्गत साधन पर्याप्त नहीं है तथा रोजगार के अवसर भी कम उपलब्ध हैं । जिससे दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की संख्या और अधिक बढ़ती जा रही है । वर्तमान योजना में स्वत: रोजगार पर ही अधिक बल दिया गया है ।

अशोक/

## अध्याय-6

### पिछड़े समुदाय की समस्या :-

समाज में हरिजन वर्ग सदियों से दरिद्रता, निर्धनता, अशिक्षा, सामाजिक असमानता तथा छूआछूत से पीड़ित रहा है और सबल लोगों द्वारा इनका शोषण होता रहा है । जिससे कि समाज में इनकी स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में कमजोर होती गयी । राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आदि बड़े नेताओं ने इनके उत्थान तथा समाज में बराबर का दर्जा देने के लिये अथक प्रयास किया । गाँधी जी ने कहा था कि ऐसे समाज का सदस्य रहकर मैं जीना नहीं चाहता, जो अपने दलित भाईयों के साथ जरा सा भी न्याय नहीं करना चाहता खासकर उस समय जबकि वे अपने किसी अपराध से अछूते नहीं है उन्होनें इनको हरिजन का नाम दिया ।

हमारे जनपद में 3.94 लाख अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं जो कि कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत है । यद्यपि इस जनपद के हरिजन वर्ग शिक्षा तथा आर्थिक विषय में अन्य जनपदों से काफी आगे हैं । फिर भी आबादी में 70 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं । इनके पास आजीविका के समुचित साधन नहीं है, जिससे या तो दूसरों की मजदूरी करते हैं या छोटी मोटी दस्तकारी । जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन हैं वे उसके द्वारा जीविकोपार्जन कर रहे हैं । देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश और प्रदेश की सरकारों ने इनके उत्थान के लिये अथक प्रयास किये हैं, जिससे कि ये सामुदायिक एंव आर्थिक दृष्टि से सबल हो सकें ।इसी परिपेक्ष्य में बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा, शासकीय सेवाओं में आरक्षण का प्राविधान किया गया है जिसमें किसी हद तक सफलता मिली है ।

लेकिन हमारी माननीया स्वर्गीय श्रीमती प्रधान मंत्री जी ने अनुभव किया कि जितना लाभ इस वर्ग को मिलना चाहिये उतना नहीं मिल पा रहा है । अत: अनुसूचित जातियों के आर्थिक कार्यक्रमोंको तेजी तथा प्रभावशाली ढ़ँग

से चलाने और इस वर्ग के लोगों को सरलता से वित्तीय सुविधा सुलभ कराने हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की एक नयी योजना 2 अक्टूबर 1980 से चलाई गयी, जिसके अन्तर्गत अलग से एक कार्यालय का सृजन किया गया है और प्रत्येक विभागों में हरिजनों को लाभ पहुँचाने हेतु धन मात्राकृत कर दिया गया है । इन प्रत्येक विकास विभागों की जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति द्वारा प्रगति समीक्षा की जाती है । 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भी इसकी प्रगति की समीक्षा की जाती है । एक बहुत सीमा तक अस्पृश्यता भी कम हो गयी है ।शासन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का स्तर, आत्म सम्मान तथा मनोबल ऊँचा करने के लिये कटिबद्ध है । इसी क्रम में शासन ने वर्ष 1984-85 में पिछड़ी जाति के 3500 छात्रों को 5.27 लाख रू0 छात्रवृत्ति के रूप में दिये एंव 10440 हरिजन विद्यार्थियों को 3.53 लाख रूपये की पुस्तकें तथा लेखन सामग्री वितरित की गयी । इसके अतिरिक्त दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 32 हजार रू0 की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की गयी । स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत वर्ष 1934-85 में 7200 के विपरीत 7596 हरिजन परिवारों को बैंक ऋण, अनुदान तथा अन्य साधन सुलभ करा कर उन्हें रोजगार दिलाकर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया ।

इस पिछड़े समुदाय की अन्य समस्याओं के साथ ही परित्यक्त महिलायें निराश्रित बालकों, विकलांगों , पतित तथा पतोन्मुख महिलाओं के लिये विभिन्न संस्थायें संचालित की गयी । इस जनपद में जिला शरणालय एंव प्रवेशालय।महिला। राजकीय पर्यवेक्षण गृह तथा राजकीय अनुमोदित विद्यालय चल रहे हैं । इसके अतिरिक्त विधवा महिलाओं के लिये अनुदान की सुविधा, हरिजन एंव समाज कल्याण से सुलभ हैं एंव विकलांगों को कृत्रिम अंगों तथा जीवन यापन के लिये अनुदान दिये जाने की योजना है ।

## अध्याय-7

जिला नियोजन में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की भाँति विकास चाहते हैं और उनके लिये अन्य जनपदों की भाँति इस जनपद में भी कार्यक्रम है । कुछ ऐसे भी कार्यक्रम है जो इस जनपद की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप है । अत: उनके लिये विशेष कार्यक्रम बनाये जाते है । जो योजनायें सभी जिलों में चल रही है । उनमें मुख्य निम्नलिखित है :-

1-एकीकृत ग्राम्य विकास योजना

2-स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना

3-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना का उद्देश्य देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को इस रेखा से ऊपर उठाना है । जिन परिवारों की वार्षिक आय 3500/- रु0 तक है । वह इस श्रेणी में आते हैं । प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विकास खण्ड से 600 परिवारों का चयन कर उनकी आय को इस प्रकार बढ़ाना है कि वह इस सीमा से ऊपर हो जायें । इसके लिये अन्त्योदय प्रणाली तथा कल्सटर एप्रोच अर्थात् समूह चयन विधि प्रयोग की जाती है ।

आय बढ़ाने के लिये परिवारों को उनके वर्तमान व्यवसायों में सहायता करना, नये व्यवसाय देना तथा परिवार के अन्य सदस्यों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के अन्य कार्यों में लगाना है । इसके लिये कृषि पोषक, कृषि सहायक, व्यापार, उद्यम तथा ट्राइसम की योजनायें हैं ।

इस जनपद के सभी 14 विकास खण्डों में यह योजना कार्य कर रही है तथा इसके द्वारा संतोषजनक उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं । इन उपलब्धियों को और ऊँचा उठाने की आवश्यकता है । इस कार्यक्रम के संचालन में निम्न विशेष कठिनाईयाँ आ रही है ।

1:-कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिये बैंकों की वित्तीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है । सभी बैंक मैनेजर कार्यक्रम में आस्था तथा मनोयोग में योगदान नहीं करते हैं ।

2:- जो सहायता दी जाती है उसका लाभ परिस्थितिवश या जान बूझकर नहीं उठाया जाता है, फलस्वरूप वित्तीय सहायता के दुरूपयोग के कारण ऋण वापस करना कठिन हो जाता है तथा बैंक वसूली कम होने के कारण और अधिक ऋण सहायता देने के आनाकानी करते हैं ।

3:- जो सहायता निर्बल वर्ग को दी जाती है उसे कुछ सबल वर्ग के लोग पुराने ऋण के भुगतान के बदले बलपूर्वक प्राप्त कर लेते हैं अथवा ऋणी स्वयं पुराना ऋण दे देता है । जिससे निर्बल परिवार को तो लाभ नहीं होता पर उस पर अदायगी का भार बढ़ जाता है ।

4:-जो परिवार किसी कारणवश पूर्व के बकायादार है वे आगे ऋण सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे परिवारों की संख्या बहुत अधिक है व दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ।इन कठिनाइयों को दूर करके ही इस कार्यक्रम को लोक प्रिय एंव लाभकारी बनाया जा सकता है।

वर्ष 1984-85 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा 8400 लाभार्थियों को 112 लाख रु0 अनुदान दिलाया गया है । 560 प्रशिक्षार्थियों को ट्राइसम योजना में प्रशिक्षित किया गया । वर्ष 1985-86 में भी ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा 8400 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है ।

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित व जनजाति के परिवारों को दी जाने वाली सहायता बढ़ाई गई है । प्रथम तो यह निर्धारित कर दिया गया है कि प्रत्येक विभाग के व्यय का 20 प्रतिशत इस वर्ग के लोगों पर व्यय हो । दूसरे एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के लाभार्थियों को सहायता में वृद्धि कर 25 प्रतिशत या 33⅓- प्रतिशत के अनुदान के ऊपर 50 प्रतिशततक पूरा करने हेतु मार्जिन मनी 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है । यह योजना लाभकारी है पर ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना से बंधकर रह गई है । इससे

केवल उन्हीं लोगों को लाभ मिल सकता है । जो आई0आर0डी0 से लाभान्वित हों । शहरी क्षेत्र में इसका योगदान कम है क्योंकि वहाँ के लिये कार्यकर्ता कम है ।

यदि इस योजना को सबल बनाना है तो एक और सघन कार्यक्रम लेना होगा जैसा कि इस जनपद के छः विकास खण्ड में है । इसके लिये सभी विकास खण्डों में अतिरिक्त स्टाफ भी देना होगा । दूसरे इस योजना को स्वतन्त्र रूप देना होगा ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना :-

यह " श्रम के बदले अन्न " योजना का परिष्कृत रूप है । इसमें ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों , नालों, तालाबों, पुलियाँ आदि बनाने का प्राविधान है । इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सड़कें ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु बनाई गई है । इसके अतिरिक्त किये गये अन्य कार्य भी ग्रामों के लिये उपयोगी हैं ।

इस कार्यक्रम को अब चलाने में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वे निम्नलिखित है :-

॥1॥ अभी तक जो कार्य हुये हैं वे अस्थायी प्रकृति के हैं, उन्हें स्थायी प्रकृति का बनाना आवश्यक है और यही वर्तमान नीति भी है ।

॥2॥ भारी कार्यों के लिये भी श्रम व वस्तुअंश 60 प्रतिशत व 40 प्रतिशत है जबकि अभियन्ताओं के अनुसार यह 20 प्रतिशत व 80 प्रतिशत होना चाहिए । यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है तथा उस पर जितनी जल्दी निर्णय हो जाये कार्य प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए ।

जिले की विशिष्ट योजना :-

इटावा जनपद ग्राम्य विकास कार्य में अग्रणी रहा है । वर्ष 1948 से ही अलवर्ट मायर की देखरेख में यहाँ ग्राम्य विकास कार्य प्रारम्भ किया गया था इसी कार्यक्रम से प्रभावित होकर इटावा जिले में अग्रगामी विकास योजना का

सूत्रपात किया गया । यह योजना अब भी इस जिले के 3. विकास खण्डों महेवा, अजीतमल तथा भाग्यनगर में कार्य कर रही है । इस योजना के अन्तर्गत भूमि सुधार, युवक कल्याण, कृषि यंत्र , उत्पादन कृत्रिम गर्भाधान, अल्प सिंचाई अनर सुधार, वायो गैस संयंत्र स्थापना आदि कार्य किये जा रहे हैं । इस योजना को और अधिक गति देने तथा ऐसे नये कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है जो साधारण विकास खण्डों में न लिये जा रहे हैं । स्पेशल कम्पोनेन्ट का सघन कार्यक्रम जो महेवा विकास खण्ड में चल रहा है । इसका एक उदाहरण है ।

अशोक/

अध्याय-8

उत्तर प्रदेश जैसे निर्धन प्रदेश में घरेलू बचत बहुत कम हो पाती है जबकि विकास योजनाओं पर होने वाला ब्यय केन्द्र द्वारा प्रदेश की आन्तारिक बचत के आधार पर स्वीकृत किया जाता है । अतः घरेलू बचत को प्रोत्साहन देनेके लिये वित्तीय बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ - साथ विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिये कृषि क्षेत्रों में कृषकों को तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लघु उद्योगों एंव नगरीय क्षेत्र में बड़े उद्योगों के लिये भी वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं । सभी प्रकार के ब्यवसायों के लिये भी बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध है ।

मार्च 1985 तक जनपद में 111 बैंक शाखायें कार्यरत थीं जिसमें से 80 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही थी । जनपद की लीड बैंक , सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया है । इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ इण्डिया, दि न्यू बैंक आफ इण्डिया, बरेली कारपोरेशन बैंक एंव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखायें भी जनपद में कार्यरत हैं । साथ ही भूमि विकास बैंक जनपद में दीर्घ कालीन ऋण की ब्यवस्था कर रहा है एंव सहकारी बैंकों द्वारा खाद और बीज के साथ-साथ अन्य योजनाओं के लिये भी कृषकों को ऋण सुविधायें उपलब्ध है । जनपद में दिसम्बर 1985 तक सभी अनुसूचित बैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दी गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्न तालिका में दिखाया गया है ।

| क्रम सं0 | मद | धनराशि §हजार रूपये में§ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1- | जमा धनराशि | 700194 |
| 2- | कुल ऋण वितरण | 399733 |
| 3- | जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत | 57.08 |
| 4- | प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण | |
| | 4.1-कृषि | 173089 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 4. 2–लघु उद्योग | 26605 |
| | 4. 3–फुटकर ब्यापार | 2[illegible]29[illegible] |
| | 4. 4–अन्य | 1000 |
| 5– | कुल ऋण वितरण में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का प्रतिशत | 60 प्रतिशत |

जनपद में मार्च 1985 तक इन बैंकों की कुल जमा धनराशि 700194 हजार रुपये था और उनके द्वारा 399733 हजार रुपये का ऋण बाँटा गया था। इस प्रकार मार्च 1985 में ऋण जमा पूँजी का अनुपात 57.08 प्रतिशत हो गया है।

बैंक अतिरिक्त ए0आर0डी0 विभिन्न निगमों, विश्व बैंक एंव अन्य संस्थाओं द्वारा स्वीकृत एकीकृत योजनायें जनपद में कार्यरत हैं एंव उनेक लिये धन की ब्यवस्था की गई है।

जनपद में सहकारी बैंक की 20 शाखायें कार्यरत हैं। इनके द्वारा वर्ष 1983–84 में 46542 हजार रुपये का ऋण का वितरण किया गया।

जनपद में भूमि विकास बैंक की चार शाखायें प्रत्येक तहसील स्तर पर कार्यरत हैं। वर्ष 1984 में जनपद के अन्तर्गत अल्प सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 9704 हजार रु0 की धनराशि दीर्घ कालीन ऋण के रुप में विकास बैंक द्वारा वितरित की गई।

जनपद में कार्यरत समस्त अनुसूचित बैंकों द्वारा पारस्परिक सहायोग एंव समन्वय के आधार पर जनपद के लीड बैंक के संयोजन में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कृत बैंकों के नियम साधारणतया जटिल होते हैं जिनके पालन करने में ग्राम वासियों को कठिनाई का अनुभव होता है। अतः ऋण वितरण प्रणाली एंव प्रक्रिया को सरलीकरण अत्यावश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये अब

शासन के इन नियमों में काफी सरलीकरण किया गया है तथा आगे और भी इन नियमों को सरल बनाने का प्रयास उच्च स्तर पर किया जा रहा है ।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
Doc. No. 3805
Date 4/6/89

अशोक/

## अध्याय-9

### दीर्घकालीन विकास की रूपरेखा :-

इटावा जनपद के दीर्घकालीन विकास को वर्तमान आर्थिक स्थिति एंव भविष्य की आवश्यकता के परिपेक्ष्य में देखना होगा । वर्तमान स्थिति की मुख्य बातें यह हैं :-

1- जिले में कोई बड़ा उद्योग नहीं है ।

2- इस कारण सहायक उद्योग भी नहीं है ।

3- अधिकांश हिस्सा बीहड़ होने के कारण कृषि योग्य नहीं है तथा डाकुओं का शरण स्थान है ।

4- इस भाग में सिंचाई की सुविधायें सामान्य हैं ।

5- इस भाग में विशेष रूप से व सामान्यतः अन्य भागों में पक्की सड़कों की कमी है ।

6- जिले में केवल एक रेलवे लाईन है ।

7- जिले में आलू का उत्पादन काफी है । जिसका प्रयोग औद्योगिक रूप में नहीं होता ।

8- जिले में मटर काफी होती है पर इसका भी औद्योगिक प्रयोग नहीं होता ।

9- जिले में कोई बिजली उत्पादन केन्द्र नहीं है ।

10-जिले में कोई खनिज नहीं पाया जाता है ।

उपरोक्त के सन्दर्भ में ही भविष्य की योजना पर विचार किया जा सकता है ।इसमें से कुछ कार्य केवल प्रान्तीय व केन्द्रीय सरकार द्वारा ही किये जा सकते हैं अर्थात्

1:- जिले में बड़ा उद्योग लगाना । इसमें कपड़ा मिल, ऊनी मिल, प्लास्टिक समान की मिल, रसायन मिल, कागज मिल एंव उर्वरक फैक्ट्री आदि सम्भावित है ।

2:- जिले में रेलवे लाईन की और जरूरत है विशेष रूप से यदि इटावा को बरेली वाया शाहजहाँपुर तथा इटावा से ग्वालियर जोड़ने वाली लाइनें बना दी जावें तो इससे दो मेन लाइनें जुड़ जायेंगी तथा इस क्षेत्र का भी विकास होगा जहाँ होकर यह लाइनें जायेगी।

3:- जिले की उपज आलू व मटर का प्रयोग करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा बोडिका बनाने, स्प्रिट बनाने, स्टार्च फैक्ट्री व मटर की डिब्बा बंदी के कारखाने खोले जा सकते हैं । यदि निजी क्षेत्र में प्रदेश में इस प्रकार के कारखाने खोलने का प्रस्ताव हो तो उसे भी इस जिले में ही लाइसेन्स देना उचित होगा ।

4:- जिले में बिजली का उत्पादन केन्द्र खोलना अत्यिन्त आवश्यक हैं । इससे औद्योगिक विकास को तो सहायता मिलेगी ही साथ ही जो बिजली का जाल फैला हुआ है वह भी उपयोगीहोगा ।

5:- जिले के बीहड़ को समतल करने हेतु भी एक प्रादेशिक संस्थान की आवश्यकता है । यद्यपि यह कार्य इस समय कई संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है पर इस समय भूमि संरक्षण § अभियन्त्रण § विभाग बीहड़ सुधार का कार्य कर रहा है तथा इस कार्य के लिये समुचित बजट का प्राविधान भी किया गया है ।

6:- इस क्षेत्र में जो पारपट्टी कहलाता है सिंचाई की विकट समस्या है । इसके लिये जो पचनदा योजना बनी है तथा सरकारी नलकूपों की योजना बनी है उसे कार्यान्वित करने के लिये शासन को इस क्षेत्र में अलग से विकास संस्थान का निर्माण करना होगा जो सभी विभागों का समन्वय कर सके तथा इन कार्यों का पूर्ण रूप से जिम्मेदार हो ।

7:- प्रादेशिक सरकार इस क्षेत्र में विशेष रूप से व अन्य क्षेत्रों में भी पक्की सड़कों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लें । जिसके लिये पूरे जिले की एक सड़क योजना बनाई जावे । इसमें मुख्य रूप से यह सड़कें ली जायें ।

1:- इटावा से एक सड़क कानपुर को रेल के समानान्तर

2:- इटावा से एक सड़क टूंडला अलीगढ़ को

3:- चकरनगर से अजीतमल को

4:- अजीतमल से जालौन को

5:- अछल्दा से बकेवर को

6:- जसवन्तनगर आगरा मार्ग को बढ़पुरा आगरा मार्ग लिंक रोड

7:- जसवन्तनगर से झटावा मैनपुरी मार्ग को लिंक करती सड़क ।

इन सड़कों को मुख्य कस्बों व ग्रामों से लिंक करती सड़कें जिला परिषद व ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा बनावें ।

जिले में सड़कों के बनने से जो पानी निकास में अवरोध हो रहा है उसके लिये एक जिले की योजना बनी है । इस पर लगभग 42 लाख रुपये व्यय होगें । इस योजना को जिला योजना के 10 वर्षीय आयोजन में लेना उचित होगा । इसके अतिरिक्त यमुना पर लखना, चकरनगर मार्ग पर एक सेतु तथा चकरनगर तिंदौंस मार्ग पर चम्बल क्वारी नदियों पर यदि एक-एक सेतु का निर्माण करा दिया जाये जो बीहड़ की सामाजिक एंव आर्थिक स्थिति में उन्नति संभावित है । तथा मध्य प्रदेश तथा जनपद जालौन से सीधा सम्पर्क हो जाने के कारण इस क्षेत्र में अच्छी मण्डियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं ।

अशोक/

## अध्याय-10

योजना निर्माण करते समय जनपद के सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय तथा निर्बल वर्ग की अतिरिक्त आय वृद्धि कर उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया है । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनपद में उपलब्ध समस्त स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपभोग करने का प्रयास किया गया है ।

योजना के अन्तर्गत उपलब्ध भूमि, पशुधन, लघु एंव कुटीर उद्योगों की उत्पादकता वृद्धि पर विशेष ध्यान देकर अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित किया गया है ।

कृषि उत्पादन में मुख्यत: खाद्यान्न वृद्धि पर बल दिया गया और कृषि पर निर्भर समाज को कुटीर उद्योगों एंव पशुपालन ऐसे कार्यक्रम अपना कर अतिरिक्त आय वृद्धि एंव रोजगार प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित किया गया है । योजना में कृषि उत्पादन वृद्धि के लिये फसली ऋण, कृषि निवेशों की पूर्ति, उर्वरक प्रयोग तथा सिंचाई सुविधा जुटाने का यथा उचित समावेश किया गया है ।

योजना निर्माण में यथा सम्भव 60 प्रतिशत उत्पादक कार्यक्रमों तथा 40 प्रतिशत अन्य कार्यक्रमों का समावेश किया गया है । इनमें वर्तमान में चल रही उन योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है जो स्थानीय परिस्थितियों में समाज को सीधे लाभान्वित करती है ।

यह भी ध्यान में रखा गया है कि राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों तथा प्रारम्भिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा , स्वच्छ पेयजल , ग्रामीण सड़कें ग्रामीण विद्युतीकरण, भूमिहीन श्रमिकों तथा निर्बल वर्ग को आवास भवन एंव पौष्टिक आदि कार्यक्रम , छठी पंचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित प्राथमिकता के लक्ष्यों के अनुसार वार्षिक लक्ष्य में समायोजित किया गया है ।

इस योजना में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना तथा विशेष समन्वित योजना । स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान । की निर्धारित नीति एंव सीमान्त कृषकों भूमिहीन श्रमिकों तथा ग्रामीण दस्तकारों की अतिरिक्त आय वृद्धि कर रोजगार सृजन के अवसर निहित किये गये हैं ।

योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त लक्षित वर्ग के परिवारों के युवकों तथा महिलाओं को विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों तथा सेवाओं में प्रशिक्षित कर ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत ऋण सुविधा उपलब्ध कराके अनुदान की सहायता तथा रोजगार यूनिट स्थापना का समुचित प्राविधान किया गया है ।

जनपद में प्रवाहित होने वाली यमुना, चम्बल तथा सेंगर आदि मुख्य नदियों की बाढ़ के अतिरिक्त तहसील भरथना, औरैया तथा विधूना में प्रतिवर्ष अतिवृष्टि से जल प्लावन द्वारा अधिकाँश प्रभावित हो जाने वाले क्षेत्र से हजारों हेक्टेयर जलमग्न भूमि एंव फसल क्षति को बचाने के उद्देश्य से पानी के निकास हेतु भी नाला निर्माण की विशेष योजनायें बनाई जा रही है ।

अशोक/

## अध्याय-11

## राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनता के जीवन स्तर को उठाने के लिये ब्यक्तिगत एंव सामूहिक खपत का एक न्यूनतम माप दण्ड निर्धारित करने की सिफारिश की गई है । ब्यक्तिगत आवश्यकताओं के संबंध में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान मूल्यों के अधार पर कम से कम 3500 रूपये प्रति वर्ष प्रति परिवार उपलब्ध होना चाहिये । सामूहिक खपत जैसे प्रारम्भिक शिक्षा ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जलपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण एंव ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को आवास सुविधा एंव पुष्टाहार आदि के विषय में यह निर्णय लिया गया है कि इसके लिये एक न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाय । इस न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की इकाई जिला माना गया है । अतः विभिन्न स्तरों पर योजना बनाते समय इस न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड को ध्यान में रखा गया है ।

### प्रारम्भिक शिक्षा :-

जनपद में 1265 जूनियर बेसिक स्कूल है जिसमें से 1151 ग्रामीण क्षेत्र में एंव 114 नगरीय क्षेत्र में कार्यरत हैं । प्रयास यह किया जा रहा है कि 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों में से कम से कम 95 प्रतिशत बच्चे तथा 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के कम से कम 50 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में अवश्य पहुँच जायें । साथ ही नान फार्मल शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जाय । द्वितीय वर्ष में लक्ष्य का 60 प्रतिशत प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

### ग्रामीण स्वास्थ्य :-

जनपद में 50 एलोपैथिक चिकित्सालय एंव औषधालय, 32 आयुर्वेदिक चिकित्सालय एंव औषधालय, 5 होम्योपैथिक एंव एक यूनानी चिकित्सालय है। उपरोक्त के अतिरिक्त 17 परिवार कल्याण केन्द्र एंव 89 मातृ एंव शिशु कल्याण केन्द्र भी जनपद में कार्यरत है । विकास खण्ड अछल्दा एंव भाग्यनगर में कोई एलोपैथिक चिकित्सालय नहीं है । योजना काल में इन दोनों विकास खण्डों में भी

चिकित्सालय खोलने का लक्ष्य रखा जा रहा है । इसके अतिरिक्त कम्युनिटी हेल्थ स्वयं सेवकों की संख्या एंव सब सेण्टरों की संख्या को भी बढ़ाकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक 30 हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध हो जाय ।

ग्रामीण सम्पूर्ति :-

इटावा जनपद में कुल 1477 आबाद ग्राम हैं जिनमें 326 ग्राम गर्मी के मौसम में अभाव ग्रस्त है । इनमें से केवल 17। ग्राम ऐसे जिनमें वर्ष भर पानी की कमी के कारण ग्रामवासियों को कठिनाई होती है । इस योजना में ग्रामों में पानी की स्वच्छ एंव समुचित व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है ।योजना काल के अन्त तक समस्त ग्रामों में निश्चित सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ।

हरिजनों को पेयजल उपलब्ध कराने की शासन की योजना के अन्तर्गत उन सभी ग्रामों में जहाँ हरिजनों के काफी परिवार है तथा पेयजल कूप एंव नल नहीं है । इण्डिया मार्क - 2 का निर्माण शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में कराया जाता है । केवल भूमि ग्राम वासियों को उपलब्ध करानी होती है । इसके लिये कुयें की गहराई के हिसाब से अनुदान देय होता है । सारा कार्य खण्ड विकास अधिकारी की देख-रेख में कराया जाता है ।

ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों की आवास सुविधा :-

ग्रामों में जहाँ लोगों के पास रहने को मकान नहीं है, 3600 रू0 वार्षिक से कम आमदनी वाले परिवारों को मकान में सहायता देने की योजना है । इसमें जाति या धर्म का बन्धन नहीं है, केवल आय का बंधन है । शासन मकान बनाने में 2000/- की सहायता देता है । भूमि परिवार की अपनी या ग्राम सभा द्वारा आवण्टित होती है । प्राय: 10 या 15 मकानों का एक समूह बनाया जाता है । जिसमें लागतें कम आती हैं । तथा क्षेत्र का भी विकास हो सकता है पर अलग - अलग मकान भी बन सकतें हैं । मकान प्राय: एक कमरे, एक बरामदे व चौके तथा जगह उपलब्ध होने पर आँगन सहित होते हैं । मकान कच्ची

दीवारों के होते हैं , पर यदि लाभार्थी चाहे तो पक्की ईंटों की भी दीवार बना सकता है । सहायता रु0 2000/- तक सीमित है और अधिक धन की आवश्यकता होने पर बैंकों से ऋण दिलाया जा सकता है ।

पुष्टाहार :-

इस योजना के अन्तर्गत बच्चों व गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं इसमें वर्तमान भोजन को पौष्टिक रूप देना, पौष्टिकता हेतु नये भोजन बनाना, गृह वाटिका व फलदार पौधों का उगाना तथा इसके लिये बीज यंत्र आदि की सहायता देना है ।

इस कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को पौष्टिकता का प्रशिक्षण ग्रामों में तथा प्रशिक्षण केन्द्रों पर दिया जाता है । इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग की महिला कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित किया जाता है । इसमें स्वास्थ्य व कुपोषण तथा स्वास्थ्य रक्षा के कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं ।

विशेष पुष्टाहार में अनाज, दुग्ध चूर्ण सोयाबीन तेल आदि का वितरण ग्रामों , विकास खण्ड तथा स्कूलों के माध्यम से किया जाता है जिससे स्थानीय सहायता लेकर पौष्टिक आहार बच्चों व महिलाओं में वितरित किया जा सके व जिन्हें आवश्यकता है , उन्हें पौष्टिक पदार्थ मिल सकें ।

अशोक/

## अध्याय-12

### पिछड़े समुदाय के लिये कार्यक्रम :-

जनपद इटावा में अनुसूचित जाति एंव जनजाति की जनसंख्या, कुल जनसंख्या की 25 प्रतिशत है । इसमें से 75 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनमें लघु एंव सीमान्त कृषक, मजदूर , कृषक मजदूर एंव हस्तकार सम्मिलित है । इनके त्वरित आर्थिक विकास हेतु शासन कटिबद्ध है । इसी लिये माननीया स्व0 प्रधान मंत्री जी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम में विशेष रूप से इस कार्यक्रम को लिया है । शासन की नीति के अनुसार इस वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को छठी पंचवर्षीय योजनाकाल के अन्त तक 50 प्रतिशत और सातवीं योजनाकाल तक शत प्रतिशत परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है । इसके त्वरित आर्थिक विकास एंव अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु शासन द्वारा विभिन्न योजनायें चलाई जा रही है, जिनमें स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना तथा ग्रामीण रोजगार योजना मुख्य है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकास विभाग में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत हरिजनोत्थान हेतु धन मात्राकृत कर दिया गया है और भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं । अपर जिला विकास अधिकारी (ह0क0) विभिन्न विभागों की प्रगति का अनुश्रवण करेंगे तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति की बैठक में इसकी समीक्षा जिलाधिकारी महोदय करते हैं ।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष कुल लक्ष्य का 50 प्रतिशत हरिजन परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा जिसके अनुसार इस वर्ष 4200 हरिजन परिवारों को लाभान्वित कराना है जो कि गरीबी की रेखा से नीचे हैं । गत वर्ष स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास विभागों द्वारा 8000 लक्ष्य के विपरीत 8366 हरिजन परिवार लाभान्वित कराये गये हैं। इस वर्ष भी 8000 हरिजन परिवारों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य निर्धारित

किया गया है । जिन विभागों के लक्ष्य स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत प्राप्त नहीं हुये हैं उन्हें 25 प्रतिशत अपनी योजना में हरिजनों को लाभान्वित करने के लक्ष्य निर्धारित करने के लिये निर्देश दिये गये हैं ।

स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत सघन रूप से कार्य करने हेतु इस वर्ष 10 विकास खण्ड चयनित हैं । इन विकास खण्डों में हरिजनों के उत्थान हेतु समन्वित योजनायें चल रही हैं, जिसमें हरिजन उद्यमियों हेतु दुकानों का निर्माण कृषक मजदूरों को कृषि योग्य भूमि क्रय कर वितरित करने की योजना, हरिजन बाहुल्य ग्रामों में जहाँ उनकी संख्या अधिक है, नलकूप लगाने का कार्य चल रहा है इसके अतिरिक्त व्यवसायिक बैंकों द्वारा हरिजनों को उनकी व्यक्तिगत योजनाओं में ऋण दिलाकर उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की योजना है, जिससे कि वह गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें । अब शासन द्वारा 6000 रू० तककी योजनाओं के लिये 50 प्रतिशत अनुदान का प्राविधान कर दिया गया है । लेकिन राष्ट्रीयकृत तथा अनुसूचित बैंक अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो कि सम्पत्ति-विहीन है, ऋण स्वीकृत करनेमें संकोच करते हैं और योजना के अनुसार पूरा ऋण नहीं स्वीकृत हो पाता है, जिससे कि योजना सही रूप से नहीं चला पाते हैं और जितना लाभ उन्हें मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना होने के पूर्व खाद्यान्न रूप में मजदूरी योजना के अन्तर्गत इस जनपद का श्रमिक वर्ग पर्याप्त लाभान्वित हुआ है । किन्तु राष्ट्रीय रोजगार योजना से अभी तक इतना लाभान्वित नहीं हो सकी है ।अतः श्रमिकों को वस्तु के रूप में अधिकाँश मजदूरी देने की व्यवस्था करना आवश्यक प्रतीत होता है और इनमें अनुसूचित जाति के श्रमिकों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

वर्ष 1983-84 में इस योजना के अन्तर्गत विकास विभागों द्वारा

96.61 लाख रुपया हरिजन परिवारों को व्यवसायिक बैंकों से ऋण के रूप में वितरित किया गया और इन्हीं परिवारों को 42.58 लाख रू० अनुदान तथा मार्जिन मनी ऋण के रूप में वितरित किया गया ।

अशोक/

अध्याय-13

जनपद- इटावा जिले का विकास कार्यक्रम

वर्ष 1986-87 सातवीं योजना का द्वितीय वर्ष है। इस वर्ष की योजनाओं में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे है, उनका विवरण विभागवार निम्न प्रकार है:-

1-कृषि

इस विभाग के अन्तर्गत इस वर्ष मजदूरी की मद में 1.68 लाख रुपया तथा माल सम्पत्ति के मद में 2 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त दलहन फसल के उत्पादन की योजना के अन्तर्गत 51.50 हजार का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार कुल 419.50 हजार रुपया प्रस्तावित है।

2-कृषि रक्षा

5

इस विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण गोदाम के निर्माण के लिये एक लाख रुपया का प्राविधान किया है जो फफूंद, इकदिल, मुरादगंज, ऊसराहार एवं वेला में बनाये जायेंगेविकास खण्डों के अतिरिक्त सुदूर ग्रामीण अंचलों में नयी कृषि रक्षा इकाइयों की स्थापना हेतु 25 हजार रु०एवं कृषि रक्षा के सुदृढीकरण की योजना के अन्तर्गत चालू योजनाके लिये 17,200 रुपये का आवंटन प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त दलहन फसलों के उत्पादन योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपये दवाई अनुदान का प्राविधान किया गया है।

3-उद्यान

विभाग के अन्तर्गत वर्तमान अधूरी बिल्डिंग एवं बाउण्ड्री वाल के लिये 153 हजार रूपये का प्राविधान प्रस्तावित है।

4-सामुदायिक फल संरक्षण

विभाग के अन्तर्गत इस जनपद में 3 इकाइयाँ कार्यरत हैं। जिनके अधिष्ठा हेतु 1.20 लाख रूपये का प्राविधान प्रस्तावित है।

5-भूमि सुधार

इस योजना के अन्तर्गत जनपद के 25 भूमिहीन हरिजनों को आवंटित भूमि में कृषि उत्पादन हेतु 50 हजार रूपये का अनुदान की धनराशि काप्राविधान किया गया है।

6-निजी लघु सिचाई

---

इस विभाग के अन्तर्गत एक विकास खण्ड में बोरिंग गोदाम के लिये 55 हजार रूपया तक संयन्त्रों के क्रय के लिये 215 हजार रूपये (तथा निःशुल्क बोरिंग हेतु 400 हजार रु०) का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार कुल 670 हजार रूपये प्रस्तावित है !

7-राजकीय लघु सिचाई

---

इस विभाग के अन्तर्गत 7 नये राजकीय नलकूप निर्माण एवं 7 राजकीय नलकूपों की पुनः बोरिंग हेतु 45 लाख रूपये का प्राविधान किया गया है ।

8-भूमि संरक्षण

---

इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में खाइड भूमि के पुनर्वापरण की योजना के अन्तर्गत 28 लाख 50 हजार रूपये (2850 हजार) भूमि संरक्षण अधिकारी (अभियन्त्रण) को तथा प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भूमि एवं जलसंरक्षण योजना के अन्तर्गत 20 लाख रूपया भूमि संरक्षण अधिकारी, औरैया, स्थान-इटावा को आवंटित किया गया है ।

इसके अतिरिक्त प्रदेश की क्षारीय एवं एल्कलाइन भूमि के सुधार की योजना के अन्तर्गत 5 लाख रूपये का प्राविधान है । इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत 5350 हजार रूपया आवंटित किया गया है ।

9-10-क्षेत्रीय विकास विभाग

---

इस विभाग के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन शिल्पकारों एवं श्रमिकों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये 59 लाख रूपये का अनुदान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त निजी अल्प सिचाई योजना के लिये 14 लाख रू० कृषि कीट अनुदान के लिये 14 लाख एवं वृक्षारोपण अनुदान के लिये 7 लाख रूपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। यह सभी योजनायें केन्द्र पोषित योजनायें है तथा इनमें इतना ही धन भारत सरकार द्वारा भी दिया जायेगा ।

11-पशुपालन

---

इस विभाग के अन्तर्गत 5 पशुसेवा केन्द्र 1-रूरूगंज (बिधूना) 2-क्योटरा (औरैया) 3-परसौआ (जसवन्तनगर) 4-ताँफर (अजीतमल) 5-मामन (ताखा) ब्लाक में पशु सेवा केन्द्र खोलने हेतु 127 हजार रूपये का प्राविधान किया गयाहै।

2-राज्य के स्थानीय निकायों द्वारा चालित पशु चिकित्सा केन्द्र शाखा के प्रान्तीकरण हेतु 51 हजार रूपये का प्राविधान किया गया है।

3-खुरपका, मुंहपका रोग के रोकथाम हेतु 7500 रूपये का प्राविधान किया गया है ।

4-तरलवीर्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रजनन सुविधाओं के सुधार एवं प्रसार के लिये 20 हजार रूपये का प्राविधान है ।

5-इटावा जनपद में भादावरी भैंसों एवं जमुनापारी बकरीप्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना के लिये 8 लाख रूपये का प्राविधान किया गया है।

6-अतिहिमीकृति वीर्य द्वाराकृत्रिम गर्भाधान के अन्तर्गत 128हजार रूपये का प्राविधान है ।

7-संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के सहयोग सेव्यवहारिक पुष्टाहार कुक्कुट उत्पादन योजना में 4 हजार रू0 का प्राविधान है ।

8-60 पशु चिकित्सालयों पर 2 बकरे तथा 15 पशु चिकित्सालय पर2 के स्थान पर 4 बकरे रखने की योजना हेतु 4 हजार रूपये का प्राविधान किया गया है ।

9-उन्नतीशील बकरों का क्रय एवं वितरण हेतु 4 हजार रूपये तथा पशु चिकित्सालयों पर अभिजनन कार्य हेतु सूकर सॉड रखने की योजना के लिये 1.10 हजार रूपये तथा उन्नतीशील नस्ल सुकरों का क्रय एवं वितरण योजना में 2.50हजार रूपये का प्राविधान कियागया है ।

10-छुट्टा एवं जंगली पशुओं का उत्पात रोकने हेतु एक हजार रूपया तथा ग्रामीण प्रसार कार्यक्रम में 6 हजार रूपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

11-चारादीज तथा चारागाहों के विकास की योजना के अन्तर्गत 20 हजार रूपये तथा जमुनापारी बकरी पालकों को प्रोत्साहित करने हेतु 24 हजार रूपये अनुदान की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत 1197.10 हजार रूपये का प्राविधान है ।

12-मत्स्य विभाग

मत्स्य पालन विकास अभिकरण के अनुदान हेतु 40 हजार रूपये का प्रशिक्षण एवं प्रसार हेतु 10 हजार तथा मत्स्य फॉर्म पर प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु एक लाख रूपये का प्राविधान किया गयाहै ।

13-बन विभाग

सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत 23 लाख रूपये का प्राविधान किया गया है ।

14-पंचायत

इस विभाग के अन्तर्गत पंचायत उद्योग के प्रबन्धकीय सहायता में 25 हजार रूपये पंचायत भवन एवं खाडन्जों के निर्माण हेतु 3.50, 3.50 लाख रूपये पंचायतराज संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु 6 हजार तथा हाट बाजार मेला की स्थिति में सुधार हेतु 35 हजार रूपया, कुल प्रकार कुल 766 हजार रूपये का प्राविधान किया गया है ।

15-प्रादेशिक विकास दल

इस विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 47 हजार रूपये का प्राविधान किया गया है ।

16-सामुदायिक विकास

इस विभाग के अन्तर्गत 4 विकास खण्डों (खाखा, सहार, अछल्दा एवं एरवाकटरा) में आवासीय भवन बनाने हेतु 16 लाख रूपये का प्राविधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर विकास कार्यालय भवन निर्माण हेतु 50 लाख रूपये का प्राविधानकिया गया है। जिसमें से इस वर्ष 20 लाख रूपया तथा आगामी वर्षों में 30 लाख रूपया दे दिया जायेगा । इस प्रकार इस वर्ष केवल 36 लाख रूपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

17-सहकारिता

इस विभाग के अन्तर्गत जिला सहकारी बैक की शाखाओं के नवीनीकरण हेतु 15 हजार रूपये, सहकारी उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सीमान्त धनराशि में 50 हजार तथा प्रारम्भिक कृषिऋण समिति के उर्वरक व्यवसाय हेतु 75 हजार रूपया, इस प्रकार 140 हजार रूपया आवंटित करने का विचार है ।

18-विद्युत विभाग

विद्युत विभाग को 426 हजार रूपये का धन प्रस्तावित है ।

19-जिला उद्योग केन्द्र :-

इस विभाग के अन्तर्गत उद्योग केन्द्र के माध्यम से एक लाख रुपया मार्जिन मनी, ऋण एकीकृत मार्जिन मनी ऋण में 5 लाख रुपया, 7.2 हजार रुपया हिस्सा पूँजी ऋण में 40 हजार रुपया, हस्त शिल्प सहकारी समितियों के हिस्सा पूँजी ऋण में 60 हजार रुपये प्रबन्धकीय सहायता में 9 हजार रुपये मेले प्रदर्शनी आदि के लिये 25 हजार रु0 इस प्रकार 841.20 हजार रु0 का प्राविधान किया गया है ।

20-हथकरघा

सहकारी [illegible] को अंशपूँजी ऋण के अन्तर्गत 3 लाख रुपया हथकरघों का आधुनीकरण हेतु [illegible] विक्रय केन्द्रों की सहायता हेतु, 2 लाख रुपये तथा [illegible] कन्ट्रोल हेतु 80 हजार रु0 का प्राविधानहै । इस प्रकार [illegible] है ।

21-रेशम -

माडल [illegible] योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपये का प्राविधान है ।

22-सड़क एंव पुल -

इस योजना के अन्तर्गत 18748.65 हजार रु0 § एक करोड़ ~~तिरानबे~~ सतासी लाख अड़तालीस हजार छः सौ पचास रु0 का प्राविधान किया गया है । जिसकी सड़कवार सूचना बनाई जा रही है तथा बाद में प्रस्तुत की जायेगी ।

23-प्राथमिक शिक्षा -

इस योजना के अन्तर्गत14 भवन रहित प्राइमरी स्कूलों के — [illegible] हेतु 1007 हजार रुपये मान्यता प्राप्त सीनियर बेसिक स्कूलों के अनुदान हेतु 1404 हजार रुपये ग्रामीण क्षेत्र के मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान 17 हजार रुपये ग्रामीण क्षेत्र में बालक एंव बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु 92 हजार रुपये अनुदान तथा अन्य योजनाओं के लिये 1002 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है । इस प्रकार कुल 2622 हजार रुपये का प्राविधान है ।

24-माध्यमिक शिक्षा

इस विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिये 50 हजार रुपये की धनराशि रखी गयी है ।

25-खेलकूद

इस विभाग के अन्तर्गत भी 2351 रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है ।

26-प्राविधिक शिक्षा

पालीटेक्निक के अधूरे भवन निर्माण को पूर्ण कराने हेतु 500 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है ।

27-चिकित्सा एंव जनस्वास्थ्य

इस विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के अन्तर्गत 6 भवनों का निर्माण चल रहा है । जिन्हें पूर्ण करने हेतु 10 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । इसके अतिरिक्त 5 लाख रुपये 11 उप केन्द्रों के निर्माण को पूरा करने हेतु 396 हजार रुपया, क्षय रोग निरोधक औषधियों के लिये 7 लाख रुपये, मलेरिया नियंत्रण के लिये 490 हजार रुपये, 7 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिये, लखना एंव महबदा में 2 प्राथमिक स्वा0 केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु 2.50, 2.50 लाख रुपये [ 5 लाख रुपये] राजकीय चिकित्सालय एंव औषधालयों में 10 शैय्याओं की वृद्धि के लिये 90 हजार रुपये, तहसील स्थित चिकित्सालयों में मेडिकल / सर्जिकल सुविधाओं की व्यवस्था के लिये 55 हजार रुपये, राजकीय चिकित्सालय लखना में पानी एंव बिजली की व्यवस्था के लिये 30 हजार रु0, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बाल रोजा-लियों की व्यवस्था के लिये 1 लाख रु0, डीज़ल जेनेरेटरों की व्यवस्था हेतु 60 हजार रुपये, ई0जी0सी0 मशीन के क्रय हेतु 48 हजार रु0 , 5 ग्रामों में [अन्दावा, कपोटरा, सबहद, पाली खुर्द एंव गढ़ाकासदा में होम्योपैथिक औषधालय खोलने हेतु 2 लाख रु0 तथा होम्योपैथिक दवाओं हेतु 45 हजार रु0 का प्राविधान है । इस प्रकार इस विभाग को कुल प्राविधान 4534 हजार रुपया है ।

28- आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा

इस विभाग के अन्तर्गत 50 हजार रुपये का प्राविधान दवायों के क्रय हेतु तथा 90 हजार रुपये का प्राविधान 4 आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज उरैन (महेबा ब्लाक), दोबा (एरवा कटरा ब्लाक), गुनौली (अछल्दा ब्लाक) तथा साफर (अजीतमल ब्लाक) में खोलने हेतु रखा गया है ।

29- जल निगम

इण्डियां मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाने हेतु 23 लाख रुपये का प्राविधान कियागया है ।

30-हरिजन पेयजल

इस योजना के अन्तर्गत इन्डिया मार्क-2 के हैण्ड पम्प हरिजन बस्तियों में लगाने हेतु 7 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है ।

31-[illegible] निर्बल वर्ग आवास --

निर्बल वर्ग आवास बनाने हेतु इस वर्ष 352 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है ।

32- सेवायोजन

सेवायोजन कार्यालय भवन बनाने हेतु 2 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । भूमि उपलब्ध हो चुकी है ।

33- औद्योगिक प्रशिक्षण

वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत बिस्तार के सुद्रढीकरण हेतु 17 हजार रुपये तथा चल रहे व्यवसायों में साज-सज्जा की कमी की पूर्ति हेतु 13 हजार रुपये एंव मोटर मैकेनिक व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिये इस वर्ष 50 हजार रुपये का प्राविधान साज-सज्जा के लिये प्रस्तावित है । अवशेष साज-सज्जा तथा स्टाफ आदि के लिये आवश्यक अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान अगले वर्ष किया जायेगा ।

34- अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का कल्याण

हरिजन एंव विमुक्त जातियों के कल्याण हेतु शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकें आदि की योजनाओं हेतु 759 हजार का प्राविधान किया गया है ।

35- समाज कल्याण

इस विभाग की योजनाओं हेतु 1533 हजार रुपये का प्राविधान है ।

36- पुष्टाहार

इस योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग को 5 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है ।

- - -

अध्याय-14

## जिला योजना का वित्त पोषण:-

आगामी वर्ष 1986-87 के सम्बन्ध में अनुमान है कि जिला सेक्टर की परिव्यय की धनराशि लगभग 25 करोड़ रूपये होगी । इस समय इसी आवंटन को आधार मानकर जिला योजना की संरचना का कार्य किया है । जिस प्रकार प्रदेश का विकास केवल सरकारी क्षेत्र के परिव्यय पर ही निर्भर नहीं करता तथा अन्य क्षेत्र से उपलब्ध होने वाले संसाधान इसके विकास में सहायता देते है इसी प्रकार जिला योजना तैयार करते समय केवल जिला सेक्टर का परिव्यय 6.51 करोड़ रूपये को ही आधार मानकर योजना नही बनाई गयी है बल्कि चार अन्य क्षेत्रों से भी उपलब्ध कराई गई है जिन श्रोतों से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है उनका विवरण निम्न प्रकार है ।

संस्थागत वित्त/व्यवसायिक बैकों / सहकारी समितियों द्वारा 16.00 करोड रूपये के ऋण दिये जाने का अनुमान है । ग्राम पंचायतों तथा जिला परिषाद द्वारा भी कुछ रूपया खाड़जों एवं सडकों आदि के निर्माण में लगाने की योजना बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसाय के लोगों की निजी पूंजी का भी उपयोग किया जा सकता है। आर्थिक संसाधानों में कठिनाई के कारण संस्थागत वित्त से प्राप्त होने वाले संसाधन के आधार पर ग्राम्य विकास प्राधिकरण तथा हरिजन वित्त निगम को विशेष सहायता जुटाने का प्रयास किया गया है । प्रत्येक विकास खाण्ड में 6 लाख रूपये के अनुदान की दर से 84 लाख रू0 का अनुदान देय होगा जिसके लिये लगभग 3 करोड रूपये की वित्तीय सहायता संसाधान व्यवसायिक बैकों द्वारा उपलब्ध करानी होगी। जो 16.00 करोडरूपये सम्मिलित कर लिये गये हैं। फुटकर ऋण तथा विभिन्न कुटीर उधोगो के लिये भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी जिसका कुल भार संस्थागत वित्त तथा व्यवसायिक बैकों द्वारा ही वहन किया जायेगा । यह सब 16.00 करोड रूपये में सम्मिलित किया जा चुका है । निजी संसाधानों द्वारा जो पूंजी उपलब्ध कराई जायेगी यह मुख्यत: छोटे-छोटे कृषि यंत्र, खाद एवं बीज के रूप में उपलब्ध कराई जानी है जिसका अनुमान नहीं लगाया गया है ।

जी.एल. 2

# जिला सेक्टर योजना

## का व्यय-परिव्यय

1986-87

## जिला विकेन्द्रित योजना वर्ष 1986-87 में विभागवार स्वीकृत परिव्यय जनपद- इटावा ‖हजार रूपये में‖

| क्रमसंख्या‖ विभाग का नाम | | ‖स्वीकृत परिव्यय |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ‖I‖ | **कृषि एवं सम्बन्धित सेवा में** | |
| | 1-कृषि विभाग | 419.50 |
| | 2-कृषि रक्षा | 292.20 |
| | 3-उद्यान | 153.00 |
| | 4-फल संरक्षण | 120.00 |
| | 5-भूमि सुधार | 50.00 |
| | 6-निजी लघु सिंचाई | 670.00 |
| | 7-राजकीय लघु सिंचाई | 4500.00 |
| | 8-भूमि एवं जल संरक्षण | 5350.00 |
| | 9-क्षेत्रीय विकास | 9400.00 |
| | 10-पशु पालन | 1197.10 |
| | 11-मत्स्य विभाग | 150.00 |
| | 12-वन विभाग | 2300.00 ~~2005.00~~ |
| | 13-पंचायतीराज | 766.00 |
| | 14-प्रादेशिक विकास दल | 47.00 |
| | 15-ग्राम्य विकास विभाग | 3600.00 |
| | उपयोग‖I‖ | 29014.80 |
| ‖II‖ | **सहकारिता विकास विभाग** | |
| | 16-सहकारिता विभाग | 140.00 |
| ‖III‖ | **विद्युत विभाग** | |
| | 17-विद्युत विभाग | 426.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| §IV§ | उद्योग एवं खानिज | |
| | 18-§अ§ग्रामीण एवं लघु उद्योग | 841.20 |
| | §ब§हथ करघा | 780.00 |
| | §स§रेशम विभाग | 100.00 |
| | उपयोग § IV § | 1721.20 |
| §V§ | परिवहन एवं संचार | |
| | 19-सड़क एवं पुल | 18748.65 |
| §VI§ | सामाजिक एवं सामुदा[illegible] | |
| | 20-शिक्षा §प्रा[illegible] | [illegible]2.00 |
| | 21-माध्यमिक शिक्षा | [illegible]0.00 |
| | 22-खेलकूद | [illegible].35 |
| | 23-प्राविधिक शिक्षा | 500.00 |
| | 24-चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य | 4334.00 |
| | 25-आयुर्वेद एवं यूनानी | 140.00 |
| | 26-जल निगम | 2300.00 |
| | 27-इन्दिरा [illegible]पेयजल योजना | 700.00 |
| | 28-ग्रामीण आवास | 352.00 |
| | 29-शिल्पकार प्रशिक्षण | 80.00 |
| | 30-सेवायोजन | 200.00 |
| | 31-अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का कल्याण | 759.00 |
| | 32-समाज कल्याण | 1533.00 |
| | 33-पुष्टाहार | 500.00 |
| | उपयोग § VI § | 14072.35 |
| | जनपद का कुल योग | 64123.00 |

विभाग का नाम:- कृषि विभाग  योजनावार व्यय/ परिव्यय  ॥हजार रू0 में॥ जी0एन02

| क्र0सं0॥ | योजना | ॥1980-85॥ वास्तविक व्यय | 1984-85॥ वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय॥ कुल | ॥पूंजीगत | ॥न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | ॥1985-86 अनुमानित व्यय॥ कुल | ॥पूंजीगत | ॥न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | ॥1986-87 प्रस्तावित व्यय॥ कुल | ॥पूंजीगत | ॥न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1-प्रदेश में उन्नतशील बीजों के सम्बर्धन एवं संग्रहण की योजना | | | | | | | | | | | | |
| | ॥अ॥कृषि विभाग | | | | | | | | | | | |
| | 1-मजदूरी | 347.60 | 100.00 | 75.00 | - | - | 75.00 | - | - | 75.00 | - | - |
| | 2-माल सम्पूर्ति | 755.90 | 260.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | 100,00 | - | - |
| | ॥ब॥सम्भागीय कृषि परीक्षण केन्द्र | | | | | | | | | | | |
| | 1-मजदूरी | 282.20 | 87.00 | 93.00 | - | - | 93.00 | - | - | 93.00 | - | - |
| | 2-माल सम्पूर्ति | 454.50 | 125.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - |
| 2-केन्द्र द्वारा पुनरोनिधानित दलहन फसल के उत्पादन की योजना | | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.50 | - | - |
| | कुल योग | 1840.20 | 572.00 | 368.00 | - | - | 368.00 | - | - | 419.50 | - | - |

विभाग का नामः- कृषि रक्षा          योजनावार व्यय/परिव्यय          (हजार रू0 में) जी0एन0- 2

| क्रम सं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय | | | 1985-86 अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कृषि रक्षा सेवा के सुदृढ़ीकरण की योजना | 277.56 | 259.70 | 200.00 | 150.00 | - | 200.00 | 150.00 | - | 292.20 | 150.00 | - |
| ~~2-~~ | ~~केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित दलहन फसल उत्पादन की योजना~~ | - | - | - | - | - | - | - | - | ~~100.00~~ | - | - |
| | कुल योग | 277.56 | 259.70 | 200.00 | 150.00 | - | 200.00 | 150.00 | - | 292.20 | 150.00 | - |

विभाग का नाम:- उद्यान  योजनावार व्यय/ परिव्यय  ॥हजार रू0में॥ जी0एन0-2

| क्रम सं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित व्यय | | | 1985-86 अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित व्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम अनिवार्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | -बर्तमान उद्यानों प्रक्षेत्रों/ पौधशालाओं के सुधार की योजना। | 400.00 | 340.00 | 40.00 | 40.00 | - | 40.00 | 40.00 | - | 153.00 | 153.00 | - |
| | कुल योग | 400.00 | 340.00 | 40.00 | 40.00 | - | 40.00 | 40.00 | - | 153-00 | 153.00 | - |

विभाग का नाम:- सामुदायिक फल संरक्षण योजनावार व्यय/ परिव्यय ॥हजार रूमें॥ जी0एन0-2

| क्रमसं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-86 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित व्यय कुल | 1985-86 अनुमोदित व्यय पूंजीगत | 1985-86 अनुमोदित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1985-86 अनुमानित व्यय कुल | 1985-86 अनुमानित व्यय पूंजीगत | 1985-86 अनुमानित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1986-87 प्रस्तावित व्यय कुल | 1986-87 प्रस्तावित व्यय पूंजीगत | 1986-87 प्रस्तावित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण । | 269.00 | 125.00 | 95.00 | - | - | 95.00 | - | - | 120.00 | - | - |
| | कुल योग | 269.00 | 125.00 | 95.00 | - | - | 95.00 | - | - | 120.00 | - | - |

विभाग का नाम:- भूमि सुधार  योजनावार व्यय/ परिव्यय  [हजार रु0में] जी0एन0 2

| क्रमसं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित व्यय | | | 1985-86 अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | सीलिंग भूमि केआवंटियों को आर्थिक सहायता केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित | 80.00 | 40.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 50.00 | - | 50.00 |
| | कुल योग | 80.00 | 40.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 50.00 | - | 50.00 |

विभाग का नाम- निजी लघु सिंचाई योजनावार व्यय/ परिव्यय § हजार रू0 में § जी0एन0-2

| क्रम सं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय | | | 1985-86 अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | बोरिंग गोदाम | 120-00 | 70-00 | 266-00 | 266-00 | - | 266-00 | 266-00 | - | 55-00 | 55-00 | - |
| 2- | संयत्र एवं उपकरण | - | - | 200-00 | 200-00 | - | 200-00 | 200-00 | - | 215-00 | 215-00 | - |
| 3- | [illegible] | | | | | | | | | 400-00 | 400-00 | - |
| | योग | 120-00 | 70-00 | 466-00 | 466-00 | - | 466-00 | 466-00 | - | 670-00 | 670-00 | - |

विभाग का नाम- राजकीय लघु सिंचाई योजनावार व्यय/परिव्यय (हजार रू0 में) जी0एन0-2

| क्रमांक | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित व्यय | | | 1985-86 अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | राजकीय नलकूप (सामान्य कार्यक्रम) | 23917-00 | 6857-35 | 5198-00 | 5198-00 | - | 5198-00 | 5198-00 | - | 4500-00 | 4500-00 | - |
| | योग | 23917-00 | 6857-35 | 5198-00 | 5198-00 | - | 5198-00 | 5198-00 | - | 4500-00 | 4500-00 | - |

विभाग का नाम:- भूमि संरक्षण योजनावार व्यय/परिव्यय [हजार रू0 में] जी0 एन0 -2

| क्रमांक | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय | | | 1985-86 अनुमोदित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1- | प्रदेश के मैदानी भागों में भूमि एवं जल संरक्षण | 6228-23 | 2310-00 | 2000-00 | - | - | 2000-00 | - | - | 2000-00 | - | - |
| 2- | उत्तर प्रदेश में खाईड भूमि के पुर्नवापण की योजना | 6750-00 | 3710-00 | 3364-00 | - | - | 3364-00 | - | - | 2850-00 | - | - |
| 3- | प्रदेश के क्षारीय भूमि एवं एल्कलाइन भूमि के सुधार की योजना | 400-00 | 200-00 | 1000-00 | - | - | 1000-00 | - | - | 500-00 | - | - |
| | योग | 13378-23 | 6220-00 | 6364-00 | - | - | 6364-00 | - | - | 5350-00 | - | - |

विभाग का नाम:- क्षेत्रीय विकास विभाग          योजनाधार व्यय / परिव्यय

| क्रमसं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित व्यय कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1985-86 अनुमानित व्यय कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1986-87 प्रस्तावित कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | एकीकृत ग्राम्य विकास | 16800.00 | 5600.00 | 5900.00 | - | - | 5900.00 | - | - | 5900.00 | - | - |
| 2- | लघु एवं सीमान्त कृषकों की उत्पादकता बढाने हेतु सहायता | | | | | | | | | | | |
| | 1-अल्प सिंचाई योजना अनु0 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | - | - | 1400,00 | - | - | 1400.00 | - | - |
| | 2-कृषि किट अनुदान | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | - | - | 1400.00 | - | - | 1400.00 | - | - |
| | 3-वृक्षारोपण अनुदान | 700.00 | 700.00 | 700.00 | - | - | 700.00 | - | - | 700.00 | - | - |
| | उपयोग- | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | - | - | 3500.00 | - | - | 3500.00 | - | - |
| | महा योग- | 20300.00 | 9100.00 | 9400.00 | - | - | 9400.00 | - | - | 9400.00 | - | - |

विभाग का नाम:- पशुपालन  योजनावार व्यय / परिव्यय  ॥ हजार रू0 में ॥ जी0एन0 2

| क्रम सं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित व्यय कुल | 1985-86 अनुमोदित व्यय पूंजीगत | 1985-86 अनुमोदित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1985-86 अनुमानित व्यय कुल | 1985-86 अनुमानित व्यय पूंजीगत | 1985-86 अनुमानित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1986-87 प्रस्तावित व्यय कुल | 1986-87 प्रस्तावित व्यय पूंजीगत | 1986-87 प्रस्तावित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार एवं विस्तार की योजना | | | | | | | | | | | |
| क- | राज्य में नये पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना | 1605.13 | 124.96 | 86.30 | - | - | 86.30 | - | - | 127.00 | - | - |
| 2- | स्थानीय निकायों द्वारा चालित पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण एवं सुधार की योजना। | | | | | | | | | | | |
| क- | राज्य के स्थानीय निकायों द्वारा चालित पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीय करण। | 17.03 | 17.03 | 28.00 | - | - | 28.00 | - | - | 51.00 | - | - |
| 3- | खुरपका, मुंहपका रोग के रोकथाम की योजना॥केन्द्र पोषित॥ | 6.00 | - | 7.50 | - | - | 7.50 | - | - | 7.50 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पशुधान विकास | | | | | | | | | | | |
| 1- | तरल वार्य द्वारा कृत्रिमगर्भाधान कार्यक्रम व्दारा प्रसार एवं सुदृढीकरण की योजना। | | | | | | | | | | | |
| 2- | प्रदेश के कृत्रिमगर्भाधान ढाँचे के सुदृढीकरण कीयोजना | 212.18 | 30.80 | 23.80 | - | - | 23.80 | - | - | 20.00 | - | - |
| 3- | पशुधान प्रक्षेत्रों पर प्रजनन कार्य हेतु सांडों के उत्पादन कीयोजना। | | | | | | | | | | | |
| 1- | इटावा जनपद के भाटावरी एवं जमुनापारी बकरीप्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना। | 861.00 | 387.52 | 837.00 | 837.00 | - | 837.00 | 837.00 | - | 800.00 | 800.00 | - |
| 4- | अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का सुदृढीकरण एवं विस्तारकीयोजना। | - | - | 225.40 | - | - | 225.40 | - | - | 128.00 | - | - |
| | कुक्कुट विकास | | | | | | | | | | | |
| 2- | संयुक्तराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल निधि के सहयोग से व्यवहारिक पुष्टाहार कुक्कुट उत्पादन की योजना। | 5.02 | 3.50 | 8.00 | - | - | 8.00 | - | - | 4.00 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-60 | पशु चिकित्सालय पर दो बकरों तथा 15 पशु चिकित्सालयों पर दो स्थान पर चार बकरे रखने की योजना । | 28.27 | 5.60 | 3.30 | - | - | 3.30 | - | - | 1.00 | - | - |
| 2- | राज्य में भेड एवं बकरी प्रजन्न क्षेत्रों की स्थापना प्रसार एवं पुर्नगठन की योजना । | | | | | | | | | | | |
| 1- | उन्नतशील नस्ल के बकरों का क्रय एवं वितरण । | 20.60 | - | 6.00 | - | - | 8.00 | - | - | 4.00 | - | - |
| | सुअर विकास | | | | | | | | | | | |
| 1- | पशु चिकित्सालयों पर अभिजनन कार्य हेतु सुअर सांड रखने की योजना । | 38.03 | 6.19 | 11.00 | - | - | 11.00 | - | - | 1.10 | - | - |
| 2- | उन्नतिशील नस्ल के सूकरों का क्रय एवं वितरण की योजना। | 1.78 | - | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - | 2.50 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **अन्य पशुधान विकास** | | | | | | 1.00 | | | | | |
| 1- | छुट्टा एवं जंगली पशुओं का उत्पात रोकने तथा उनको पकड़ने के लिए सुविधायें उपलब्ध कराते हुये जंगली पशु पकड़ दल की स्थापना । | 2.50 | - | 1.00 | - | - | ' | - | - | 1.00 | - | - |
| 2- | पशुधान विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रचार की योजना । | | | | | | | | | | | |
| क- | ग्रामीण प्रसार कार्यक्रम | - | - | 4.00 | - | - | 4.00 | - | - | 6.00 | - | - |
| | **चारा विकास** | | | | | | | | | | | |
| 1- | चारा/घास बीज तथा चारागाहों के विकास की योजना । | 85.64 | - | 19.00 | - | - | 19.00 | - | - | 20.00 | - | - |
| 2- | जमुनापरी बकरी पालकों को प्रोत्साहन करने हेतु अनुदान देने की योजना । | - | - | - | - | - | • | - | - | 24.00 | - | - |
| | योग- | 2883.38 | 1575.60 | 1261.30 | 837.00 | - | 1261.30 | 837.00 | - | 1197.10 | 800.00 | - |

विभाग का नाम:- मत्स्य          योजनावार व्यय/परिव्यय          (हजार रू0 में) जी0 एन0-2          7/4

| क्रम संख्या | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय | | | 1985-86 अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | मत्स्य पालक विकास अभिकरण | 291-00 | 200-00 | 100-00 | - | - | 100-00 | - | - | 150-00 | 140-00 | - |
| | योग | 291-00 | 200-00 | 100-00 | - | - | 100-00 | - | - | 150-00 | 140-00 | - |

भाग का नाम:- वन        योजनावार व्यय/परिव्यय        (हजार रू0 में) जी0एन0-2

| या | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय | | | 1985-86 अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | सामाजिक वानिकी योजना | 6225-70 | 2100-00 | 2289-00 | - | - | 2289-00 | - | - | ~~2000-00~~ 2300-00 | - | - |
| | योग | 6225-70 | 2100-00 | 2289-00 | - | - | 2289-00 | - | - | ~~2000-00~~ 2300-00 | - | - |

ाग का नाम:- सामुदायिक विकास॥पंचायती राज॥ योजनावार व्यय/परिव्यय ॥हजार रू0 में॥ ◌ एस0-2 (16)

| योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय | | | 1985-86 अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ायत उद्योगों को ऋनी की तथा अन्दा की सहायता | 112-00 | 65-00 | 32-50 | - | - | 32-50 | - | - | 25-00 | - | - |
| ायत भावनों का निर्माण | 73-00 | 40-00 | - | - | - | - | - | - | 350-00 | 350-00 | - |
| ामीण पर्यावरण स्वच्छता हेतु रंजा तथा नाली निर्माण | 664-00 | 381-00 | 661-15 | 661-15 | - | 661-15 | 661-15 | - | 350-00 | 350-00 | - |
| ायतराज संस्थाओं सुदृढ़ीकरण हेतु आय में वृद्धि ने हेतु प्रोत्साहन | 22-50 | 6-00 | 6-00 | - | - | 6-00 | - | - | 6-00 | - | - |
| ाट, बाजार तथा ों की स्थिति में ार हेतु ग्राम ाओं को सहायता ना | 17-50 | 12-50 | - | - | - | - | - | - | 35-00 | 35-00 | - |
| कुल योग | 889-00 | 504-50 | 699-65 | 661-15 | - | 699-65 | 661-15 | - | 766-00 | 735-00 | - |

| क्रम संख्या | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय | | | 1985-86 अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | स्वयं सेवकों का सुदृढ़ीकरण | - | - | 10-00 | - | - | 10-00 | - | - | 21-00 | - | - |
| 2- | युवक मंगल दलों का प्रोत्साहन | - | - | 10-00 | - | - | 10-00 | - | - | 10-00 | - | - |
| 3- | युवक मंगल दलों का सेमीनार/वर्कशाप | 7-00 | 4-00 | 2-00 | - | - | 2-00 | - | - | 2-00 | - | - |
| 4- | समाज सेवक कार्य, मेला प्रदर्शनी तीर्थ यात्रा आदि | 7-00 | 4-00 | 2-00 | - | - | 2-00 | - | - | 2-00 | - | - |
| 5- | ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-00 | - | - |
| 6- | ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन | 23-00 | 12-00 | 3-00 | - | - | 3-00 | - | - | 3-00 | - | - |
| 7- | ग्रामीण क्षेत्रों में व्यायामशालाओं का प्रोत्साहन | 16-00 | 10-00 | 3-00 | - | - | 3-00 | - | - | 4-00 | - | - |
| | योग | 53-00 | 30-00 | 30-00 | - | - | 30-00 | - | - | 47-00 | - | - |

विभाग का नाम:-सामुदायिक विकास (कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास योजनावार व्यय/परिव्यय (हजार रू0 में) जी0एन0 2

| क्रमसं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय कुल | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1985-86 अनुमानित व्यय कुल | 1985-86 अनुमानित व्यय पूंजीगत | 1985-86 अनुमानित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय कुल | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | विकासखण्डों एवं जिला विकास कार्यालय के भवनों का निर्माण एवं विधुतीकरण | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000.00 | 2000.00 | - |
| 2- | विकास खण्डों में भवनों का निर्माण तथा विधुतीकरण | - | - | 300.00 | 300.00 | - | 300.00 | 300.00 | - | 1600.00 | 1600.00 | - |
| | कुल योग- | - | - | 300.00 | 300.00 | - | 300.00 | 300.00 | - | 3600.00 | 3600.00 | - |

विभाग का नाम:- सहकारिता          योजनावार व्यय / परिव्यय          §हजार रु०में§ जी०एन० 2

| क्र०सं० | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित व्यय: कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1985-86 अनुमानित व्यय: कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1986-87 प्रस्तावित व्यय: कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | सहकारी ऋण एवं अधिपोषण योजना | | | | | | | | | | | |
| | क- जिला सहकारी बैंक की शाखाओं हेतु नवीनीकरण हेतु ऋण | 104.00 | 32.00 | 20.00 | - | - | 20.00 | - | - | 15.00 | - | - |
| 2- | सहकारी उपभोक्ता योजना | | | | | | | | | | | |
| | क- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता व्यवसाय हेतु पैक्स को अनुदान | 385.00 | 195.00 | 15.00 | - | - | 15.00 | - | - | 50.00 | - | - |
| 3- | जिला सहकारी संघों को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्त धन | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | 75.00 | - | - |
| | कुल योग- | 489.00 | 227.00 | 135.00 | - | - | 135.00 | - | - | 140.00 | - | - |

विभाग का नाम:- विद्युत  योजनावार व्यय / परिव्यय  ‡हजार रू0 में‡ जी0एन0 2

| क्रमसं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय कुल | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय कुल | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1987-88 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत | 1987-88 प्रस्तावित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ग्रामीण विद्युतीकरण | | | | | | | | | | | |
| क | राज्य सामान्य | 1071.00 | 423.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 |
| | योग- | 1071.00 | 423.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 |

विभाग का नाम :- जिला उद्योग केन्द्र    योजनावार व्यय / परिव्यय    ॥ हजार रू0में॥ जी0एन0 2

| क्र0सं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1985-86 अनुमानित व्यय कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | जिला उद्योग के माध्यम से मार्जिन मनीऋण। | 225.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - |
| 2- | एकीकृत मार्जिन मनीऋण | 600.00 | 200.00 | 400.00 | - | - | 400.00 | - | - | 500.00 | - | - |
| 3- | लघु उद्योगों को सहायता राज्य पूंजी उत्पादन। | 3033.45 | 800.00 | 200.00 | - | - | 200.00 | - | - | - | - | - |
| 4- | औद्योगिक सहकारिता अवस्त्रीय | | | | | | | | | | | |
| | अ- प्रबन्धकीय अनुदान | - | - | 10.30 | - | - | 10.30 | - | - | 7.20 | - | - |
| | ब- अंश पूंजीऋण | - | - | 40.00 | - | - | 40.00 | - | - | 40.00 | - | - |
| 5- | हस्त शिल्प सहकारीसमितियां | | | | | | | | | | | |
| | अ- अंशपूंजी ऋण | 216.00 | 210.00 | 60.00 | - | - | 60.00 | - | - | 60.00 | - | - |
| | ब- प्रबन्धकीय सहायता | 25.00 | 25.00 | 10.70 | - | - | 10.70 | - | - | 9.00 | - | - |
| 6- | मेले एवं प्रदर्शनी | - | - | 20.00 | - | - | 20.00 | - | - | 25.00 | - | - |
| 7- | उद्यमियता विकास प्रशिक्षणकार्यक्रम | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - |
| | कुल योग- | 4094.35 | 1335.90 | 841.00 | - | - | 841.00 | - | - | 841.20 | - | - |

विभाग का नाम:- हथाकरघा योजनावार व्यय / परिव्यय ॥हजार रू0 में॥ जी0एन0 2

| क्रमसं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय | | | 1985-86 अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | हथाकरघा सहकारी समितियों को अंश पूंजीयन । | 1869.95 | - | 300.00 | - | - | 300.00 | - | - | 300.00 | - | - |
| 2- | हथाकरघों का आधुनीकरण | 416.84 | 50.00 | 400.00 | - | - | 400.00 | - | - | 300.00 | - | - |
| 3- | हथाकरघा निगम द्वारा कच्चे माल के विक्रय केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता । | 300.00 | 130.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - |
| 4- | डिजाइन विकास तथा क्वालिटी कन्ट्रोल। | 246.15 | 40.54 | 80.00 | - | - | 80.00 | - | - | 80.00 | - | - |
| कुल योग- | | 2832.94 | 240.68 | 880.00 | - | - | 880.00 | - | - | 780.00 | - | - |

विभाग का नाम :- रेशम        योजनावार व्यय / परिव्यय        §हजार रू0 में§ जी0एन0 2

| क्रमसं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय | | | 1985-86 अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | माडल चाकी, कीट पालन योजना। | 1054.00 | 291.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - |
| | कुल योग- | 1054.00 | 291.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - | 100.00 | - | - |

विभाग का नाम:- सड़क एवं पुल    योजनावार व्यय / परिव्यय    ॥ हजार रु0में ॥ जी0एन0 2

| क्रम सं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय | | | 1985-86 अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | ग्रामीण कार्य ॥न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम॥ | 23877.00 | 8267.00 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 18748.65 | 18748.65 | 18748.65 |
| | कुल योग- | 23877.00 | 8267.00 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 18743.65 | 18748.65 | 18748.65 |

विभाग का नाम:- बेसिक शिक्षा योजनावार व्यय/ परिव्यय ‡ हजार रू0में‡ जी0एन0 2

| क्र0सं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदितपरिव्यय | | | 1985-86अनुमानितव्यय | | | 1986-87प्रस्तावितपरिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ग्रामीण तथा नगरक्षेत्र में भवन रहितस्कूल के भवन निर्माण हेतु अनुदान। | - | - | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00<br>1007.00 | 1007.00 | 1007.00 | 1007.00 |
| 2 | ग्रामीण तथानगरक्षेत्रोंमें सी0वे0स्कूलों के भवननिर्माण हेतु अनुदान। | - | - | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | - | - | - |
| 3 | अनुसूचित जनजाति प्राप्त अशासकीय सी0वे0स्कूलों का अनुरक्षण अनुदान। | 2692.00 | 1188.00 | 1170.00 | - | 1170.00 | 1170.00 | - | 1170.00 | 1404.00 | - | 1404.00 |
| 4 | ग्रामीण क्षेत्रों मेंनिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान। | 318.00 | 126.00 | 14.00 | - | 14.00 | 14.00 | - | 14.00 | 17.00 | - | 17.00 |
| 5 | ग्रामीण क्षेत्रमें बालक एवं बालिकाओं के सी0वे0स्कूल खोलने हेतु अनुदान। | 406.00 | 177.00 | 77.00 | - | 77.00 | 77.00 | - | 77.00 | 92.00 | - | 92.00 |
| 6 | नगर एवं ग्रामीणक्षेत्रों में वय वर्ग 6-14 के बच्चों केलिए अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान। | 1360.00 | 575.60 | 659.00 | - | 659.00 | 659.00 | - | 659.00 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7- | प्रत्येक जिले में जिलाबेसिक शिक्षा अधिकारी केकार्यालय का सुदृढीकरण । | 29.90 | 7.90 | 6.00 | – | 6.00 | 6.00 | – | 6.00 | 8.00 | – | 8.00 |
| 8- | प्रदेश के प्रत्येक जिले मेंकक्षा 6से8में 10रू0प्रतिमाह कीदरसे 3वर्षों के लिए योग्यताछात्रवृत्ति | 29.80 | 14.40 | 25.00 | – | 25.00 | 25.00 | – | 25.00 | 15.00 | – | 15.00 |
| 9- | निःशुल्क पाठ पुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतुसी0वे0स्कूलों में पाठय पुस्तेंकोंके स्थापित करने हेतु अनुदान । | – | – | 4.80 | – | 4.00 | 4.00 | – | 4.00 | 4.00 | – | 4.00 |
| 10- | ग्रामीणक्षेत्रों मेंसी0बे0स्कूलोंके लिए साज सज्जा हेतु अनुदान । | – | – | 5.00 | – | 5.00 | 5.00 | – | 5.00 | 5.00 | – | 5.00 |
| 11- | जूनियरबेसिक स्कूलों मेंशिक्षण सामग्री हेतु अनुदान । | – | – | 25.00 | – | 25.00 | 25.00 | – | 25.00 | 25.00 | – | 25.00 |
| 12- | निर्बल बर्ग के बच्चों कोपोशाक देने की व्यवस्था । | – | – | 45.00 | – | 45.00 | 45.00 | – | 45.00 | 45.00 | – | 45.00 |
| | कुल योग- | 3489.30 | 2088.90 | 2008.00 | 178.00 | 2208.00 | 2208.00 | 178.00 | 2208.00 | 2622.00 | 1007.00 | 2622.00 |

विभाग का नाम:- माध्यमिक शिक्षा योजनावार व्यय/परिव्यय (हजार रु0में) जी0एन0 2

| क्र0सं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1985-86 अनुमानित व्यय कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | खेलकूद तथा अन्यविद्यालयों को शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवक कल्याण हेतु प्राविधान। | 1.00 | 1.00 | 5.00 | - | - | 5.00 | - | - | 5.00 | - | - |
| 2- | उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना का प्रसार | 2.00 | 2.00 | 3.00 | - | - | 3.00 | - | - | 5.00 | - | - |
| 3- | संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान। | 10.00 | 10.00 | 20.00 | - | - | 20.00 | - | - | 20.00 | - | - |
| 4- | सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान। | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.00 | - | - |
| | कुल योग- | 13.00 | 13.00 | 28.00 | - | - | 28.00 | - | - | 50.00 | - | - |

भाग का नाम:- खेल कूद	योजनावार व्यय/ परिव्यय	(हजार रु0में) जी0एन0 2

| क्र0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय | | | 1985-86 अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूदकेन्द्रों का विकास तथा शासकीय/अशासकीय स्कूलों में खेलकूदकेन्द्रों की स्थापना । | - | - | 1.15 | - | - | 1.15 | - | - | 1.15 | - | - |
| | विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन । | - | - | 1.20 | - | - | 1.20 | - | - | 1.20 | - | - |
| | योग- | - | - | 2.35 | - | - | 2.35 | - | - | 2.35 | - | - |

विभाग का नाम:- प्राविधिक शिक्षा  योजनावार व्यय / परिव्यय  हजार रू0 में। जी0एन0 2

| क्र0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय | | | 1985-86 अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतमी आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतमी आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | पालीटेक्निक की स्थापना। | 3260.27 | 2233.58 | 1478.60 | 1478.60 | - | 1478.60 | 1478.60 | - | 500.00 | 500.00 | - |
| | योग | 3260.27 | 2233.58 | 1478.60 | 1478.60 | - | 1478.60 | 1478.60 | - | 500.00 | 500.00 | - |

विभाग का नामः- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य    योजनावार व्यय / परिव्यय    ॥हजार रु0में॥जी0एन0 2

| क्रंसं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1985-86 अनुमानित व्यय कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण। | 1770.00 | 400.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 2- | अतिरिक्त उपकेन्द्रों का भवन निर्माण। | 789.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 3- | क्षयरोग निरोधक औषधालय । | 170.00 | 100.00 | 200.00 | - | 200.00 | 200.00 | - | 200.00 | 396.00 | - | 396.00 |
| 4- | मलेरिया नियंत्रण | 1730.00 | 500.00 | 2175.00 | - | 2175.00 | 2175.00 | - | 2175.00 | 700.00 | - | 700.00 |
| 5- | अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना । | - | - | - | - | - | - | - | - | 490.00 | - | 490.00 |
| 6- | तहसील स्थित चिकित्सालयों में दन्त रूजालयों की स्थापना। | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| 7- | राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों में रोगी शैय्याओं की वृध्दि । | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.00 | - | 90.00 |
| 8- | तहसील स्थित चिकित्सालयों में मेडिकल/सर्जिकल सुविधाओं की स्थापना | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.00 | - | 55.00 |
| 9- | पुरुष तथा महिला चिकित्सालयों की स्थापना । | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.00 | - | 70.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10- | महिला चिकित्सालयतथा उच्चीकृत प्राथमिकस्वास्थ्य केन्द्रों और चुनेहुयेचिकित्सालयों मेंवाल रूग्णालयों कीस्थापना । | – | – | – | – | – | – | – | – | 100.00 | – | 100.00 |
| 11- | प्रा०स्वास्थ्य केन्द्रका निर्माण | – | – | – | – | – | – | – | – | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 12- | अस्पताल में डीजल जनरेटरों की व्यवस्था तथा उपकरण हेतु प्राविधान। | – | – | – | – | – | – | – | – | 60.00 | – | 60.00 |
| 13- | वातावरण मेंस्वच्छताको विद्यमान रखाने के लियेसामूहिक शौचालयों का निर्माण । | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
| 14- | शहरी तथाग्रामीण होम्यो-पैथिक औषधालयों कीस्थापना। | | – | – | – | – | – | – | – | 200.00 | – | 200.00 |
| 15- | होम्योपैथिक अस्पतालोंमें अतिरिक्त दवाओं तथाआकस्मिक व्यय का प्राविधान। | – | – | – | – | – | – | – | – | 45.00 | – | 45.00 |
| 16- | शहरी एवं ग्रामीण चिकित्सालय में जल सम्पूर्ति एंवविद्युतीकरण। | | – | – | – | – | – | – | – | 30.00 | – | 30.00 |
| | कुल योग- | 4459.00 | 1800.00 | 3775.00 | 1400.00 | 3775.00 | 3775.00 | 1400.00 | 3775.00 | 4334.00 | 2048.00 | 3834.00 |

विभाग का नाम:- आयुर्वेद यूनानी चिकित्सालय योजनावार व्यय/ परिव्यय (हजार रू0में) जी0एन0 2

| क्रमसं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय | | | 1985-86 अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | आयुर्वैदिक/यूनानी औषधालयों की स्थापना। | 17.00 | 17.00 | 30.00 | - | - | 30.00 | - | - | 90.00 | - | - |
| 2- | वर्तमान आयुर्वैदिक/यूनानी चिकित्सालयों एवं औषधालयों का प्रोन्नयन। | 46.00 | 46.00 | 50.00 | - | - | 50.00 | - | - | 50.00 | - | - |
| | कुल योग- | 63.00 | 63.00 | 80.00 | - | - | 80.00 | - | - | 140.00 | - | - |

विभाग का नाम:- जल निगम    योजनावार व्यय / परिव्यय    (हजार रू० में) जी०एन० 2

| क्रमसं० | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय कुल | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1985-86 अनुमानित व्यय कुल | 1985-86 अनुमानित व्यय पूंजीगत | 1985-86 अनुमानित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय कुल | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय पूंजीगत | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | ग्रामीण जल सम्पूर्ति | 8843.60 | 2223.04 | 2129.00 | 2129.00 | 2129.00 | 2129.00 | 2129.00 | 2129.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| | कुलयोग- | 8843.60 | 2223.04 | 2129.00 | 2129.00 | 2129.00 | 2129.00 | 2129.00 | 2129.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 |

विभाग का नाम :- सामुदायिक विकास (ग्रामीण पेयजल) योजनावार व्यय/परिव्यय (हजार रू0 में) जी0एन0 2

| क्रमसं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित व्यय परि कुल | 1985-86 अनुमोदित व्यय पूजीगत | 1985-86 अनुमोदित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1985-86 अनुमानित व्यय कुल | 1985-86 अनुमानित व्यय पूजीगत | 1985-86 अनुमानित व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय कुल | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय पूजीगत | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | हरिजन पेयजलयोजना | 2[illegible]87.00 | 600.00 | 69[illegible].00 | 697.00 | 697.00 | 697.00 | 697.00 | 697.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| | कुल योग | 2[illegible]87.00 | 600.00 | 69[illegible].00 | 697.00 | 697.00 | 697.00 | 697.00 | 697.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |

विभाग का नामः- सामुदायिक विकास(ग्रामीण आवास) योजनावार व्यय/परिव्यय (हजार रू0में)जी0एम02

| क्रमसं0 | योजना | 1980-85 वास्तविकव्यय | 1984-85 वास्तविकव्यय | 1985-86 अनुमोदितपरिव्यय | | | 1985-86 अनुमानितव्यय | | | 1986-87 प्रस्तावितपरिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | निर्बल वर्ग आवास योजना | 1710.00 | 381.70 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 |
| | कुल योग- | 1710.00 | 381.70 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 |

विभाग का नाम:- शिल्पकार प्रशिक्षण योजनावार व्यय/परिव्यय (हजार रु0 में) जी0एन0 2

| क्रम0सं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1985-86 अनुमानित व्यय कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1986-87 प्रस्तावित व्यय कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार एवं सुदृढीकरण। | 160.00 | 26.00 | 4.00 | - | - | 4.00 | - | - | 17.00 | - | - |
| 2- | वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार एवं सुदृढीकरण। | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 | - | - |
| 3- | वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार एवं सुदृढीकरण (मोटर मैकेनिक) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.00 | - | - |
| | कुल योग | 160.00 | 26.00 | 4.00 | - | - | 4.00 | - | - | 80.00 | - | - |

(विभाग का नाम:- सेवायोजन    योजनावार व्यय / परिव्यय    (हजार रू0में) जी0एन0 2

| क्र0सं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय | | | 1985-86 का अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | सेवायोजन कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण | - | - | 50.00 | 50.00 | - | 50.00 | 50.00 | - | 200.00 | 200.00 | - |
| | कुल योग | - | - | 50.00 | 50.00 | - | 50.00 | 50.00 | - | 200.00 | 200.00 | - |

सी०एन०-2

योजनावार व्यय / परिव्यय

विभाग का नाम :- अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ीजाति का कल्याण

| क्रम सं० | योजना | 1983-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय | | | 1985-86 अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवि. कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवि. कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | शिक्षा | | | | | | | | | | | |
| | 1-छात्रवृत्ति पाठ्य पुस्तकों तथा उपकरणों हेतु अनावर्तक सहायता | | | | | | | | | | | |
| | (जूनियर हाई स्कूल 6 से 8) | | | | | | | | | | | |
| | 1-निर्धनता के आधार पर | 100.00 | 50.00 | 154.00 | -- | -- | 154.00 | -- | -- | 160.00 | -- | -- |
| | 2-योग्यता के आधार पर | 654.00 | 327.00 | 100.00 | -- | -- | 100.00 | -- | -- | 110.00 | -- | -- |
| | (सेकेण्डरी स्तर 1 से 5) | | | | | | | | | | | |
| | 1-निर्धनता के आधार पर | -- | -- | 85.00 | -- | -- | 85.00 | -- | -- | 85.00 | -- | -- |
| | 2-योग्यता के आधार पर | 300.00 | 150.00 | 75.00 | -- | -- | 75.00 | -- | -- | 75.00 | -- | -- |
| | 2-अनुसूचित जाति की छात्राओं को अपारचूनिटी अनुदान | -- | -- | 10.00 | -- | -- | 10.00 | -- | -- | 15.00 | -- | -- |

विभाग का नाम :- अनुसूचित जाति जन जाति एंव पिछड़ी जाति
का कल्याण (2)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-दशम एंव अग्रमोत्तर कक्षा की अन्तिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों को विशेष पुष्टाहार | 57.20 | 32.00 | 10.00 | -- | -- | 10.00 | -- | -- | 35.00 | -- | -- |
| 4-विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्राइमरी पाठशाला पुस्तकालय एंव छात्रावास की अनुदान सुधार बिस्तार | 205.00 | 50.00 | 40.00 | -- | -- | 40.00 | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 5-छात्रवृत्ति पाठ्यपुस्तकीय एंव उपकरण हेतु अनावर्तीय सहायता | | | | | | | | | | | |
| 1-जूनि0हाई स्कूल 6 से 8 तक | | | | | | | | | | | |
| अ-निर्धनता के आधार पर | 24.00 | 12.00 | 5.00 | -- | -- | 5.00 | -- | -- | 6.00 | -- | -- |
| ब-योग्यता के आधार पर | 12.00 | 6.00 | 6.00 | -- | -- | 6.00 | -- | -- | 8.00 | -- | -- |
| 6-विमुक्त जाति आर्थिक उत्थान | | | | | | | | | | | |
| 1-कृषि/बागवानी विकास हेतु अनुदान | 10.00 | 10.00 | 10.00 | --- | -- | 10.00 | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
| 2-लघु कुटीकर उद्योग विकास हेतु अनुदान | 20.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | 10.00 | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
| 7-विमुक्त जातियों का पुर्नवासन | 150.00 | 75.00 | 40.00 | -- | -- | 40.00 | -- | -- | 40.00 | -- | -- |
| 8-विमुक्त जातियों का आर्थिक विकास जो अनु0जाति की सूची में सम्मिलित है | 42.00 | 21.00 | 16.00 | -- | -- | 16.00 | -- | -- | 30.00 | -- | -- |

विभाग का नाम:- अनुसूचित जाति/जनजाति एंव
पिछड़ी जाति का कल्याण (13)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-पिछड़ी जातियों का कल्याण:- | | | | | | | | | | | | |
| छात्रवृत्ति, पाठय पुस्तकें एंव उपकरण हेतु अनावर्तक सहायता | | | | | | | | | | | | |
| क-जनिपर हाई स्कूल कक्षा 6 से 8 तक | | | | | | | | | | | | |
| 1-योग्यता के आधार पर | 450.00 | 229.00 | 75.00 | -- | -- | 75.00 | -- | -- | 80.00 | -- | -- | |
| ख-पुजारी स्तर (1 से 5 तक) | | | | | | | | | | | | |
| 1-योग्यता के आधार पर | -- | -- | 20.00 | -- | -- | 20.00 | -- | -- | 25.00 | -- | -- | |
| कुल योग | 2032.20 | 972.00 | 656.00 | -- | -- | 656.00 | -- | -- | 759.00 | -- | -- | |

(जा0एन0-2)

विभाग का नाम:- समाज कल्याण    योजनावार व्यय/ परिव्यय    (हजार रु0 में)

| क्रम सं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय | | | 1985-86 अनुमानित व्यय | | | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | कुल | पूँजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1- | नेत्रहीन, बधिर तथा शारीरिक रूप से अक्षम विकलांगो को अनुदान | 450-00 | 105-00 | 288-00 | - | 288-00 | 288-00 | - | 288-00 | 340-00 | - | 340-00 |
| 2- | शारीरिक रूप से अक्षम तथा हड्डी के रोग से ग्रस्त विद्यार्थियों को शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति | 60-00 | 15-00 | 20-00 | - | 20-00 | 20-00 | - | 20-00 | 25-00 | - | 25-00 |
| 3- | शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के बच्चों को शैक्षिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति | 40-00 | 9-00 | 10-00 | - | 10-00 | 10-00 | - | 10-00 | 12-00 | - | 12-00 |
| 4- | शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, सामान आदि क्रय करने के लिये अनुदान | - | - | 5-00 | - | 5-00 | 5-00 | - | 5-00 | 6-00 | - | 6-00 |
| 5- | निराश्रित विधवाओं को सहायक अनुदान | 650-00 | 360-00 | 1110-00 | - | 1110-00 | 1110-00 | - | 1110-00 | 1150-00 | - | 1150-00 |
| | कुल योग | 1200-00 | 489-00 | 1433-00 | - | 1433-00 | 1433-00 | - | 1433-00 | 1533-00 | - | 1533-00 |

विभाग का नाम:- पुष्टाहार §समाज कल्याण §     योजनावार व्यय/परिव्यय     §हजार रू0में§ जी0एन0 2

| क्रमसं0 | योजना | 1980-85 वास्तविक व्यय | 1984-85 वास्तविक व्यय | 1985-86 अनुमोदित परिव्यय कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1985-86 अनुमानित व्यय कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 1986-87 प्रस्तावित परिव्यय कुल | पूंजीगत | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | पूरक पुष्टाहार कार्यक्रम | - | - | 1200.00 | - | 1200.00 | 1200.00 | - | 1200.00 | 500-00 | - | 500.00 |
| | कुल योग- | - | - | 1200.00 | - | 1200.00 | 1200.00 | - | 1200.00 | 500.00 | - | 500.00 |

# जी.एन.3

# भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

1986 - 87

विभाग का नाम:- कृषि — भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि — (जी0एन0-3)

| क्रम संख्या | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1- | उत्तर प्रदेश में उन्नतिशील बीजों के सम्वर्धन की योजना | | | | | | | | |
| (अ) | कृषि विभाग | | | | | | | | |
| | मजदूरी एवं माल सम्पूर्ति | कुन्तल | 12500 | 12840 | 3000 | 12840 | 3000 | 3000 | 3000 |
| (ब) | सम्भागीय कृषि परीक्षण केन्द्र | कुन्तल | - | - | - | - | - | | 3000 |
| 2- | केन्द्र द्वारा पुरो-निधात दलहनी फसल के उत्पादन की योजना | | | | | | | | |
| (1) | सामान्य एवं मिनी किट प्रदर्शन | संख्या | 7500 | 7500 | 1600 | 7500 | 1675 | 1675 | 1700 |
| (2) | बीज वितरण | कुन्तल | 1500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 550 |

विभाग का नाम:- कृषि रक्षा (कृषि विभाग) भौतिक लक्ष्य /उपलब्धि (जी०एन०-3)

| क्रम संख्या | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1- | कृषि रक्षा ग्रामीण गोदाम (फर्रुखाबाद, इकदिल, मुरादगंज ऊसराहार, सैला) | संख्या | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2- | केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित दलहनी फसलों के उत्पादन की योजना | हेक्टेयर | 3451 | 3451 | 3451 | 3451 | 4000 | 4000 | 4000 |

विभाग का नाम :- उद्यान विभाग भौतिक लक्ष्य /उपलब्धि § जी0 एन0-3 §

| क्रम संख्या | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवी योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1- | वर्तमान उद्यानों प्रक्षेत्रों / पौधशालाओं के सुधार की योजना | | | | | | | | |
| §1§ | राजकीय उद्यान कम्पनी, बाग, इटावा में भण्डारगृह विक्रय केन्द्र का निर्माण § पुराना अधूरा कार्य § | संख्या | – | – | – | – | – | – | 1 |
| §2§ | बाउन्ड्री वाल का निर्माण | मीटर | – | 100 | – | 100 | – | – | 7000 |

विभाग का नाम:- सामुदायिक फल संरक्षण § उद्यान विभाग § भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि § जी0 एन0 -3 §

| क्रम संख्या | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1- | सामुदायिक फल संरक्षण के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना §वेतन तथा महगाई भत्ता § | §हजार§ §रू0 में§ | 269-00 | 269-00 | 125-00 | 269-00 | 95-00 | 95-00 | 120-00 |

विभाग का नाम:- भूमि सुधार          भौतिक लक्ष्य/ उपलब्धि          ॥ जी० एन० -3 ॥

| क्रम संख्या | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 | | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 | | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | | | लक्ष्य | अनुमानित उपलब्धि | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | सीलिंग :- | | | | | | | | |
| 1- | भूमि आवंटियों की संख्या | ॥संख्या॥ | 2522 | 2522 | 60 | 2522 | 50 | 50 | 25 |

विभाग का नाम:- निजी लघु सिंचाई भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि | जी0 एन0-3 |

| क्रम संख्या | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना वर्ष 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1- | बोरिंग गोदाम \|केन्द्रीय गोदाम\| इटावा | संख्या | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2- | संयंत्र एवं उपकरण | \|हजार\| \|रु0में\| | - | - | - | - | 200-00 | 200-00 | 15-00 |

विभाग का नाम: राजकीय लघु सिंचाई        भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि        (जी0 एन0-3)

| क्रम संख्या | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1- | नये राजकीय नलकूपों का निर्माण | संख्या | 69 | 68 | 5 | 68 | 2 | 2 | 7 |
| 2- | पुराने नलकूपों की पुनः बोरिंग | संख्या | 30 | 20 | 9 | 20 | 8 | 8 | 7 |

जी0एन0-3

विभाग का नाम :- भूमि संरक्षण विभाग
॥ कृषि विभाग ॥

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

| क्रम सं0 | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 | | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 | | वर्ष 86-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | | | लक्ष्य | अनुमानित उपलब्धि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1- | उत्तर प्रदेश में खड्ड भूमि के पुनर्वारण की योजना | हेक्टे0 | 3400 | 3400 | 2400 | 3400 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2- | प्रदेश के चैदानी भागों में भूमि एंव जल संरक्षण की योजना | | | | | | | | |
| | अ-भूमि संरक्षण द्वारा | हेक्टे0 | 3348 | 3348 | 598 | 3348 | 1000 | 290 | 1100 |
| | ब-भूमि संरक्षण अभियंत्रण द्वारा | हेक्टे0 | 1000 | 1000 | 160 | 1000 | 250 | 49 | 300 |

जी0एन0-3

विभाग का नाम – क्षेत्रीय विकास विभाग, भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

| क्रम | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 | | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1980-85 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 | | वर्ष 86-87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | | | लक्ष्य | अनुमानित उपलब्धि | लक्ष्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1- | एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में लाभान्वित परिवार | संख्या | 42000 | 41260 | 8713 | 41260 | 10630 | 11000 | 10630 |
| 2- | लघु एंव सीमान्त कृषकों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु सहायता (लाभान्वित परिवार) | संख्या | 560 | 281 | 281 | 281 | -- | 600 | 600 |

जी0एस0 - 3

विभाग का नाम:- पशुपालन

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

| क्रम सं0 | पद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 | | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 | | वर्ष 86-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | | | लक्ष्य | अनुमानित उपल0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1- | पशु सेवा केन्द्रों का विस्तार | सं0 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 2- | कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम | | - | 23441 | 3654 | 23441 | 22500 | 22500 | 23600 |
| | अ-देशी साँड़ों द्वारा | | | | | | | | |
| | ब-विदेशी साँड़ों द्वारा | - | | 40553 | 13416 | -- | -- | -- | -- |
| | स-अति हिमीकृत बीर्य से | - | | 38986 | 21161 | -- | -- | -- | -- |
| | द- भैंसा | - | | 50913 | 11654 | -- | 11000 | 11000 | 11550 |
| 3- | बधियाकरण | - | | 27401 | 6300 | 6300 | 5500 | 5500 | 5800 |
| 4- | चिकित्सा किये गये पशुओं की सं0 | - | | 633545 | 146502 | -- | -- | 161200 | 169280 |
| 5- | संक्रामक रोगी क बचाव हेतु लगाये गये टीके | - | | | | | | | |
| | अ-एच0एस0 | -- | | 767800 | 142483 | -- | -- | -- | 386800 |
| | ब-आर0पी0 | -- | | 1028145 | 211694 | -- | -- | -- | |
| | स-आर0डी0 | -- | | 193174 | 43569 | -- | -- | -- | |
| | द-एफ0एम0पी0 | -- | | 150414 | 35556 | -- | -- | -- | |
| | | -- | | 15303 | 2906 | -- | -- | -- | |

विभाग का नाम :- पशुपालन

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | हरा चारा बीज के बोये गये क्षेत्रफल | हे0 | -- | 2914 | 791 | -- | 600 | 600 | 660 |

विभाग का नाम :- मत्स्य   भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि   (जी0एन0-3)

| क्र0 सं0 | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण इटावा की स्थापना :- | | | | | | | | |
| | 1-तालाब सुधार | हेक्टे0 | 113 | 114 | 61 | 114 | 30 | 50 | 30 |
| | 2-प्रशिक्षण | सं0 | 200 | 209 | 104 | 209 | 100 | 100 | 100 |
| | 3-कार्यालय व प्रयोगशाला का निर्माण | सं0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |

जी0एन0--3

विभाग का नाम :- बन

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

| क्रम सं0 | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 86-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1- | वृक्षारोपण | हेक्अे0 | 3695 | 3695 | 432 | 3695 | 160 | 160 | 160 |
| 2- | अग्रिम मिट्टी खुदान कार्य | हेक्टे0 | 3184 | 3184 | 415 | 3184 | 160 | 160 | 250 |

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

विभाग का नाम :- सामुदायिक विकास (पंचायती राज) | जी0एन0-3

| मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1- पंचायत उद्योगों को प्रबन्धकीय सहायता | सं0 | -- | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 2- पंचायत भवनों का निर्माण | सं0 | -- | 8 | 3 | 8 | - | - | 14 |
| 3- खड़ंजा तथा नाली निर्माण | वर्ग मी0 | 50712 | 7500 | 5900 | 7500 | 7000 | 7000 | 3500 |
| 4- हाट बाजार तथा मेलों की स्थिति में सुधार | सं0 | 10 | 9 | 4 | 9 | - | - | 14 |
| 5- गाँव सभाओं की आय में वृद्धि हेतु ग्राम सभाओं को प्रोत्साहन | सं0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 |

जी0एन0-3

## भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम :- सामुदायिक विकास

( प्रादेशिक विकास दल )

| मद | इकाई | छठी योजना का 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना का 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | का 1985-86 लक्ष्य | का 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | का 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| युवक मंगल दलों का संगठन | सं0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| युवक सेमीनार विकास खण्ड स्तरीय | सं0 | 210 | 210 | - | 210 | - | - | 140 |
| युवक सेमीनार जनपद स्तरीय | सं0 | 28 | 28 | - | 28 | - | - | 14 |
| युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन | सं0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| तैराकी प्रशिक्षण | सं0 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| व्यायामशाला युवा केन्द्र | सं0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| समाज सेवा शिविर | सं0 | 14 | 14 | - | 14 | - | - | 14 |

जी०एन०-3
भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम :- सामुदायिक विकास
(कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास)

| क्रम सं० | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1- | जिला विकास कार्यालय भवन निर्माण | सं० | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 2- | विकास खण्डों के भवन निर्माण (ताखा, सहार, अछल्दा, एरवाकटरा) | सं० | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 4 |

विभाग का नाम:- सहकारिता  भौतिक लक्ष्य /उपलब्धि  [ जी० एन० -3 ]

| क्रम सं० | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1- | जिला सहकारी बैंक की शाखाओं को नवीनीकरण हेतु ऋण | संख्या | 9 | 8 | - | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 2- | प्राथमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता व्यवसाय हेतु सीमान्त धनराशि | संख्या | 48 | 48 | 26 | 48 | 2 | 2 | 10 |
| 3- | उर्वरक व्यवसाय हेतु जिला सहकारी संघ को सीमान्त धनराशि | | - | - | - | - | - | - | 5 |

विभाग का नाम:- विद्युत          भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि          ।जी. एन0-3।

| क्रम सं0 | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1- | ग्रामों का विद्युतीकरण | | | | | | | | |
| | ।क। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार | संख्या | - | 710 | 6 | 710 | 3 | 3 | 3 |
| | ।ख। एल0टी0 लाइन बिछाकर | संख्या | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2- | हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण | संख्या | - | 34 | 9 | 34 | 2 | 2 | 2 |
| 3- | निजी नलकूप/पम्प सैटों का उर्जीकरण | संख्या | - | 67 | - | - | 30 | 30 | 30 |

विकास का नाम:- ग्रामीण एवं लघु उद्योग भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि ॥जी0एन0-3॥

| क्र0सं0 | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ॥1॥ | वार्षिक उत्पादन | | | | | | | | |
| अ- | हस्तशिल्प | हजार रू0में | 1500-00 | 1500-00 | 575-00 | 1500-00 | 600-00 | 600-00 | 100-00 |
| ॥2॥ | वार्षिक रोजगार | | | | | | | | |
| अ- | हस्तशिल्प | संख्या | 345 | 345 | 30 | 345 | 80 | 80 | 30 |
| ॥3॥ | जिला उद्योग केन्द्र योजना द्वारा सहायता दी जाने वाली इकाइयां | | | | | | | | |
| अ- | कच्चा माल | संख्या | - | 331 | 88 | 331 | 150 | 150 | 165 |
| ब- | वित्तीय सहायता | संख्या | - | 335 | 89 | 335 | 150 | 150 | 125 |
| ॥4॥ | इकाईयां जिन्हें वित्तीय सहायता दी गई | | | | | | | | |
| अ- | जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण | संख्या | 61 | 61 | 6 | 61 | 20 | 20 | 10 |
| ब- | एकीकृत/विकास केन्द्र मार्जिन मनी ऋण | संख्या | - | - | - | - | 20 | 20 | 25 |
| 5- | राज्य पूँजी उपादान | संख्या | 85 | 85 | 62 | 85 | 10 | 10 | 20 |

विभाग का नाम:- हथकरघा

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

(ए [illegible]-3)

| क्रम संख्या | मद | इकाई | छठी योजना कार्य 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना कार्य 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | कार्य 1985-86 लक्ष्य | कार्य 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | [illegible] 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1- | सहकारिता क्षेत्र में लाये गये करघे | संख्या | 1150 | 1200 | 150 | 1200 | 100 | 100 | 500 |
| 2- | हथकरघा वस्त्र उत्पादन | लाख मी० | 863 | 794 | 116 | 794 | 200 | 200 | 225 |
| 3- | जिला बुनकर सहकारी फेडरेशन की स्थापना | संख्या | - | - | - | - | - | - | 1 |

विभाग का नाम :- रेशम — भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि — (जी0एन0-3)

| क्रम सं0 | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (1) | साडल वाली कीट पालन योजना | | | | | | | | |
| 1- | कोया उत्पादन | किग्रा | 099000 | 79687 | 12084 | 79687 | 25000 | 20000 | 25000 |
| 2- | शहतूत कलम उत्पादन | संख्या हजारमें | 1500 | 2643 | 304 | 2643 | 500 | 200 | 500 |
| 3- | शहतूत वृक्षारोपण | ,, | 730 | 2064 | 69 | 2064 | 500 | 500 | 500 |

भाग का नाम :- सार्वजनिक निर्माण विभाग भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि (जी0एन0-3)

| क्र0 सं0 | मद | इकाई | छठी योजना 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमोदित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1- | ग्रामीण कार्य | | | | | | | | |

नोट:- सड़कों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ । प्राप्त होते ही भेजा जायेगा ।

भाग का नाम:- बेसिक शिक्षा          भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि          (जी0एन0-3)

| मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1- ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में भवन रहित जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण | संख्या | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2- ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलना | संख्या | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 3- ग्रामीण क्षेत्र में बालक एवं बालिकाओं के जूनियर बेसिक स्कूल खोलना | संख्या | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 4- प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 में 10 रुपये प्रति माह की दर से तीन वर्षों के लिये योग्यता छात्र-वृत्ति | संख्या | 40 | [illegible] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतु जूनियर बेसिक स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करना | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 20 |

विभाग का नाम:- बेसिक शिक्षा    भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि    (जी०एन०-3)

| मद | इकाई | छठी योजना 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ग्रामीण क्षेत्रों में जीनियर बेसिक स्कूलों के लिये साज-सज्जा | संख्या | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 25 |
| जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान | संख्या | - | - | - | - | - | - | 25 |
| निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक देने की व्यवस्था | संख्या | - | - | - | - | 450 | 450 | 1000 |

जी0एन0- 3

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम :- माध्यमिक शिक्षा

| क्रम सं0 | मद | इकाई | छठी योजना की 1980-85 लक्ष्य | उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1- | खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रम तथा युवक कल्याण | हजार रु0 | 1 | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | 5 |
| 2- | उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना का बिस्तार | सं0 | 2 | 2 | 2 | -- | 3 | 3 | 5 |
| 3- | संस्कृत विद्यालयों को विकास अनुदान | सं0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 4- | सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान | सं0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |

जी0एस0-3

विभाग का नाम :- खेलकूद

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

| क्रम सं0 | मद | इकाई | छठी योजना की 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना की 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1- | ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद केन्द्रों का विकास तथा शासकीय अशासकीय स्कूलों में खेलकूद केन्द्रों की स्थापना | हजार रु0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,35 |

जी0एस0-2

विभाग का नाम :- प्राविधिक शिक्षा

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

| क्रम सं0 | मद | इकाई | छठी योजना की 1980-85 | | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | 1985-86 की | | 1986-87 की लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | | | लक्ष्य | अनुमानित उपलब्धि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1- | पाली टेक्निक की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण | हजार रुपया | 3598 | 3598 | 99 | 3598 | 26 | 26 | 500 |

जी०एन०-3

विभाग का नाम :- चिकित्सा एंव जनस्वास्थ्य

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

| क्रम सं० | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1- | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण | सं० | 7 | 1 | -- | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 2- | उप केन्द्रों के भवन का निर्माण | सं० | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | 11 |
| 3- | क्षय रोग औषधियों का क्रय | ह०रु० | -- | 270,00 | 100,00 | 270,00 | 200,00 | 200,00 | 396,00 |
| 4- | मलेरिया नियंत्रण | ह०सं० | -- | 1730,00 | 900,00 | 1730,00 | 2175,00 | 2175,00 | 700,00 |
| 5- | नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना | सं० | -- | 15 | -- | 15 | -- | -- | 7 |
| 6- | लखना एंव सहवदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण | सं० | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 7- | राजकीय चिकि० एंव औषधा० में 10 शैय्याओं की वृद्धि | सं० | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 8- | होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना (अन्दावा, क्योटरा, सहसो पाली खुर्द तथा गढ़ा कासदा | सं० | --- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |

जी०एन०-3
भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम :- आयुर्वैदिक एवं यूनानी सेवा

| क्र० | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1- | आयुर्वैदिक अस्पतालों में दवाईयों का क्रय | हजार रु० | -- | 96,00 | 46,00 | 96,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2- | आयुर्वैदिक औषधालयों की स्थापना 1-महेवा, दोबा-एरवाकटरा, गुनौली, अछल्दा, सौफर, अजीतमल | सं० | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |

जी0ए0न0-3

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम :- जल निगम

| क्र0 सं0 | मद | इकाई | छठी योजना की 1980-85 | | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना की 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | 1985-86 | | 1986-87 का लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | | | लक्ष्य | अनुमानित उपलब्धि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1- | इटावा जनपद के समस्या ग्रस्त ग्रामों में इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्पों का अधिष्ठान | सं0 | 549 | 549 | 110 | 549 | 282 | 282 | 100 |

जी0एन0-3

विभाग का नाम :- हरिजन पेयजल योजना

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

| क्रम सं0 | मद | इकाई | छठी योजना का 1980-85 | | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | की 1985-86 | | की 1986-87 का लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | | | लक्ष्य | अनुमानित उपलब्धि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1- | हरिजन पेयजल समूह योजना | | | | | | | | |
| | इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प का निर्माण | सं0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 80 |

विभाग का नाम:- सामुदायिक विकास ग्रामीण आवास भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि जी0एन0-3

| क्रम सं0 | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 | | 1984-85 वास्तविक लक्ष्य | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 | | वर्ष 1986-87 का लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्ष्य | उपलब्धि | | | लक्ष्य | अनुमानित उपलब्धि | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | निर्बल वर्ग आवास का निर्माण संख्या | | 792 | 792 | 181 | 792 | 146 | 146 | 160 |

॥ जी०एस०-5 ॥

विभाग का नाम:- शिल्पकार प्रशिक्षण  भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

| क्रम सं० | मद | इकाई | छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 का लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1- | वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण | संख्या | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 2- | मोटर मैकेनिक व्यवसाय | हजार रू० में | - | - | - | - | - | - | 50-00 |

(जी०एन०-3)

विभाग का नाम:- सेवायोजन                भौतिक लक्ष्य/ उपलब्धि

| क्रम सं० | मद | इकाई | छठी योजना का 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना का 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 का लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1- | सेवायोजन कार्यालय भवन का निर्माण | संख्या | - | - | - | - | - | - | 1 |

(जी०एन०-3)

विभाग का नाम:- अनुसूचित जाति /जनजाति और पिछड़े वर्ग का कल्याण

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

| क्रम सं0 | मद | इकाई | छठी योजना का 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना का 1980-85 अनुमानित उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 का लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1- | छात्र वृति पाठ्य पुस्तकीय उपकरण हेतु अनावर्तक सहायता जूनियर हाई स्कूल कक्षा 6 से कक्षा 8 तक | | | | | | | | |
| | (क) निर्धनता के आधार पर | संख्या | 2000 | 2000 | 350 | 2000 | 360 | 360 | 380 |
| | (ख) योग्यता के आधार पर | संख्या | 2450 | 2450 | 300 | 2450 | 350 | 350 | 370 |
| 2- | प्रायमरी स्तर कक्षा 1 से 5 तक | | | | | | | | |
| | (अ) निर्धनता के आधार पर | संख्या | 1200 | 1200 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1200 | 1200 |
| | (ब) योग्यता के आधार पर | संख्या | 5000 | 5000 | 2500 | 5000 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 3- | अनुसूचित जाति की छात्राओं को अपोरटुनिटी अनुदान | संख्या | 200 | 200 | - | 200 | 50 | 50 | 50 |
| 4- | दसवीं एवं दशमोत्तर कक्षाओं में प्रथम उत्तीर्ण छात्राओं को विशेष पुरस्कार | संख्या | 1600 | 1600 | 80 | 1600 | 75 | 75 | 80 |
| 5- | विभाग द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावास,पुस्तकालय एवं पाठशाला हेतु अनुदान | संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आर्थिक उत्थान | | | | | | | | |
| 6- | गृह निर्माण एवं ऋण की अदा- यगी हेतु अनुदान | संख्या | 400 | 400 | 200 | 400 | 100 | 100 | 110 |
| 7- | विमुक्त जातियों का कल्याण, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकीय सहायता हेतु अनावर्तक अनुदान जूनियर हाई स्कूल कक्षा 6 से 8 तक | | | | | | | | |
| | (अ) निर्धनता के आधार पर | संख्या | 50 | 50 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| | (ब) योग्यता के आधार पर | संख्या | 50 | 50 | 10 | 50 | 12 | 12 | 12 |
| 8- | विमुक्त जाति आर्थिक उत्थान कृषि एवं बागवानी हेतु अनुदान | संख्या | 50 | 50 | 10 | 50 | 10 | 10 | 15 |
| 9- | कुटीर उद्योग विकास हेतु अनुदान | ,, | 50 | 50 | 10 | 50 | 10 | 10 | 15 |
| 10- | विमुक्त जातियों का पुनर्वास | ,, | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 15 |
| 11- | विमुक्त जातियों का आर्थिक उत्थान जो अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं हैं। | ,, | 42 | 42 | 7 | 42 | 5 | 50 | 10 |
| 12- | अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकालय सहायता एवं उपकरण हेतु जूनियर हाई स्कूल कक्षा 6 से 8 तक | | | | | | | | |
| | (अ) योग्यता के आधार पर | संख्या | 1050 | 1050 | 350 | 1050 | 10 | 10 | 10 |
| | (ब) प्राइमरी स्तर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक योग्यता के आधार पर | संख्या | 50 | 50 | - | 50 | 250 | 250 | 250 |

(जी०एन०-3)

विभाग का नाम: समाज कल्याण भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

| क्र० सं० | मद | इकाई | छठी योजना का 1980-85 लक्ष्य | छठी योजना का 1980-85 उपलब्धि | 1984-85 वास्तविक उपलब्धि | सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर | वर्ष 1985-86 लक्ष्य | वर्ष 1985-86 अनुमानित उपलब्धि | वर्ष 1986-87 का लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1- | शारीरिक रूप से अक्षम एवं संख्या हड्डी रोग से ग्रस्त विद्यार्थियों को शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति | | 635 | 635 | 235 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 2- | शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति | संख्या | 60 | 60 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 |
| 3- | नेत्रहीन, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सहायता | संख्या | 830 | 830 | 446 | 830 | 446 | 446 | 450 |
| 4- | निराश्रित विधवाओं को अनुदान | संख्या | 2805 | 2805 | 355 | 2805 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 5- | शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग लगवाने हेतु सहायता | संख्या | 100 | 100 | - | 100 | 10 | 10 | 10 |
| -बाल | कल्याण योजना भाग्यनगर एवं हरेहर | | | | | | | | |
| (1) | पूरक पुष्टाहार कार्यक्रम | हजार रू० में | 1800 | 1800 | - | 1800 | 1800 | 1800 | 500 |

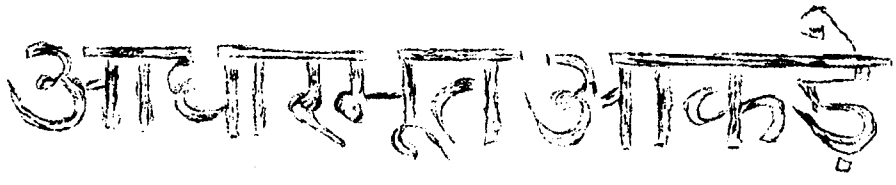

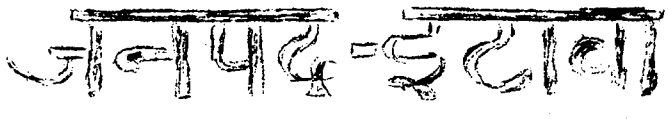

## आधारभूत आँकड़ें

जिला - इटावा
वर्ष 1984-85

| क्रम सं0 | मद का नाम | इकाई | 31 मार्च 1985 की स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1- | कुल ग्रामों की संख्या | संख्या | 1543 |
| 2- | कुल गैर आबाद ग्रामों की संख्या | संख्या | 81 |
| 3- | विकास खण्डों की संख्या ॥ नाम सहित ॥ | संख्या | 146 |
| | 1-जसवन्तनगर 2-बढ़पुरा 3-बसरेहर 4-भरथना | | |
| | 5-ताखा 6-महेवा 7-चकरनगर 8-अछल्दा | | |
| | 9-विधूना 10-एरवाकटरा 11-सहार 12-औरैया | | |
| | 13-अजीतमल 14-भाग्यनगर | | |
| 4- | तहसीलों की संख्या ॥ नाम सहित ॥ संख्या | | 4 |
| | 1-इटावा 2-भरथना 3-विधूना 4- औरैया | | |
| 5- | कुल भौगोलिक क्षेत्र॥ वर्ष 1981 ॥ | हजार हे0 | 433 |
| 6- | भूमि उपयोगिता के लिये प्रतिवेदित क्षेत्र वर्ष 1983-84॥ | हजार हे0 | 436 |
| 7- | वनों के अन्तर्गत क्षेत्र | हजार हे0 | 39 |
| 8- | कृषि के उपयोग में लाई गई भूमि | हजार हे0 | 335 |
| 9- | कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लाई गई भूमि | हजार हे0 | 32 |
| 10- | बंजर भूमि का क्षेत्र | हजार हे0 | 27 |
| 11- | कृषि योग्य बंजर भूमि का क्षेत्र | हजार हे0 | 10 |
| 12- | स्थायी चारागाह | हजार हे0 | 2 |
| 13- | अन्य उद्यानों / वृक्षों की फसलों का क्षेत्र | हजार हे0 | 1 |
| 14- | वर्तमान परती भूमि | हजार हे0 | 17 |
| 15- | अन्य परती भूमि | हजार हे0 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 16-शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल | | हजार हे0 | 290 |
| 17-सकल बोया गया क्षेत्रफल | | हजार हे0 | 418 |
| 18-मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र एंव उत्पादन वर्ष 1983-84 | | हजार हे0 | उत्पादन हजार टन |
| | 1-धान | 77 | 108 |
| | 2-गेहूँ | 124 | 297 |
| | 3-ज्वार | 4 | 1 |
| | 4-बाजरा | 57 | 37 |
| | 5-मक्का | 20 | 16 |
| | 6-चना | 27 | 30 |
| | 7-जौ | 17 | 29 |
| | 8-अरहर | 11 | 15 |
| | 9-उर्द | 4 | 1 |
| | 10-मूँग | 3 | 1 |
| | 11-मटर | 16 | 26 |
| | 12-मूँगफली | 0.2 | 0.1 |
| | 13-सरसों / तोरी | 20 | 13 |
| 19-खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र | | 193 | 164 |
| 20-रबी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र | | 218 | 397 |
| 21-जायद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र | | 7 | 1 |
| 22-जोतों की संख्या तथा उनके अन्तर्गत क्षेत्र | | संख्या | क्षेत्रफल हजार हे0 |
| | 1- 1 हे0 तक | 191270 | 79 |
| | 2- 1 से 3 हे0 के बीच | 75460 | 126 |
| | 3- 3 से 5 हे0 के बीच | 14564 | 55 |
| | 4- 5 हे0 तथा उसके बीच | 6289 | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

23-जनसंख्या (हजार में) (1981 की जनगणना)

| | |
|---|---|
| 1-पुरुष | 952 |
| 2-स्त्रियाँ | 791 |
| 3-योग | 1743 |
| 4-ग्रामीण | 1485 |
| 5-नगरीय | 258 |

24-पिछड़े समुदायों की जनसंख्या (हजार में)

| | | नगरीय | ग्रामीण | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1- | अनुसूचितजाति | 18.693 | 335.640 | 354.333 |
| 2- | अनुसूचित जनजातियाँ | 0.035 | 0.366 | 0.401 |

25-सतत प्रवाहशील नदियाँ :-

| | नाम | लम्बाई कि. मी. |
|---|---|---|
| 1- | यमुना | 148 |
| 2- | चम्बल | 74 |
| 3- | कुवारी | 5.40 |
| 4- | अरिन्द | 53 |
| 5- | सेंगर | 87 |

26-मौसमी नदियाँ / नाले

| | | |
|---|---|---|
| 1- | सिरसा | 29 |
| 2- | पुरहा | 48 |
| 3- | अहनैया | 56 |

27-मासिक औसत वर्षा (मि0मी0) वर्ष 1984 941

28-महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादन के नाम :-

1-सूत 2-हैण्डलूम का कपड़ा 3- चावल 4-दाल

29-पुलों के नाम :-

क-चम्बल नदी, इटावा ग्वालियर मार्ग ख- सेंगरपुर, बाबरपुर दिबियापुर मार्ग ग-यमुना नदी, इटावा ग्वालियर मार्ग घ-सेंगरपुर, इटावा भरथना रोड ।

ड.-सेंगर नदी बकेवर भरथना मार्ग च- सेंगर पुल, इटावा फर्रुखाबाद मार्ग
छ- सेंगर नदी, दिबियापुर औरैया मार्ग ज- सिरसा नदी, इटावा मैनपुरी मार्ग, झ- अरिन्द नदी, दिबियापुर बेला मार्ग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30-सड़कों की लम्बाई | | कि0मी0 | |
| 1-राष्ट्रीय मार्ग | | 96.00 | |
| 2-राजकीय मार्ग | | 96.00 | |
| 3-समतल | | 627 | |
| 4-असमतल | | 205.37 | |
| 31- विद्युत | | | |
| क- हाई टेन्सन लाइन | | | |
| 1- 11 कि0वा0 | | कि0मी0 | 1631.25 |
| 2- 23 कि0वा0 | | कि0मी0 | 332.20 |
| 32-नगरों की संख्या जिसमें बिजली है | | संख्या | 12 |
| 1-इटावा | 2-भरथना | 3-औरैया | 4-जसवन्तनगर |
| 5-लखना | 6-इकदिल | 7-बाबरपुर | 8-फफूँद |
| 9-अच्छलदा | 10-विधूना | 11-अटसू | 12-दिबियापुर |
| जिसमें बिजली नहीं है :- | | --- | ---- |
| 33-ग्रामों की संख्या:- | | | |
| 1-जिसमें बिजली है | | | 640 |
| 2- जिसमें बिजली नहीं है | | | 822 |
| 34:-जल सम्पूर्ति | | | |
| क- नगरों की संख्या व नाम जिनमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति होती है | | संख्या | 10 |
| 1-इटावा | 2-भरथना | 3-औरैया | 4-जसवन्तनगर |
| 5-इकदिल | 6-लखना | 7-फफूँद | 8-अच्छलदा |
| 9-विधूना | 10- बाबरपुर | | |

ख- नगरों की संख्या व नाम जिसमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति नहीं होती है — 2

1-अटसू — 2-दिबियापुर

ग-ग्रामों की संख्या व नाम जिसमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति होती है — 1-बकेवर

घ-ग्रामों की संख्या जिसमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति नहीं होती है — 1476

35-शिक्षा

| | | नगर क्षेत्र में | ग्राम क्षेत्र में |
|---|---|---|---|
| क-बेसिक / जूनियर स्कूल | सं0 | 141 | 1466 |
| ख-हायर सेकेण्डरी स्कूल | सं0 | 21 | 53 |
| ग-कालेज | सं0 | 2 | 3 |
| घ- विश्वविद्यालय | सं0 | --- | --- |
| ङ.-प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थायें | सं0 | 2 | 2 |

1-औद्योगिक संस्थान, इटावा — 2-प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र बकेवर

3-पालीटेक्निक केन्द्र, इटावा — 4-औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र मानिकपुर भिसू

अ-ग्रामों की संख्या जिनमें प्राइमरी / बेसिक स्कूल नहीं है — 545

ब-बेसिक/प्राइमरी स्कूलों की संख्या जिसके लिये भवन निर्मित नहीं है। — 113

36-अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की संख्या (नगर एवं ग्रामवार)

क-नगर क्षेत्र में — 33

ख-ग्रामीण क्षेत्र में — 56

क- नगर क्षेत्र में

इटावा - 10

-स्टेट बैंक, 2,-सेन्ट्रल बैंक-1, इलाहाबाद बैंक-1, पंजाब नेशनल बैंक-1, न्यू बैंक आफ इण्डिया-1, बैंक आफ इण्डिया-1, बैंक आफ बड़ौदा-1, सेन्ट्रल कारपोरेशन बैंक-1, ग्रामीण बैंक-1,

औरैया-6

स्टेट बैंक-1, पंजाब नेशनल बैंक-1, इलाहाबाद बैंक-1, ग्रामीण बैंक औरैया-2, सेण्ट्रल बैंक ( खानपुर-1,

भरथना-3

स्टेट बैंक-1, सेण्ट्रल बैंक-1, ग्रामीण बैंक-1,

जसवन्तनगर-2

स्टेट बैंक-1, सेन्ट्रल बैंक-1,

| | |
|---|---|
| इकदिल-1, | सेन्ट्रल बैंक-1, |
| बाबरपुर-3, | सेन्ट्रल बैंक-1, स्टेट बैंक-1, ग्रामीण बैंक-1, |
| फफूँद-2 | ग्रामीण बैंक-1, पंजाब नेशनल बैंक-1, |
| दिबियापुर-1, | सेन्ट्रल बैंक-1 |
| बिधूना-2 | ग्रामीण बैंक-1, सेन्ट्रल बैंक-1, |
| अछल्दा -2, | सेन्ट्रल बैंक-1, ग्रामीण बैंक-1, |
| लखना-1, | स्टेट बैंक-1, |
| अटसू-1, | ग्रामीण बैंक-1 |

## 2- ग्रामीण बैंक

जसवन्तनगर-4, ग्रामीण बैंक-3 ( कुनैरा, हेंवरा, धरवार) स्टेट बैंक-1, (हेंवरा)
बढ़पुरा-5, सेन्ट्रल बैंक (उदी मोड़) स्टेट बैंक (उदी) 1, ग्रामीण बैंक-3 (चन्द्रपुर कलाँ, राजा का बाग, मानिकपुर विशु)
बसरेहर-8, ग्रामीण बैंक ( चौपाला, बसरेहर, करीबीना, कुम्हावर 4-स्टेट बैंक ( रामनगर, बसरेहर वरालोकपुर), 3-सेन्ट्रल बैंक (रामनगर)
ताखा-3- स्टेट बैंक ( नगला नावर) 1, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (ऊसराहार, ताखा) 2
महेवा-7. स्टेट बैंक (महेवा) 1, सेन्ट्रल बैंक (बकेवर, अहेरीपुर) 2, ग्रामीण बैंक (लुधियानी, बिजौली, महेवा, [illegible]) 4
चकरनगर-1 स्टेट बैंक ( चकरनगर)
भरथना-4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ( [illegible], [illegible], विरोधी, पाली) 4

अछल्दा-3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ।हरचन्द्रपुर, पाता, मुहम्मदाबाद।-3

विधूना-3 सेन्ट्रल बैंक ।बेला।।, ग्रामीण बैंक ।रूरूगंज, मल्हौली, बाँधमऊ-3

सहार-4 सेन्ट्रल बैंक।सहार।।, ग्रामीण बैंक।असैनी, याकूबपुर, सहायल।3

एरवाकटरा-4 सेन्ट्रल बैंक । एरवाकटरा। ।, ग्रामीण बैंक। उमरैन, कुदरकोट-
बरौना कला-3

औरैया-।, ग्रामीण बैंक । अयाना।।
अजीतमल-2, सेन्ट्रल बैंक।सुराटगंज।-।, ग्रामीण बैंक।अनन्तराम।
भाग्यनगर-3 सेन्ट्रल बैंक, भाग्यनगर, कन्चौसी। 2, ग्रामीण बैंक ।ककोर। ।

37-सहकारी बैंकों के नाम व संख्या । नगर एंव प्रखण्डवार।

क-नगर क्षेत्र में ।सं0।।0- भरथना, दिबियापुर, फफूँद, औरैया, जसवन्तनगर इटावा, विधूना, अछल्दा, अजीतमल, बढ़पुरा, ।इटावा।

ख-ग्रामीण क्षेत्र।सं0। ।0- बसरेहर, बरालोकपुर, ताखा, ।उसराहार।बकेवर लखना, चकरनगर, जसवन्तनगर।हेंवरा।सरवाकटरा कुदरकोट, सहार

| 38-गोदामों की संख्या | संख्या | क्षमता।हजार टन। |
|---|---|---|
| क-नगर क्षेत्रों में | 5। | 19 |
| ख-ग्रामीण क्षेत्रों में | 4।। | 50 |
| ग-शीतगृहों की संख्या।नगर एंव प्रखण्डवार। | | |
| ।-नगर क्षेत्र में | ।4 | 43, 2 |
| 2-ग्रामीण क्षेत्र में | 7 | 31.3 |

39-उर्वरक, डिपो

| | | |
|---|---|---|
| क-कृषि विभाग द्वारा | 40 | 5.5 |
| ख-सहकारिता विभाग द्वारा | 99 | 9.0 |

40-भूमि विकास बैंकों की शाखाओं की संख्या

| | |
|---|---|
| क-नगर क्षेत्र में | 4 |
| ख-ग्रामीण क्षेत्रों में | -- |

| | | |
|---|---|---|
| 41-राजकीय पशु चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या- | नगरीय क्षेत्र में 8 | ग्रामीण क्षेत्र में 15 |
| 42-राजकीय पशुपालन केन्द्रों की संख्या | 2 | 47 |
| 43-राजकीय एलोपैथिक अस्पताल/औषधालय की संख्या | 13 | 25 |
| 44-राजकीय एलोपैथिक अस्पताल/औषधालयों में शैय्याओं की संख्या | 366 | 158 |
| 45-राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल/औषधालय की संख्या | 1 | 4 |
| 46-राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल/औषधालय में शैय्याओं की संख्या | -- | -- |

## 1-कृषि (हजार हे0 में) वर्ष 1983-84

| | | |
|---|---|---|
| 1-शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल | हजार हे0 | 290 |
| 2-एक बार से अधिक बोया गया (क्षेत्रफल) | हजार हे0 | 128 |
| 3-सकल बोया गया क्षेत्रफल | हजार हे0 | 418 |
| 4-कुल खाद्यान्न फसलें | हजार हे0 | 361 |
| 5-कुल अखाद्यान्न फसलें | हजार हे0 | 57 |
| 6-खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र | हजार हे0 | 193 |
| 7-रबी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र | हजार हे0 | 218 |
| 8-जायद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र | हजार हे0 | 78 |
| 9-फसल सघनता (प्रतिशत) | | 144 |
| 10-खरीफ के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र | हजार हे0 | 81 |
| 11-रबी के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र | हजार हे0 | 168 |
| 12-जायद के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र | हजार हे0 | 6 |
| 13-सकल सिंचित क्षेत्र | हजार हे0 | 255 |
| 14-शुद्ध सिंचित क्षेत्र | हजार हे0 | 197 |

15-सिंचाई की सघनता :-

| | |
|---|---|
| क-शुद्ध सिंचित क्षेत्र में शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत | 68 |
| ख-कुल सिंचित क्षेत्र में कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत | 61 |
| 16-कृषि योग्य भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत | 76.83 |
| 17-शुद्ध बोये गये क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत | 67 |

18-विभिन्न श्रोतों के द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र

| | | |
|---|---|---|
| | हजार हे0 | |
| क-नहर | हजार हे0 | 131 |
| ख-नलकूप | हजार हे0 | 52 |
| ग-कूप | हजार हे0 | 13 |
| घ-अन्य ॥ तालाब, झील॥ | हजार हे0 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 19-उन्नतिशील एकजोटिक किस्मों के बीज का वितरण | कुन्तल में | |
| क-कृषि विभाग द्वारा | 1782 | |
| ख-सहकारिता विभाग द्वारा | 829 | |
| 20-मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र/उत्पादन क्षेत्र वर्ष 1983-84 | हजार हे0 | उत्पादन॥हजार मी0॥ |
| 1-खाद्यान्न | | |
| क-खरीफ | | |
| 1-धान | 77 | 108 |
| 2-ज्वार | 4 | 1 |
| 3-बाजरा | 57 | 37 |
| 4-मक्का | 20 | 16 |
| 5-खरीफ दालें | 4 | 1 |
| 6-अन्य | | |
| योग:- खरीफ खाद्यान्न | 162 | 164 |

| ख- रबी | क्षेत्र हजार हे0 | उत्पादन हजार मी0 टन |
|---|---|---|
| 1-गेहूँ | 124 | 297 |
| 2-जौ | 17 | 29 |
| 3-चना | 27 | 30 |
| 4-मटर | 16 | 26 |
| 5-अरहर | 11 | 15 |
| 6-मसूर | 0.1 | 0.1 |
| 7-अन्य | -- | -- |
| योग रबी खाद्यान्न | 196 | 397 |
| ग- जायद | | |
| 1-मूँग | 3 | 1 |
| 2-अन्य | -- | -- |
| योग जायद खाद्यान्न | 3 | 1 |
| कुल खाद्यान्न | 361 | 562 |
| 2-वाणिज्यिक फसलें :- | | |
| 1-मूँगफली | 0.1 | 0.1 |
| 2-लाही/सरसों | 20 | 13 |
| 3-सूरजमुखी | -- | -- |
| 4-सोयाबीन | 0.002 | 0.003 |
| 5-अन्य तिलहन | 0.1 | 0.05 |
| 6-गन्ना | 6 | 217 |
| 7-आलू | 11 | 191 |
| 8-तम्बाकू | -- | -- |
| 9-अन्य (कपास, सनई) | 0.03 | 0.03 |
| योग | 37.23 | 421.18 |

| 21- उत्पादन दर (किलो प्रति हे0) | क्षेत्र हजार हे0 | उत्पादन हजार मी0 टन |
|---|---|---|
| 1-धान | 1404 | |
| 2-गेहूँ | 2392 | |
| 3-ज्वार | 354 | |
| 4-बाजरा | 653 | |
| 5-मक्का | 795 | |
| 6- जौ | 1730 | |
| 7-चना | 1094 | |
| 8-मटर | 1631 | |
| 9-अरहर | 1308 | |
| 10-मसूर | 641 | |
| 11-गन्ना | 34318 | |
| 12-मूँगफली | 583 | |

22-रसायनिक उर्वरक का वितरण (वर्ष 84-85) हजार मी0टन

क-कृषि विभाग द्वारा

| | |
|---|---|
| 1-नत्रजन | 1 |
| 2-फास्फेटिक | 0.4 |
| 3-पोटाश | 0.01 |

ख-सहकारिता विभाग द्वारा

| | |
|---|---|
| 1-नत्रजन | 5 |
| 2-फस्फेटिक | 1 |
| 3-पोटाश | 0.2 |

ग- कृषि औद्योगिक सिंचाई विभाग द्वारा

| | |
|---|---|
| 1-नत्रजन | 1 |
| 2-फस्फेटिक | 0.6 |
| 3-पोटाश | 0.2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| घ-गन्ना विभाग द्वारा | क्षेत्र हजार हे0 | | |
| 1-नत्रजन | --- | | |
| 2-फास्फेटिक | --- | | |
| 3-पोटाश | --- | | |
| 23- उर्वरक डिपो | संख्या | | |
| 1-कृषि विभाग द्वारा | 40 | | |
| 2-सहकारिता विभाग द्वारा | 99 | | |
| 3-कृषि औद्योगिक विकास निगम द्वारा | 6 | | |
| 4-गन्ना विभाग द्वारा | - | | |
| 24-शीत गृह | संख्या | क्षमता॥हजार मी0टन॥ | |
| 1-कृषि विभाग द्वारा | 17 | | 82.90 |
| 2-सहकारिता विभाग द्वारा | 3 | | 6.24 |
| 3-कृषि औद्योगिक विकास निगम द्वारा | -- | | -- |
| 4-गन्ना विभाग द्वारा | -- | | -- |
| 25-कम्पोस्ट खाद का उत्पादन ॥हजार मी0टन॥ | | | 1248 |
| 26-हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्र ॥हजार हे0॥ | | | 27 |
| 27-गोबर गैस संयत्रों की स्थापना॥संख्या॥ | | | 1685 |
| 2-भूमि संरक्षण :- | | | |
| क-कृषि विभाग द्वारा | | | |
| 1-कृषि भूमि में ॥ हजार हे0॥ | | | 34 |
| 2-रेवाइन्स में ॥ हजार हे0॥ | | | 4 |
| ख- वन विभाग द्वारा | | | |
| 1-कृषि भूमि में ॥ हजार हे0 ॥ | | | -- |
| 2-रेवाइन्स में ॥ हजार हे0 ॥ | | | -- |
| 3-फलोपयोग में एवं औद्यानिकी | | | |
| 1-फलों / उद्यानों के अन्तर्गत क्षेत्र | हजार हे0 | | 2 |
| 2-शाक-सब्जी का अन्तर्गत क्षेत्र | हजार हे0 | | 4 |
| 3-फलों का उत्पादन | हजार मी0टन | | 11 |

| | | |
|---|---|---|
| 4-फलों का मूल्य | हजार रू0 | 344 |
| 5-आलू का उत्पादन | हजार मी0टन | 174 |
| 6-पौध सुरक्षा कार्य | हजार हे0 | 5 |
| 7-पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार | हजार हे0 | 0.4 |

4-गन्ना विकास :-

| | | |
|---|---|---|
| 1-गन्ना का क्षेत्रफल | हजार हे0 | 7 |
| 2-गन्ना का उत्पादन | हजार मी0टन | 291 |
| 3-गन्ना का मूल्य।हजार रू0। | हजार रू0 | 59994 |
| 4-वाणिज्यिक फालों के अन्तर्गत गन्ना का उत्पादन गुड़ के रूप में | हजार मी0टन | अप्राप्त |
| 5-अधिक उपज देने वाली जातियों का बीज वितरण । गन्ना। | हजार मी0 टन | अप्राप्त |
| क- गन्ना विभाग द्वारा | | -- |
| ख-सहकारिता विभाग द्वारा | | -- |
| ग-कृषि विभाग द्वारा | | अप्राप्त |

5-सिंचाई। विकास खण्डवार सूचना पुस्तिका के अन्त में दी गई है। वर्ष 1984-85।

निजी /लघु सिंचाई । खण्डवार।

| | | |
|---|---|---|
| 1-पक्के कुये | संख्या | 13466 |
| 2-ट्यूब वेलिंग | संख्या | 12006 |
| 3-रहट | संख्या | 19648 |
| 4-नलकूप | संख्या | 6753 |
| 5-पम्पसेट | संख्या | 19645 |
| 6-पहाड़ी क्षेत्रों में हौज द्वारा | संख्या | -- |
| 7-कुल सिंचित क्षेत्र | हजार हे0 | 255 |
| 8-सकल बोये गये क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत | | 61 |

| | | |
|---|---|---|
| 9-शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत | | 68 |
| 2-बृहद एंव मध्यम सिंचाई वर्ष 1983-84 की स्थिति :- | | |
| 1-राजकीय लघु सिंचाई | | |
| क-नलकूप संख्या | | 361 |
| ख-नलकूप द्वारा सिंचन क्षमता का सृजन | हजार हे0 | 30 |
| 2-कुल उपलब्ध शुद्ध सिंचन क्षमता राजकीय लघु सिंचाई द्वारा | हजार हे0 | 5.4 |
| 3-वृहत एंव मध्यम सिंचाई द्वारा सिंचन क्षमता का सृजन | हजार हे0 | 159 |
| 4-सिंचन क्षमता का वास्तविक उपयोग | हजार हे0 | |
| क- राजकीय लघु सिंचाई द्वारा | हजार हे0 | 5 |
| ख-वृहत एंव मध्यम सिंचाई द्वारा | हजार हे0 | 131 |
| 6- वन | | |
| 1-वन विभाग के प्रबन्धके अन्तर्गत कुल क्षेत्र | हजार हे0 | 37 |
| 2-अधिक महत्व के वृक्षों का क्षेत्र | हजार हे0 | 1 |
| 3-जल्दी उगने वाले वृक्षों का क्षेत्र | हजार हे0 | -- |
| 4-सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत क्षेत्र | हजार हे0 | 40 |
| 5-सड़कों की लम्बाई | | |
| क-सरफेस्ड | कि0मी0 | --- |
| ख-अनसरफेस्ड | कि0मी0 | 159 |
| 6-वन द्वारा उत्पादित लकड़ी | हजार वर्ग फुट | 1.4 |
| 7-उत्पादित लकड़ी का मूल्य | हजार रू0 में | 561 |
| 8-विक्रय की लकड़ी का मूल्य | हजार रू0 में | 561 |
| 9-पशुपालन विकास खण्डवार सूचना पुस्तिका के अन्त में दी गई है । | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1-पशु चिकित्सालय/औषधालय | संख्या | 24 |
| 2-स्टाक मैन सेण्टर ॥पशु सेवा केन्द्र॥ | संख्या | 49 |
| 3-कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र | संख्या | 14 |
| 4-कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र | संख्या | 39 |
| 5-भैंड एवं ऊन विस्तार केन्द्र | संख्या | - |
| 6-राजकीय कुक्कुट फार्म | संख्या | 1 |
| 7-सहकारी कुक्कुट फार्म | संख्या | -- |
| 8-चारे की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र | हजार हे0 | 7.715 |
| 9-विभिन्न प्रकार के अन्तर्गत जानवरों की ॥गो वंशीय, महिष वंशीय, भैंड़बकरी, कुक्कुट | संख्या | 1009752 |

8:- दुग्ध एवं दुग्ध सम्पूर्ति :-

| | | |
|---|---|---|
| 1-नगर क्षेत्र में दुग्ध उपार्जन | लाख लीटर में0 | -- |
| 2-ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध उपार्जन | लाख लीटर में | 6843 |
| 3-नगर क्षेत्र में समितियों की संख्या | | -- |
| 4-नगर क्षेत्र में समितियों में सदस्यता की संख्या | | -- |
| 5-ग्रामीण क्षेत्र में समितियों की संख्या ॥ब्लाकवार ॥ | | 90 |
| 6-ग्रामीण क्षेत्रों में समितियों में सदस्यता की संख्या | | 3328 |

ब्लाकवार

| | | |
|---|---|---|
| 7-दुग्ध एकत्र करने के केन्द्र | संख्या | |
| 1-नगर में | संख्या | 4 |
| 2-ब्लाक में | संख्या | 5 |
| 8-नगर क्षेत्र में प्लान्टस की संख्या | सं0- | -- |
| 9-नगर में लगे हुये प्लान्टस की क्षमता | लाख लीटर में | |

9-मत्स्य -

| | | |
|---|---|---|
| 1-श्रमिक मछुआ सहकारी समितियों की संख्या | | 5 |
| 2-अँगुलिकाओं का वितरण | लाख में | 9 |

| | | |
|---|---|---|
| 3-मत्स्य बीज फार्म | संख्या | 1 |
| 4-राजकीय जलाशय मत्स्योत्पादन | कुन्तल | 7.00 |
| भण्डारण राज्य भण्डारागार निगम द्वारा संचालित | | |
| 1-वेयर हाऊस की संख्या (नगर में) | | 4 |
| 2-वेयर हाऊस में क्षमता नगर | लाख टन | 0.64 |
| 3-गोदामों की संख्या (नगर में) | | -- |
| 4-गोदामों की क्षमता | लाख टन | -- |
| 5-खण्डवार वेयर हाऊस की संख्या | संख्या | -- |
| 6-खण्डवार वेयर हाऊसेज की क्षमता | लाख टन | -- |
| 7-खण्डवार वेयर गोदामों की संख्या | संख्या | -- |
| 8-खण्डवार गोदामों की क्षमता | लाख टन | -- |
| 11-सहकारिता (सभी मदों की सूचना विकास खण्डवार पुस्तिका के अन्त में दी गई है।) | | |
| 1-जिला सहकारी बैंक | [illegible] | -- |
| क-[illegible] शाखायें | सं[illegible] | 20[illegible] |
| ख-जमा धनराशि [illegible] | हजार रु0 में | 61817 |
| ग-ऋण वितरण | हजार रु0 में | |
| 1-अल्प कालीन | हजार रु0 में | 27459 |
| 2-मध्यकालीन | हजार रु0 में | 1182 |
| घ- भूमि विकास बैंक :- | | |
| 1-शाखायें | संख्या | 4 |
| 2-दीर्घकालीन ऋण वितरण | हजार रु0 | 9704 |
| 2-प्राथमिक ऋण समितियाँ | | |
| 1-समितियाँ | संख्या | 136 |
| 2-सदस्यता | संख्या | 170574 |

| | | |
|---|---|---|
| 3-अँशपूँजी | हजार रु0 | 16046 |
| 4-जमा धनराशि | हजार रु0 | 2763 |
| 5-अल्पकालीन ऋण वितरण | हजार रु0 | 45579 |
| 6-मध्यकालीन ऋण वितरण | हजार रु0 | 1569 |
| 3-क्रय विक्रय समितियाँ :- | | |
| 1-समितियों की संख्या | संख्या | 7 |
| 2-सदस्यता | संख्या | 42432 |
| 3-अँशपूँजी | हजार रु0 | 3101 |
| 1:- विपणन की गई वस्तुओं का मूल्य :- | | |
| क-उर्वरक | हजार रु0 में | 50 |
| ख-बीज | हजार रु0 में | 6 |
| ग-खाद्यान्न | हजार रु0 में | 3721 |
| घ-अन्य | हजार रु0 में | 9700 |
| 4-सहकारी विधायन समितियाँ :- | | |
| 1-समितियाँ | संख्या | 1 |
| 2-सदस्यता | संख्या | 78 |
| 3-अँशपूँजी | हजार रु0 | 45 |
| 4-विधायन की गई वस्तुओं का मूल्य | हजार रु0 | -- |
| 5-उपभोक्ता सहकारी समितियाँ | | |
| 1-समितियाँ | संख्या | 1 |
| 2-सदस्यता | संख्या | 759 |
| 3-अँशपूँजी | हजार रु0 | 82 |
| 4-विधायन की गई वस्तुओं का मूल्य | हजार रु0 | -- |
| 12-विद्युत विकास :- | | |
| 1-विद्युत का उपभोग | हजार कि0वा0घन्टे | 55649 |
| 2-विभिन्न कार्यों में विद्युत का उपभोग | | |
| क-घरेलू एवं वाणिज्यक | " " | 9332 |

| | | |
|---|---|---|
| ख-औद्योगिक | हजार किलोवाट घन्टे | 15229 |
| ग-कृषि सिंचाई कार्यों को सम्मिलित करते हुये | " " | 30826 |
| घ-अन्य | " " | 49 |
| 3-उपरोक्त मदों {क से घ} में प्रति व्यक्ति उपभोग | " " | 31.93 |
| 4-वितरण लाइनों की लम्बाई | | |
| 1-हाई टेन्शन लाइन्स | | |
| क- 11 कि0वा0 | कि0मी0 | 1631.25 |
| ख- 33 कि0वा0 | कि0मी0 | 332.2 |
| ग- अन्य | कि0मी0 | -- |
| 2-लोटेंसन लाइन्स | कि0मी0 | 1491.41 |
| 5-विद्युतीकृत ग्राम | | |
| 1-ग्रामों की संख्या | संख्या | 651 |
| 2-कुल ग्रामों का प्रतिशत | प्रतिशत | 44.5 |
| 6-हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण | संख्या | 564 |
| 7-औद्योगि कनेक्शन | | |
| 1-ग्रामीण | संख्या | 304 |
| 2 शहरी | संख्या | 797 |
| 8-विद्युतीकृत ट्यूब वेलों/पम्पसेटों की संख्या | | |
| 1-राजकीय | संख्या | 301 |
| 2-निजी | संख्या | 3878 |
| 13-उद्योग विभाग {विकास खण्डवार सूचना पुस्तिका के अन्त में दी गई} | | |
| 1-ग्रामीण एवं लघु उद्योग | | |
| 1-लघु उद्योग इकाईयों की संख्या | संख्या | 1913 |
| 2-उपरोक्त लघु उद्योग इकाईयों में लगे व्यक्तियों की संख्या | संख्या | 6084 |

| | | |
|---|---|---|
| 3-इसंगठित क्षेत्र में लघु उद्योग इकाईयों की संख्या | संख्या | 6131 |
| 4-औद्योगिक आस्थान :- | | |
| क-अधिग्रहीत भूमि का विकास | हजार हे0 | 2.2 |
| ख- शेड्डों का निर्माण | संख्या | 10 |
| ग-कार्यरत इकाईयों | संख्या | 10 |

2- हथकरघा एंव वस्त्र उद्योग

| | | |
|---|---|---|
| 1-सहकारी क्षेत्र में लाये गये हथकरघों की संख्या | | 8029 |
| 2-बुनकर सहकारी समितियों का गठन | संख्या | 205 |
| 3-हथकरघा वस्त्र [illegible] | [illegible] | 175 |
| 4-रेशम कोया [illegible] | कि0ग्रा0 | 12083 |
| 5-टसर कोया [illegible] | कि0ग्रा0 | -- |
| 3- बहत एंव मध्यम [illegible] | | |
| क-उद्योगों की संख्या | संख्या | 1 |
| ख-उपरोक्त उद्योगों के नाम व [illegible] ब्यक्तियों की संख्या | संख्या | सूत कताई, 782 |

14-सड़क वर्ष 1930-81
§ विकास खण्डवार सूचना पुस्तिका के अन्त में दी गई है ।

| | | |
|---|---|---|
| 1- 1-नई सड़कों का निर्माण | कि0मी0 | 270.70 |
| 2-पुरानी सड़कों का निर्माण | कि0मी0 | 70.73 |
| 3-पक्की सड़कों का निर्माण | कि0मी0 | 124.90 |
| 4-कच्ची सड़कों का निर्माण | कि0मी0 | 145.80 |
| 5-जिला परिषद द्वारा सड़कों का निर्माण | कि0मी0 | अप्राप्त |
| 6-समस्त ऋतुओं में सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या | कि0मी0 | 98 |

15-शिक्षा

§ विकास खण्डवार सूचना पुस्तिका के अन्त में है § वर्ष 1983-84§

1- विद्यालय

| | | |
|---|---|---|
| 1-प्राइमरी स्कूलों की संख्या | | 1265 |
| 2-जूनियर हाई स्कूलों की संख्या | | 342 |
| 3-हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या | | 114 |
| 4-डिग्री कालेज की संख्या | | 5 |
| 5-विश्वविद्यालय की संख्या | | -- |

2-भर्ति :-

| | | |
|---|---|---|
| 1-प्राइमरी स्कूल में | संख्या | 249175 |
| 2-जूनियर हाई स्कूल में | संख्या | 93535 |
| 3-हायर सेकेण्ड्री स्कूल में | संख्या | 56525 |
| 4-डिग्री कालेज में | संख्या | 6565 |
| 5-विश्वविद्यालय में | संख्या | --- |

3-ग्रामों की संख्या :-

| | | |
|---|---|---|
| 1-जिसमें प्राइमरी स्कूल नहीं है | संख्या | 545 |
| 2-जिसमें बेसिक स्कूल नहीं है | संख्या | 1137 |

4:- ग्रामों की संख्या

| | | |
|---|---|---|
| 1-जिसमें प्राइमरी स्कूल भवन नहीं है | संख्या | 113 |
| 2-जिसमें बेसिक स्कूल भवन नहीं है | संख्या | 38 |

5:-अनुसूचित जाति / जनजाति विद्यार्थी की संख्या

| | | |
|---|---|---|
| 1-प्राइमरी स्कूल में | संख्या | 51597 |
| 2-बेसिक स्कूल में | संख्या | 7855 |
| 3-हायर सेकेण्ड्री स्कूल में | संख्या | 4161 |
| 4-डिग्री कालेज में | संख्या | अप्राप्त |
| 5-विश्वविद्यालय में | संख्या | -- |

16-चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सुविधायें :-
(विकास खण्डवार सूचना अन्त में है।) वर्ष 1984-85

1-चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सुविधायें

| | | |
|---|---|---|
| क-एलोपैथिक अस्पताल की संख्या | संख्या | 35 |
| ख-एलोपैथिक डिस्पेन्सरी की संख्या | संख्या | 8 |
| ग-होम्योपैथिक अस्पताल की संख्या | संख्या | --- |
| घ-होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी की संख्या | संख्या | 5 |
| ङ.-आयुर्वेदिक एंव यूनानी अस्पताल की | संख्या | 14 |
| च-आयुर्वेदिक एंव यूनानी डिस्पेन्सरी की | संख्या | 19 |
| 2-शैय्याओं :- | | |
| क-एलोपैथिक अस्पताल में संख्या | संख्या | 528 |
| ख-एलोपैथिक डिस्पेन्सरी में | संख्या | --- |
| ग-होम्योपैथिक अस्पताल | संख्या | --- |
| घ-होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में | संख्या | --- |
| ङ.-आयुर्वेदिक अस्पताल में | संख्या | 36 |
| च-आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में | संख्या | --- |
| 3:- विभिन्न बीमारियों से सम्बन्धित अस्पताल डिस्पेंसरी :- | | |
| क-टी0बी0 | संख्या | 2 |
| ख-फाइलेरिया | संख्या | --- |
| ग-छूत की बीमारी | संख्या | --- |
| घ-कुष्ट रोग | संख्या | --- |
| 4:- विभिन्न बीमारियों से सम्बन्धित अस्पतालों / डिस्पेंसरी में शैय्यायें | | |
| क-टी0बी0 | संख्या | 60 |
| ख-फाइलेरिया | संख्या | --- |
| ग-छूत की बीमारी | संख्या | --- |
| घ-कुष्ट रोग की बीमारी | संख्या | --- |
| 5:-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | संख्या | --60 |
| 6-परिवार कल्याण :- | | |
| क-परिवार कल्याण केन्द्र | संख्या | 17 |

| | | |
|---|---|---|
| ख-बन्ध्याकरण | | |
| अ-पुरुष | संख्या | 89 |
| ब-स्त्री | संख्या | 6748 |
| ग-आई0यू0सी0डी0 | संख्या | 4702 |
| 17-पर्यटन विकास | | |
| 1-पर्यटन आवास का निर्माण/विस्तार | संख्या | -- |
| 2-शैय्यायें | संख्या | -- |
| 18-प्राविधिक शिक्षा | | |
| 1-डिप्लोमा स्तर की संस्थायें | | |
| क-संख्या | संख्या | 1 |
| ख-प्रवेश क्षमता | संख्या | 30 |
| ग-वास्तविक भर्ती | संख्या | 13 |

19-जल सम्पूर्ति एवं मल निस्तारण

| 1:- नगरीय जल सम्पूर्ति मल निस्तारण लाभान्वित व० 1983-84) | नगर की संख्या | नगर का नाम | जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| क-पाइपों द्वारा | 10- | 1-इटावा | 85894 |
| | | 2-जसवन्तनगर | 1125 |
| | | 3-इकदिल | 5594 |
| | | 4-लखना | 5320 |
| | | 5-भरथना | 13668 |
| | | 6-औरैया | 25617 |
| | | 7-बाबरपुर | 3305 |
| | | 8-फफूंद | 8764 |
| | | 9-अछल्दा | 4115 |
| | | 10-विधूना | 5612 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ख- हैण्ड पम्प द्वारा | 122 ग्राम | -- | -- |
| ग-जल निस्तारण | -- | -- | -- |
| घ-शुष्क शौचालयों की स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तन | | -- | -- |
| 2-ग्रामीण जल सम्पूर्ति | ब्लाक का नाम | ग्रामों की संख्या | हैण्डपम्प संख्या |
| क-हैण्डपम्प द्वारा | 1-बढ़पुरा | 44 | 84 |
| | 2-भर्थना | 24 | 47 |
| | 3-जसवन्तनगर | 15 | 29 |
| | 4-चकरनगर | 26 | 52 |
| | 5-महेवा | 43 | 86 |
| | 6-औरैया | 64 | 127 |
| | 7-भाग्यनगर | 53 | 106 |
| | 8-अछल्दा | 53 | 104 |
| | 9-विधूना | 20 | 39 |
| | 10-एरवाकटरा | 29 | 56 |
| | 11-ताखा | 22 | 39 |
| | 12-भरथना | 12 | 24 |
| | 13-सहार | 8 | 16 |
| | 14-अजीतमल | 26 | 52 |
| ख-कुयें | -- | -- | -- |
| ग-डिग्गी | -- | -- | -- |
| घ-प्राकृतिक झीलें पर्वतीय क्षेत्र | -- | -- | -- |
| 3-नगरों की संख्या जिनमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति नहीं है | | संख्या 2 | नगर का अटसू दि |
| 4-ग्रामों की संख्या जिनमें पीने के पानी की सुविधा नहीं है । | | ब्लाक का नाम -- | ग्रामों की सं० -- |

| | ब्लाक का नाम | ग्रामों की सं0 |
|---|---|---|
| 5–ग्रामों की संख्या जिसमें पिछड़ी अनु0जातियों तथा अनुसू0जनजातियों के लिये पानी की सुविधा नहीं है । | -- | -- |
| 6–ग्रामों की संख्या जिसमें पिछड़ी अनु0 जातियों तथा अनुसू0जनजातियों के लिये पानी की सुविधा नहीं है | -- | -- |
| 20–पिछड़ी , अनुसूचित जातियों तथा अनुसू0 जनजातियों का कल्याण ¤हरिजन कल्याण ¤ वर्ष 1983–84 | | |
| 1–पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ | | |
| अ–सामान्य कोर्स :- | | |
| क–पिछड़ी जातियाँ | संख्या | 23825 |
| ख–अनुसू0जातियाँ | संख्या | 27840 |
| ग–अनुसू0जनजातियाँ | संख्या | -- |
| ब–प्राविधिक एवं प्रोफेसर कोर्स :- | | |
| क–पिछड़ी जातियाँ | संख्या | 25 |
| ख–अनुसू0जातियाँ | संख्या | 31 |
| ग–अनुसू0जन जातियाँ | संख्या | -- |
| 21–आवास विकास | | |
| 1–आवास विकास परिषद द्वारा | | |
| क–भूमि अर्जन | हे0 में | 14 |
| ख–भूमि विकास | हे0 में | -- |
| ग–उच्च आय वर्ग गृह निर्माण | संख्या | -- |
| घ–मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण | संख्या | -- |
| ड.–अल्प आय वर्ग गृह निर्माण | संख्या | -- |
| च–दुर्बल आय वर्ग गृह निर्माण | संख्या | -- |

2–जनपदों में विकास प्राधिकरणों द्वारा

| | | |
|---|---|---|
| क–भूमि अर्जन | हे0 में | -- |
| ख–भूमि विकास | हे0 में | -- |
| ग–उच्च आर्य वर्ग गृह निर्माण | संख्या | -- |
| घ–मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण | संख्या | -- |
| ड.–अल्प आय वर्ग गृह निर्माण | संख्या | -- |
| च–दुर्बल आय वर्ग गृह निर्माण | संख्या | - |

3– अन्य श्रोतों द्वारा

| | | |
|---|---|---|
| क–भूमि अर्जन | हे0 में | -- |
| ख–भूमि विकास | हे0 में | -- |
| ग–उच्च आर्य वर्ग गृह निर्माण | संख्या | -- |
| घ–मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण | संख्या | -- |
| ड.–अल्प आय वर्ग गृह निर्माण | संख्या | -- |
| च–दुर्बल आय वर्ग गृह निर्माण | संख्या | -- |

अशोक/

5-सिंचाई ॥ निजी लघु सिंचाई ॥

31 मार्च 1985 की स्थिति

| क्रम सं0 | विकास खण्ड | पक्के कुयें | पिट बोरिंग | रहट | नलकूप | पम्पसेट | पहाड़ी क्षेत्र में हौज द्वारा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | जसवन्तनगर | 1714 | 2161 | 1446 | 1362 | 1793 | -- |
| 2 | बढ़पुरा | 567 | 567 | 458 | 332 | 580 | -- |
| 3 | बसरेहर | 2538 | 1347 | 2269 | 466 | 2107 | -- |
| 4 | भरथना | 758 | 1365 | 662 | 424 | 1431 | -- |
| 5 | ताखा | 1658 | 1268 | 1245 | 267 | 1389 | -- |
| 6 | महेवा | 236 | 1425 | 133 | 1156 | 990 | -- |
| 7 | चकरनगर | 36 | 197 | 15 | 275 | 155 | -- |
| 8 | अछल्दा | 1155 | 2115 | 780 | 198 | 2119 | -- |
| 9 | विधूना | 1222 | 1837 | 1123 | 65 | 2341 | -- |
| 10 | एरवाकटरा | 1157 | 1807 | 902 | 170 | 2051 | -- |
| 11 | सहार | 1527 | 1721 | 1232 | 332 | 1846 | -- |
| 12 | औरैया | 151 | 485 | 59 | 400 | 566 | -- |
| 13 | अजीतमल | 169 | 1075 | 70 | 672 | 866 | -- |
| 14 | भाग्यनगर | 578 | 1636 | 251 | 634 | 1414 | -- |
| | ग्रामीण योग | 13466 | 19006 | 10665 | 6753 | 19648 | -- |
| | नगरीय योग | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | जनपद का योग | 13466 | 19006 | 10665 | 6753 | 19648 | -- |

7- पशुपालन ॥ 31 मार्च 1985 की स्थिति ॥

| क्रम सं0 | विकास खण्ड का नाम | पशु चिकि0 औषधा. सं0 | स्टाक मैन सेन्टर पशु सेवा केन्द्र सं0 | कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र सं0 | कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र सं0 | भेड़ एवं ऊन केन्द्र सं0 | राजकीय ककुट फार्म सं0 | सहकारी ककुट फार्म सं0 | चारे की फसलों के अंतर्गत हे0 | विभिन्न प्रकार के जानवरों की सं0 गवंशीय भेड बकरी ककुट सुअर आदि सं0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | जसवन्तनगर | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | 0.965 | 964 |
| 2 | बढ़पुरा | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - | 1.407 | 653 |
| 3 | बसरेहर | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 0.932 | 994 |
| 4 | भरथना | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 0.537 | 1199 |
| 5 | ताखा | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1.364 | 954 |
| 6 | महेवा | 2 | 7 | 1 | 7 | - | - | - | 1.226 | 1203 |
| 7 | चकरनगर | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 0.118 | 713 |
| 8 | अछल्दा | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1.168 | 1324 |
| 9 | विधूना | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 0.180 | 1303 |
| 10 | एरवाकटरा | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 0.213 | 1289 |
| 11 | सहार | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1.207 | 1117 |
| 12 | औरैया | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 1.123 | 913 |
| 13 | अजीतमल | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 0.442 | 809 |
| 14 | भाग्यनगर | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 0.833 | 708 |
| | ग्रामीण योग | 18 | 47 | 7 | 39 | - | 1 | - | 7.715 | |
| | नगरीय | 6 | 2 | 7 | - | - | - | - | | 14243 |
| | जनपद योग | 24 | 49 | 14 | 39 | - | 1 | - | 7.715 | 14243 |

8:- दुग्ध एंव दुग्ध सम्पूर्ति [31 मार्च 1985 की स्थिति]

| विकास खण्ड का नाम | 5-ग्रामीण क्षेत्र में समितियों की सं0 | 6-ग्रामीण क्षेत्र में समितियों के सदस्यों की सं0 | 7-दुग्ध एकत्र करने केकेन्द्र संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-जसवन्तनगर | 26 | 980 | 1 |
| 2-बढ़पुरा | - | - | - |
| 3-बसरेहर | 5 | 160 | - |
| 4-भरथना | - | - | - |
| 5-ताखा | - | - | - |
| 6-महेवा | 20 | 323 | 3 |
| 7-चकरनगर | - | - | - |
| 8-अछल्दा | - | - | - |
| 9-विधूना | - | - | - |
| 10-एरवा कटरा | - | - | - |
| 11-सहार | - | - | - |
| 12-औरैया | 13 | 455 | - |
| 13-अजीतमल | 26 | 910 | 1 |
| 14-भाग्यनगर | - | - | - |
| ग्रामीण योग | 90 | 3328 | 5 |
| नगरीय योग | - | - | 4 |
| जनपद योग | 90 | 3328 | 9 |

11-सहकारिता ॥ 31 मार्च 1985 की स्थिति ॥

1- जिला सहकारी बैंक :-

| विकास खण्ड का नाम | क-शाखायें | ख-जमा धनराशि | ग-ऋण वितरण ॥हजार रू0॥ | | घ- भूमि विकास बैंक | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अल्प कालीन | मध्य कालीन | शाखायें | दीर्घ कालीन ऋण वितरण हजार रू0 |
| | सं0 | हजार रू0 | हजार रू0 | हजार रू0 | सं0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-जसवन्तनगर | 1 | 3030 | 3421 | 25 | - | 1351 |
| 2-बढपुरा | - | 27738 | 1519 | 230 | - | 263 |
| 3-बसरेहर | 2 | 1388 | 2692 | 8 | - | 1043 |
| 4-भरथना | - | 2778 | 1460 | 1 | - | 1328 |
| 5-ताखा | 1 | 972 | 1504 | 254 | - | 1023 |
| 6-महेवा | 2 | 2735 | 2993 | 61 | - | 43 |
| 7-चकरनगर | 1 | 1480 | 791 | 222 | - | 265 |
| 8-अछल्दा | 1 | 2267 | 943 | 110 | - | 766 |
| 9-बिधूना | 1 | 3582 | 1654 | 5 | - | 1248 |
| 10-एरवाकटरा | 2 | 1664 | 2014 | 166 | - | 672 |
| 11-सहार | 1 | 893 | 3182 | 100 | - | 817 |
| 12-औरैया | - | 8162 | 1574 | - | - | 835 |
| 13-अजीतमल | 1 | 1144 | 1624 | - | - | 445 |
| 14-भाग्यनगर | 2 | 3984 | 2088 | - | - | 136 |
| ग्रामीण योग | 15 | 61817 | 27459 | 2666 | - | 10235 |
| नगरीय योग | 5 | - | - | - | 4 | - |
| जनपद योग | 10 | 61817 | 27459 | 2666 | 4 | 10235 |

2- प्राथमिक ऋण समितियाँ :- क्रमशः

| विकास खण्ड का नाम | समितियों सं0 | सदस्यता सं0 | अंशपूंजी हजार रु0 | जमा धनराशि हजार रु0 | अल्प कालीन ऋण वितरण हजार रु0 | मध्य कालीन ऋण वितरण हजार रु0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-जसवन्तनगर | 10 | 17699 | 2373 | 415 | 4755 | 28 |
| 2-बढ़पुरा | 10 | 9528 | 952 | 120 | 2360 | 133 |
| 3-बारेहर | 14 | 15606 | 1897 | 123 | 4096 | 232 |
| 4-भरथना | 5 | 13213 | 1214 | 397 | 2350 | 113 |
| 5-ताखा | 3 | 8964 | 955 | 89 | 3893 | 307 |
| 6-महेवा | 7 | 19912 | 1424 | 222 | 3511 | 130 |
| 7-चकरनगर | 10 | 8315 | 845 | 26 | 1524 | 311 |
| 8-अछल्दा | 9 | 7922 | 673 | 152 | 3140 | -- |
| 9-विधूना | 10 | 14117 | 895 | 79 | 3011 | 5 |
| 10-एरवाकटरा | 7 | 8597 | 907 | 527 | 2392 | 103 |
| 11-लहार | 8 | 10644 | 971 | 111 | 3772 | 103 |
| 12=औरैया | 17 | 13204 | 1096 | 179 | 3845 | 20 |
| 13-अजीतमल | 13 | 10388 | 767 | 213 | 3285 | 10 |
| 14-भाग्यनगर | 13 | 12413 | 1077 | 110 | 3689 | 15 |
| ग्रामीण योग | 136 | 170574 | 16046 | 2763 | 45579 | 1569 |
| नगरीय योग | - | - | - | - | - | - |
| जनपद योग | 136 | 170574 | 16046 | 2763 | 45579 | 1569 |

11- सहकारिता

3- क्रय-विक्रय समितियाँ    31॥ विपणन की गई वस्तुओं का मूल्य

| विकास खण्ड का नाम | समितियों की संख्या | सदस्यता संख्या | अंशपूँजी हजार रु0 | उर्वरक हजार रु0 | बीज हजार रु0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-जसवन्तनगर | - | - | - | - | - |
| 2-बढपुरा | - | - | - | - | - |
| 3-बसरेहर | - | - | - | - | - |
| 4-भरथना | - | - | - | - | - |
| 5-ताखा | - | - | - | - | - |
| 6-महेवा | - | - | - | - | - |
| 7-चकरनगर | - | - | - | - | - |
| 8-अछल्दा | - | - | - | - | - |
| 9-बिधूना | - | - | - | - | - |
| 10-एरवाकटरा | - | - | - | - | - |
| 11-सहार | - | - | - | - | - |
| 12-औरैया | - | - | - | - | - |
| 13-अजीतमल | - | - | - | - | - |
| 14-भाग्य नगर | - | - | - | - | - |
| ग्रामीण योग | - | - | - | - | - |
| नगरीय योग | 7 | 42432 | 3101 | 50 | 6 |
| जनपद योग | 7 | 42432 | 3101 | 50 | 6 |

11–सहकारिता ॥ क्रमशः ॥

4– सहकारी विधायन समितियाँ

| विकास खण्ड का नाम | खाद्यान्न हजार रु0 | अन्य हजार रु0 | समितियाँ संख्या | सदस्यता संख्या | अंशपूँजी हजार रु0 | विधायन की गई वस्तुओं का मूल्य हजार रु0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग | घ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1–जसवन्तनगर | | – | 1 | 78 | 406 | – |
| 2–बढपुरा | – | | – | – | – | – |
| 3–बसरेहर | – | | – | – | – | – |
| 4–भरथना | – | | – | – | – | – |
| 5–ताखा | – | | – | – | – | – |
| 6–महेवा | – | | – | – | – | – |
| 7–चकरनगर | – | | – | – | – | – |
| 8–अछल्दा | – | – | | | | – |
| 9–विधूना | – | – | – | – | – | – |
| 10–एरवाकटरा | – | | – | – | – | – |
| 11–सहार | – | – | – | – | – | – |
| 12–औरैया | – | – | – | – | – | – |
| 13–अजीतमल | – | – | – | – | – | – |
| 14–भाग्यनगर | – | – | – | – | – | – |
| ग्रामीण योग | — | — | 1 | 78 | 406 | — |
| नगरीय योग | 3721 | 9700 | — | — | — | — |
| जनपद योग | 3721 | 9700 | 1 | 78 | 406 | — |

11-सहकारिता (क्रमशः)

5- उपभोक्ता सहकारी समितियाँ

| विकास खण्ड का नाम | समितियों संख्या | सदस्यता सं0हजार में | अंशपूँजी हजार रू0 | विक्रय की गई वस्तुओं का मूल्य(हजार रू0 में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-जसवन्तनगर | - | - | - | - |
| 2-बढपुरा | - | - | - | - |
| 3-बसरेहर | - | - | - | - |
| 4-भरथना | - | - | - | - |
| 5-लाखा | - | - | - | - |
| 6-महेवा | - | - | - | - |
| 7-चकरनगर | - | - | - | - |
| 8-अछल्दा | - | - | - | - |
| 9-विधूना | - | - | - | - |
| 10-एरवाकटरा | - | - | - | - |
| 11-सहार | - | - | - | - |
| 12-औरैया | - | - | - | - |
| 13-अजीतमल | - | - | - | - |
| 14-भाग्यनगर | - | - | - | - |
| ग्रामीण योग | -- | -- | -- | -- |
| नगरीय योग | 1 | 759 | 82 | 2573 |
| जनपद योग | 1 | 759 | 82 | 2573 |

13 उद्योग विकास

(31 मार्च 1985 की स्थिति)

| विकास खण्ड का नाम | 1-ग्रामीण एवं लघु उद्योग | | | 2- औद्योगिक विकास | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लघु उद्योग इकाईयों की सं० | उपरोक्त लघु उद्योग इकाईयों में लगे व्यक्तियों की सं० | असंगठित क्षेत्र में उद्योग इकाईयों की सं० | क-अधिग्रहीत भूमि का विकास हजार (है०) | ख-शेडों का निर्माण संख्या | ग-कार्यरत इकाईयों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-जसवन्तनगर | 56 | 188 | 501 | -- | -- | -- |
| 2-बढ़पुरा | 44 | 150 | 306 | - | - | - |
| 3-बसरेहर | 79 | 211 | 390 | -- | -- | - |
| 4-भरथना | 46 | 172 | 559 | - | - | - |
| 5-ताखा | 16 | 70 | 180 | -- | -- | -- |
| 6-महेवा | 62 | 258 | 435 | -- | -- | -- |
| 7-चकरनगर | 26 | 94 | 217 | -- | -- | -- |
| 8-अछल्दा | 90 | 287 | 517 | - | -- | -- |
| 9-बिधूना | 76 | 195 | 313 | -- | -- | -- |
| 10-एरवाकटरा | 65 | 178 | 311 | -- | -- | -- |
| 11-सहार | 90 | 237 | 49[illegible] | -- | -- | -- |
| 12-औरैया | 71 | 224 | 661 | -- | -- | -- |
| 13-अजीतमल | 108 | 288 | 656 | -- | -- | -- |
| 14-भाग्यनगर | 78 | 211 | 441 | -- | -- | |
| ग्रामीण योग | 907 | 2763 | 6131 | -- | -- | -- |
| नगरीय योग | 1006 | 3321 | -- | 2.2 | 10 | 10 |
| जनपद योग | 1913 | 6084 | 6131 | 2.2 | 10 | 10 |

2-हथकरधा एवं वस्त्र उद्योग

31 मार्च 1985 की स्थिति

| विकास खण्ड का नाम | सहकारी क्षेत्र में लगाये गये हथकरधों की संख्या | बनकर सहकारी समितियों का गठन संख्या | हथकरधा वस्त्र का उत्पादन ला0मी0 | रेशम कोया का उत्पादन कि0ग्रा0 | टसर कोया उत्पादन कि0ग्रा0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-जसवन्तनगर | 1217 | 25 | -- | 589 | -- |
| 2-बढपुरा | 73 | 2 | -- | -- | -- |
| 3-बसरेहर | 51 | 1 | -- | -- | -- |
| 4-भरथना | 150 | 3 | - | -- | -- |
| 5-ताखा | -- | -- | -- | 419 | -- |
| 6-महेवा | 300 | 6 | -- | 2379 | -- |
| 7-चकरनगर | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8-अछल्दा | 134 | 3 | -- | 476 | -- |
| 9-विधूना | 225 | 6 | -- | -- | -- |
| 10-एरवाकटरा | 25 | 1 | -- | -- | -- |
| 11-सहार | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12-औरैया | 210 | 4 | -- | 2607 | -- |
| 13-अजीतमल | 139 | 3 | -- | 4144 | -- |
| 14-भाग्यनगर | 217 | 5 | -- | 1469 | - |
| ग्रामीण योग | 2741 | 58 | -- | 12083 | -- |
| नगरीय योग | 5288 | 147 | -- | -- | --- |
| जनपद योग | 8029 | 205 | 175 | 12083 | -- |

3-बृहत एव मध्यम उद्योग

31 मार्च 1985 की स्थिति

| विकास खण्ड का नाम | क-उद्योग की संख्या | ख-(i) उपरोक्त उद्योगों के नाम | ख-(ii) लगे व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-जसवन्तनगर | -- | -- | -- |
| 2-बढपुरा | -- | -- | -- |
| 3-बसरेहर | -- | -- | -- |
| 4-भरथना | -- | -- | -- |
| 5-ताखा | -- | -- | -- |
| 6-महेवा | -- | -- | -- |
| 7-चकरनगर | -- | -- | -- |
| 8-अछल्दा | -- | -- | -- |
| 9-विधूना | -- | -- | -- |
| 10-एरवाकटरा | -- | -- | -- |
| 11-सहार | -- | -- | -- |
| 12-औरैया | -- | -- | -- |
| 13-अजीतमल | -- | -- | -- |
| 14-भाग्यनगर | -- | -- | -- |
| ग्रामीण योग | -- | -- | -- |
| नगरीय योग | 1 | सूत कताई | 782 |
| अजनपद योग | 1 | सूत कताई | 782 |

14- सड़क § वर्ष 1984-85§

| विकास खण्ड का नाम | नई सड़कों का निर्माण किमी0 | पुरानी सड़कों का निर्माण किमी0 | पक्की सड़कों का निर्माण किमी0 | कच्ची सड़कों का निर्माण किमी0 | समस्त ऋतुओं में सड़कों से जुड़े 1500 से अधिक आबादी वाले ग्राम की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-जसवन्तनगर | 50.00 | 15.33 | 25.50 | 24.50 | 16 |
| 2-बढ़पुरा | 19.00 | -- | 3.00 | 16.80 | 6 |
| 3-बसरेहर | 47.40 | 20.10 | 26.40 | 21.00 | 5 |
| 4-भरथना | 8.00 | -- | -- | 8.00 | 5 |
| 5-ताखा | 28.00 | -- | 19.00 | 9.00 | 3 |
| 6-चकरनगर | 17.00 | -- | 15.00 | 2,00 | 4 |
| 7-महेवा | 24.50 | -- | 10.00 | 14.50 | 16 |
| 8-अछल्दा | 10.50 | -- | 4.00 | 6.30 | 2 |
| 9-विधूना | 16.50 | -- | 6.00 | 10.50 | 3 |
| 10-एरवाकटरा | 20.50 | 27.80 | 6.50 | 14.00 | 2 |
| 11-सहार | 11.50 | -- | 1.50 | 10.00 | 8 |
| 12-औरैया | 4.00 | -- | 4.00 | -- | 7 |
| 13-अजीतमल | 4.50 | -- | 2.50 | 2.00 | 14 |
| 14-भाग्यनगर | 8.50 | 7.50 | 1.50 | 7.00 | 7 |
| ग्रामीण योग | 270.70 | 70.73 | 124.90 | 145.80 | 98 |
| नगरीय योग | -- | -- | -- | -- | -- |
| जनपद योग | 270.70 | 70.73 | 124.90 | 145.80 | 98 |

15- शिक्षा

31 मार्च की स्थिति

| विकास खण्ड का नाम | 1- विद्यालय | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | प्राइमरी स्कूल सं0 | जूनियर हाई स्कूल सं0 | हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की सं0 | डिग्री कालेज की संख्या | विश्वविद्यालय संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-जसवन्तनगर | 102 | 24 | 10 | -- | -- |
| 2-बढपुरा | 84 | 26 | 5 | -- | -- |
| 3-बसरेहर | 83 | 28 | 6 | -- | -- |
| 4-भरथना | 67 | 23 | 2 | -- | - |
| 5-ताखा | 66 | 15 | 5 | -- | -- |
| 6-महेवा | 122 | 34 | 6 | 1 | -- |
| 7-चकरनगर | 69 | 13 | 4 | -- | - |
| 8-अछल्दा | 77 | 19 | 6 | -- | -- |
| 9-विधूना | 80 | 17 | 0 | -- | -- |
| 10-एरवाकटरा | 71 | 15 | 6 | -- | -- |
| 11-सहार | 60 | 24 | 9 | -- | -- |
| 12-औरैया | 100 | 39 | 7 | -- | -- |
| 13-अजीतमल | 99 | 20 | 9 | 1 | -- |
| 14-भाग्यनगर | 81 | 19 | 9 | 1 | -- |
| ग्रामीण योग | 1151 | 315 | 94 | 3 | -- |
| नगरीय योग | 114 | 27 | 20 | 2 | -- |
| जनपद योग | 1265 | 342 | 114 | 5 | -- |

## 15–शिक्षा

31 मार्च 1984 की स्थिति§

| विकास खण्ड का नाम | 2– भर्ती प्राइमरी स्कूल में सं0 | जनि0हाई स्कूल में सं0 | हा0सेकेण्ड्री स्कूल में सं0 | डिग्री कालेज में संख्या | विश्वविद्यालय में संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1–जसवन्तनगर | 18719 | 3665 | 1579 | | -- |
| 2–बढपुरा | 16057 | 4776 | 1516 | | -- |
| 3–बसरेहर | 16283 | 6535 | 3774 | | -- |
| 4–भरथना | 17790 | 3490 | 2786 | | -- |
| 5–ताखा | 11235 | 6096 | 1380 | | -- |
| 6–महेवा | 24668 | 3979 | 5323 | शून्य | 914 |
| 7–चंकरनगर | 10736 | 7203 | 1320 | | -- |
| 8–अछल्दा | 16709 | 5482 | 3035 | | -- |
| 9–विधूना | 12394 | 4296 | 5465 | | -- |
| 10–एरवाकटरा | 12937 | 5936 | 3376 | | -- |
| 11–तहार | 12270 | 4607 | 3032 | | -- |
| 12–औरैया | 19465 | 9519 | 5864 | | -- |
| 13–अजीतमल | 19243 | 9334 | 5892 | | 1613 |
| 14–भाग्यनगर | 16156 | 5793 | 3758 | | 711 |
| ग्रामीण योग | 224662 | 80752 | 48400 | | 3238 |
| नगरीय योग | 24513 | 12783 | 8125 | | 3327 |
| जनपद योग | 249175 | 93535 | 56525 | | 6565 |

15-शिक्षा

(31 मार्च 1984 की स्थिति)

| विकास खण्ड का नाम | 1-जिनमें प्राइमरी स्कूल नहीं है सं0 | 2-जिनमें जूनि0 हा0 स्कूल नहीं है, सं0 | जिनमें प्रा0 स्कूल भवन नहीं है सं0 | जिनमें जूनियर हा0 स्कूल भवन नहीं है, सं0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-जसवन्तनगर | 71 | 105 | 6 | 4 |
| 2-बढपुरा | 42 | 53 | 11 | 2 |
| 3-बसरेहर | 63 | 109 | 6 | 3 |
| 4-भरथना | 15 | 50 | 3 | 2 |
| 5-ताखा | 65 | 55 | 6 | 2 |
| 6-महेवा | 40 | 78 | 6 | 3 |
| 7-चकरनगर | 8 | 50 | 14 | 3 |
| 8-अछल्दा | 54 | 87 | 6 | 2 |
| 9-बिधूना | 56 | 89 | 9 | 2 |
| 10-एरवाकटरा | 44 | 31 | 5 | 2 |
| 11-सहार | 21 | 73 | 6 | 2 |
| 12-औरैया | 16 | 120 | 2 | 5 |
| 13-अजीतमल | 34 | 88 | 5 | 3 |
| 14-भाग्यनगर | 16 | 99 | 6 | 37 |
| ग्रामीण योग | 545 | 1137 | 91 | 37 |
| नगरीय योग | -- | -- | 22 | 1 |
| जनपद योग | 545 | 1137 | 113 | 38 |

15- शिक्षा

[ 31 मार्च 1984 की स्थिति ]

5- अनुसू0जाति / जनजाति के विद्यार्थी की

| विकास खण्ड का नाम | प्राइमरी स्कूल में सं0 | जू0हाई0 स्कूल में सं0 | हाई0सेकेण्ड्री स्कूल में सं0 | डिग्री कालेज में संख्या | विश्वविद्यालय में संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-जसवन्तनगर | 3588 | 358 | 265 | | -- |
| 2-बढपुरा | 3397 | 711 | 233 | | -- |
| 3-बसरेहर | 3716 | 454 | 635 | | -- |
| 4-भरथना | 3710 | 324 | 326 | | -- |
| 5-ताखा | 4377 | 1954 | 274 | | -- |
| 6-महेवा | 7749 | 570 | 467 | | 145 |
| 7-चकरनगर | 1642 | 456 | 284 | | -- |
| 8-अछल्दा | 3963 | 575 | 689 | | -- |
| 9-विधूना | 1870 | 568 | 936 | | -- |
| 10-एरवाकटरा | 2326 | 394 | 705 | | -- |
| 11-सहार | 2349 | 605 | 851 | | -- |
| 12-औरैया | 5783 | 998 | 1149 | | -- |
| 13-अजीतमल | 4472 | 1304 | 1530 | | 323 |
| 14-भाग्यनगर | 1302 | 783 | 541 | | 249 |
| ग्रामीण योग | 53143 | 10052 | 9960 | | 717 |
| नगरीय योग | 3744 | 1223 | 1001 | | 858 |
| जनपद योग | 56887 | 11275 | 10961 | | 1575 |

16-चिकित्सा एंव जनस्वास्थ्य

31 मार्च 1985 की स्थिति

| विकास खण्ड का नाम | क-एलोपैथिक अस्पतालों की संख्या | ख-एलोपैथिक डिस्पेंसरी की संख्या | ग-होम्यो पैथिक अस्पताल की संख्या | घ-होम्यो0 डिस्पे0 की सं0 | ड.-आयु0 चिकि. एंव यूनानी अस्पताल की सं0 | आयु0 एंव यूनानी डिस्पे0 की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-जसवन्तनगर | 2 | | -- | | 1 | 1 |
| 2-बढपुरा | | | --- | -- | 1 | 2 |
| 3-बसरेहर | | | | -- | | 1 |
| 4-भरथना | | | -- | 1 | -- | 1 |
| 5-ताखा | 3 | | -- | -- | -- | 1 |
| 6-महेवा | 2 | | -- | 1 | | -- |
| 7-चकरनगर | 1 | | --- | -- | 1 | 3 |
| 8-अछल्दा | -- | -- | --- | -- | -- | 1 |
| 9-विधूना | 1 | 1 | --- | -- | 1 | 2 |
| 10-एरवाकटरा | 1 | -- | -- | 1 | 2 | 1 |
| 11-सहार | 3 | -- | -- | -- | 2 | 2 |
| 12-औरैया | 2 | - | - | - | - | - |
| 13-अजीतमल | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 14-भरथनगर | -- | - | - | - | - | 2 |
| ग्रामीण योग | 19 | 6 | - | 4 | 10 | 19 |
| नगरीय योग | 16 | 2 | - | 1 | 4 | -- |
| जनपद योग | 35 | 8 | - | 5 | 14 | 19 |

16- चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवा
31 मार्च 1985 की स्थिति

| विकास खण्ड का नाम | 2- शैय्यायें | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एलोपैथिक अस्पताल में सं0 | एलोपैथिक डिस्पेंसरी में सं0 | होम्योपैथिक अस्पताल में सं0 | होम्यो0 डिस्पेंसरी सं0 | आयुर्वैदिक अस्पताल में सं0 | आयुर्वैदिक डिस्पेंसरी संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-जसवन्तनगर | 4 | - | - | - | - | - |
| 2-बढ़पुरा | 4 | - | - | - | - | - |
| 3-बसरेहर | 4 | - | - | - | - | - |
| 4-भरथना | 4 | - | - | - | - | - |
| 5-ताखा | 12 | - | - | - | - | - |
| 6-महेवा | 12 | - | - | - | - | - |
| 7-चकरनगर | 8 | - | - | - | - | - |
| 8-अछल्दा | - | - | - | - | - | - |
| 9-विधूना | 6 | - | - | - | - | - |
| 10-एरवाकटरा | 4 | - | - | - | - | - |
| 11-सहार | 12 | - | - | - | - | - |
| 12-औरैया | 6 | - | - | - | - | - |
| 13-अजीतमल | 4 | - | - | - | - | - |
| 14-भाग्यनगर | - | - | - | - | - | - |
| ग्रामीण योग | 82 | - | - | - | - | - |
| नगरीय योग | 233 | - | - | - | - | - |
| जनपद योग | 315 | - | - | - | - | - |

16-चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवा

| विकास खण्ड का नाम | 3- विभिन्न बीमारियों से सम्बन्धित अस्पताल/डिस्पेंसरी | | | |
|---|---|---|---|---|
| | क-टी0बी0 संख्या | ख-फाइलेरिया संख्या | ग-छूत की बीमारी संख्या | घ-कुष्ठरोग संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-जसवन्तनगर: | | | | |
| 1-जसवन्तनगर | - | .. | - | - |
| 2-बढपुरा | .. | - | - | - |
| 3-बसरेहर | - | - | - | - |
| 4-भरथना | .. | - | - | - |
| 5-ताखा | - | - | - | - |
| 6-महेवा | - | - | - | - |
| 7-चकरनगर | - | .. | - | - |
| 8-अछल्दा | - | - | - | - |
| 9-विधूना | - | - | - | - |
| 10-एरवाकटरा | - | - | - | - |
| 11- सहार | .. | - | - | - |
| 12- औरैया | .. | - | - | - |
| 13-अजीतमल | - | - | - | - |
| 14-भाग्यनगर | - | - | - | - |
| ग्रामीण योग | .. | - | - | - |
| नगरीय योग | 2 | - | .. | - |
| जनपद योग | 2 | .. | .. | - |

16- चिकित्सा एंव जन स्वास्थ्य

| विकास खण्ड का नाम | 4- विभिन्न बीमारियों से सम्बन्धित अस्पतालों / डिस्पेंसरियों में शैय्यायें | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | टी0बी0 हेतु सं0 | फाइलेरिया सं0 | छूत की बीमारी | कुष्ठ रोग की बीमारी | 5- प्राथमिक स्वा0 केन्द्र सं0 |
| 1 | 2 | 34 | 54 | 56 | 6 |
| 1- जसवन्तनगर | - | - | - | - | - |
| 2- बढ़पुरा | - | - | - | - | 1 |
| 3- बसरेहर | - | - | - | - | 1 |
| 4- भरथना | - | - | - | - | - |
| 5- ताखा | - | - | - | - | 1 |
| 6- महेवा | - | - | - | - | 1 |
| 7- चकरनगर | - | - | - | - | 1 |
| 8- अछल्दा | - | - | - | - | - |
| 9- बिधूना | - | - | - | - | - |
| 10- एरवाकटरा | - | - | - | - | 1 |
| 11- सहार | - | - | - | - | 1 |
| 12- औरैया | - | - | - | - | 1 |
| 13- अजीतमल | - | - | - | - | - |
| 14- भाग्यनगर | - | - | - | - | - |
| ग्रामीण योग | - | - | - | - | 8 |
| नगरीय योग | 60 | - | - | - | 7 |
| जनपद योग | 60 | - | - | - | 15 |

16-चिकित्सा एंव जन स्वास्थ्य । वर्ष 1984-85।

6- परिवार कल्याण

| विकास खण्ड का नाम | क-परिवार कल्याण केन्द्र सं० | ख- बन्ध्याकरण पुरुष | स्त्री | ग-आई०यू०सी०डी० |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-जसवन्तनगर | 1 | 3 | 353 | [illegible] |
| 2-बढपुरा | 1 | 2 | 279 | 229 |
| 3-बसरेहर | 1 | - | 415 | 399 |
| 4-भरथना | - | 21 | 426 | 426 |
| 5-ताखा | 1 | 3 | 192 | 307 |
| 6-महेवा | 1 | 1 | 342 | 298 |
| 7-चकरनगर | 1 | - | 159 | 124 |
| 8-अछल्दा | - | 1 | 286 | 277 |
| 9-बिधूना | - | - | 212 | 225 |
| 10-एरवाकटरा | 1 | 2 | 184 | [illegible]42 |
| 11-सहार | 1 | 3 | 178 | 426 |
| 12-औरैया | 1 | - | 223 | 174 |
| 13-अजीतमल | - | 4 | 330 | 213 |
| 14-भाग्यनगर | - | 12 | 35[illegible] | [illegible]34 |
| ग्रामीण योग | 9 | 52 | 3056 | 4012 |
| नगरीय योग | 8 | 19 | 115 | 404 |
| जनपद योग | 17 | 71 | 4071 | 4[illegible]16 |

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 3808
Date 4/6/85



19–जल सम्पूर्ति एंव जल निस्तारण

31 मार्च 1985 की स्थिति

| विकास खण्ड का नाम | ग्रामों की सं0 जिसमें पीने के पानी की सुविधा नहीं है | ग्रामों की सं0 जिसमें पिछड़ी अनुस0 जातियों तथा अनु0जनजातियों के लिये पानी की सुविधा है | ग्रामों की सं0 जिसमें पिछड़ी अनु0जातियों तथा अनु0जनजातियों के लिये पानी की सुविधा नहीं है |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1–जसवन्तनगर | .. | 131 | – |
| 2–बढपुरा | | 83 | – |
| 3–बसरेहर | | 141 | – |
| 4–भरथना | | 81 | – |
| 5–ताखा | | 76 | - |
| 6–महेवा | | 117 | – |
| 7–चकरनगर | – | 63 | – |
| 8–अछल्दा | – | 108 | – |
| 9–विधूना | – | 106 | – |
| 10–सरायफटरा | – | 95 | – |
| 11–सहार | – | 94 | – |
| 12–औरैया | – | 153 | – |
| 13–अजीतमल | – | 108 | – |
| 14–भोगनीपुर | – | 121 | – |
| ग्रामीण योग | – | 1477 | – |
| नगरीय योग | – | – | – |
| जनपद योग | – | 1477 | – |

NIEPA DC
D03800